मेन्स

आंसर राइटिंग

संग्रह

अगस्त 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास........ 3
- भूगोल........ 5
- भारतीय विरासत एवं संस्कृति 10
- भारतीय समाज 13

सामान्य अध्ययन पेपर-2 17

- राजव्यवस्था एवं शासन........ 17
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध........ 22
- सामाजिक न्याय........ 27

सामान्य अध्ययन पेपर-3 30

- अर्थव्यवस्था 30
- जैवविविधता एवं पर्यावरण........ 33
- आंतरिक सुरक्षा 39
- आपदा-प्रबंधन........ 40

सामान्य अध्ययन पेपर-4 43

- केस स्टडीज़........ 43
- सैद्धांतिक प्रश्न 52

निबंध 62

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : वर्ष 1850 और 1947 के दौरान औपनिवेशिक भारत में जनजातीय और कृषक आंदोलनों के विकास की क्रमिक प्रक्रिया का विवरण दीजिये। राष्ट्रवादी राजनीति को आकार देने में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वर्ष 1850 से 1947 के दौरान भारत के जनजातीय और किसान आंदोलनों के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- प्रमुख घटनाक्रमों के साथ जनजातीय और किसान आंदोलनों के विकास को रेखांकित कीजिये।
- राष्ट्रवादी राजनीति को आकार देने में इन आंदोलनों की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- एक प्रासंगिक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्ष 1850 से 1947 के दौरान, भारत के जनजातीय और किसान समुदायों ने औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। उनका प्रतिरोध राजनीतिक स्वतंत्रता की माँग से आगे बढ़कर 'जल, जंगल, ज़मीन' के संरक्षण पर केंद्रित था, जो न केवल उनके अस्तित्व और आजीविका के लिये बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान एवं सामाजिक एकता के लिये भी अभिन्न अंग थे।

मुख्य भाग:

जनजातीय और किसान आंदोलनों का विकास (1850-1947)

- **प्रथम चरण: प्रारंभिक विद्रोह (1850-1900)**
  - इस काल की विशेषता स्वत:स्फूर्त और स्थानीय विद्रोह थे, जो मुख्यत: औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध तात्कालिक शिकायतों से प्रेरित हुए थे।
  - **जनजातीय आंदोलन:** प्रारंभिक जनजातीय आंदोलनों जैसे सांथाल हूल (1855-56) और मुंडा उलगुलान (वर्ष 1899-1900, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में) सीधे तौर पर महाजनों, ज़मींदारों (दिकुओं) तथा औपनिवेशिक शासन के वन अधिनियमों के हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिक्रियाएँ थे।
    - ये आंदोलन मुख्य रूप से खोई हुई स्वायत्तता और भूमि अधिकारों को पुन: प्राप्त करने पर केंद्रित थे।
  - **किसान आंदोलन:** दक्कन विद्रोह (वर्ष 1875) और पाबना एग्रेरियन लीग (वर्ष 1873-76) जैसे किसान आंदोलन मुख्यत: उच्च लगान, साहूकारों द्वारा लिये जाने वाले अत्यधिक ब्याज दरों और काश्तकारों को ज़मीन से बेदखल करने की नीतियों के विरुद्ध हुए।
    - ये आंदोलन, यद्यपि स्थानीय थे, औपनिवेशिक भू-राजस्व प्रणाली और उसके मध्यवर्तियों की शोषणकारी प्रकृति के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाते थे।
- **द्वितीय चरण:** चकबंदी और वैचारिक परिवर्तन (1900-1930)
  - 20वीं शताब्दी के आरंभ में, आंदोलन विशुद्ध रूप से स्वत:स्फूर्त प्रतिरोध से आगे बढ़कर अधिक संगठित होने लगे।
  - **किसान सभाओं का उदय:** किसान सभाओं और अन्य किसान संगठनों के गठन से, (विशेष रूप से अवध और बिहार जैसे क्षेत्रों में) विरोध के एक अधिक संरचित रूप की ओर बदलाव हुआ।
    - बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं ने काश्तकारों को ऊँची लगान और बलात् श्रम (बेगार) के विरुद्ध संगठित किया।
  - **जनजातीय एकीकरण:** जहाँ जनजातीय आंदोलन अपनी विशिष्ट पहचान बनाये रखने के लिये संघर्षरत रहे, वहीं धीरे-धीरे यह समझ विकसित हुई कि उनका संघर्ष व्यापक कृषक वर्ग के संघर्ष से जुड़ा हुआ है।
    - उदाहरण के लिये, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रम्पा विद्रोह (1922) ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए, जनजातीय असंतोष को एक व्यापक ब्रिटिश-विरोधी आंदोलन के साथ जोड़ दिया।
- **तृतीय चरण:** राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकीकरण (1930-1947)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस अंतिम चरण में किसान और जनजातीय आंदोलनों का मुख्यधारा के राष्ट्रवादी संघर्ष के साथ सीधा एकीकरण देखा गया।
    - सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह (1928) और 1930 का नागपुर जंगल सत्याग्रह इस चरण के प्रमुख उदाहरण हैं।

राष्ट्रवादी राजनीति को आकार देने में भूमिका

- **सामाजिक आधार का विस्तार:** उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को अभिजात वर्ग द्वारा संचालित संघर्ष से विविध सामाजिक स्तरों की भागीदारी वाले एक जन आंदोलन में परिणत करने में सहायता की।
- **गहन साम्राज्यवाद-विरोध की अभिव्यक्ति:** जहाँ प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन प्राय: संवैधानिक सुधारों पर केंद्रित था, वहीं किसान और जनजातीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन में निहित आर्थिक शोषण को उजागर किया।
    - इसने राष्ट्रवादी संघर्ष को और भी गहन साम्राज्यवाद-विरोधी और सामंतवाद-विरोधी स्वरूप प्रदान किया।
- **राष्ट्रवादी कार्यक्रमों का प्रभाव:** इन आंदोलनों के निरंतर दबाव ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को और अधिक उग्र कृषक संबंधी कार्यक्रम को अपनाने के लिये बाध्य किया।
    - कराची प्रस्ताव (1931), जिसमें जीविका-योग्य वेतन, नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा और भू-राजस्व में कमी की माँग की गई थी, सीधे तौर पर किसान एवं जनजातीय संघर्षों की माँगों को प्रतिबिंबित करता था।
- **सत्याग्रह के लिये जनता का संगठन:** इन आंदोलनों में प्रतिरोध के जो तरीके विकसित हुए थे जैसे: बहिष्कार, कर न देना तथा जनसमूहों की व्यापक भागीदारी, को आगे चलकर असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों जैसे गांधीवादी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में एकीकृत किया गया।

निष्कर्ष:

वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्रता के कगार पर था, तब तक जनजातीय एवं किसान आंदोलनों ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सम्मान, भूमि और आजीविका की लड़ाई भी हो। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था— *"भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। इन्हीं गाँवों एवं वनांचलों में प्रतिरोध की सच्ची चेतना जन्मी और विकसित हुई।"*

प्रश्न : मौर्य साम्राज्य का उदय केवल एक राजनीतिक सुदृढ़ीकरण ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन भी था। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मौर्य साम्राज्य का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये कि मौर्य साम्राज्य केवल एक राजनीतिक एकीकरण ही नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन भी था।
- साम्राज्य की विरासत और वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य (321 ईसा पूर्व), प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक एकीकरण था। इस साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक था और इसने एक सुदृढ़ केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। हालाँकि, इसका वास्तविक महत्त्व भारतीय इतिहास में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन के युग के रूप में निष्कर्ष है।

मुख्य भाग :

राजनीतिक एकीकरण:

- चंद्रगुप्त ने नंदों को पराजित किया और सिकंदर की सेनाओं द्वारा छोड़े गये क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया।
- बिंदुसार और अशोक के शासनकाल के दौरान यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था।
- मेगस्थनीज़ की 'इंडिका' और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में इस साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली एवं गुप्तचर तंत्र का वर्णन है।
- फिर भी, मौर्यों की उपलब्धियाँ राजनीतिक नियंत्रण से परे थीं।

सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन

- **दार्शनिक और नैतिक नवाचार:**
- **अर्थशास्त्र:** शासन कला, अर्थशास्त्र और कूटनीति को संहिताबद्ध किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अशोक का धम्म:** कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा, सहिष्णुता और जनकल्याण पर बल दिया। इस प्रकार नैतिक अधिकार पर आधारित एक नये राजसत्तात्मक आदर्श का निर्माण हुआ।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार:

- अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म में परिवर्तित हो गया।
  - तृतीय बौद्ध संगीति (पाटलिपुत्र) में सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया गया।
  - श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भेजे गये धर्मप्रचार ने भारतीय दर्शन का प्रसार किया।
- शिलालेखों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण
  - अशोक के अभिलेख प्राकृत, यूनानी और अरामी भाषाओं में लिखे गये थे, जो भाषाई समावेशन का उदाहरण हैं।
  - यह नैतिक मूल्यों पर आधारित राज्य संचार का पहला उदाहरण था।
- कला और स्थापत्य कला
  - स्तंभ शिलालेख, सारनाथ सिंह शीर्ष → फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है।
  - स्तूप (साँची, भरहुत) → बौद्ध स्थापत्यकला के उत्कर्ष का प्रतीक है।
  - बराबर पहाड़ियों की शैलकृत गुफाएँ → मौर्य काल में तपस्वियों को दिये गए राजकीय संरक्षण को दर्शाता है।
- नैतिक शासन-व्यवस्था और कल्याण
  - अस्पतालों और धर्मशालाओं की स्थापना, पशु बलि पर प्रतिबंध।
  - 'चक्रवर्ती'(धर्म द्वारा निर्देशित सार्वभौमिक शासक) की संकल्पना।

निष्कर्ष:

मौर्य साम्राज्य ने शासन, सांस्कृतिक एकता और नैतिक राजनीति का एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसने आगे चलकर गुप्त एवं मुगल जैसे साम्राज्यों को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के माध्यम से इसके वैश्विक प्रसार ने एशियाई सभ्यताओं को आकार दिया। समकालीन समय में, अशोक का सिंह स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मौर्य आदर्शों की स्थायी विरासत का प्रतीक है।

भूगोल

प्रश्न: "पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महासागरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।" भारतीय मौसम पैटर्न पर महासागरीय धाराओं और एल नीनो जैसी घटनाओं के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महासागरों की भूमिका का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारतीय मौसम पैटर्न पर महासागरीय धाराओं और एल नीनो जैसी घटनाओं के प्रभाव का परीक्षण कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग पर महासागरों का विस्तार है, जो ऊष्मा एवं नमी के विशाल भंडार के रूप में कार्य करते हैं। महासागरीय धाराओं जैसी बड़ी परिसंचरण प्रणालियों तथा एल नीनो, ला नीना और हिंद महासागर द्विध्रुवीयता (IOD) जैसी जटिल जलवायु घटनाओं के माध्यम से महासागर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को गहराई से प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव विशेषकर भारतीय मानसून, चक्रवातों और वर्षा वितरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

मुख्य भाग:

पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महासागरों की भूमिका:

- महासागर सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं तथा सतही एवं गहन जल प्रवाह के माध्यम से उसका परिवहन करते हैं।
- जलवाष्पीकरण के माध्यम से निहित ऊष्मा वायुमंडल में स्थानांतरित होती है जिससे तापमान नियंत्रित होता है।
- महासागर पवन पैटर्न और मेघ विरचन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे वर्षा और वायुदाब पेटियाँ निर्धारित होती हैं।
- महासागर और वायुमंडल के मध्य यह जटिल अंत:क्रिया विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को निर्धारित करती है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप भी सम्मिलित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारतीय मौसम पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव

- भूमध्य रेखा के निकट उष्ण/गर्म धाराएँ (जैसे: एगुलस धारा) वाष्पीकरण को बढ़ाती हैं, जिससे मानसून प्रणाली को नमी मिलती है।
- शीत धाराएँ (जैसे: पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा) वाष्पीकरण को कम करके वर्षा को बाधित करती हैं।
- सोमाली धारा, जो अपने मौसमी परिवर्तन के लिये जानी जाती है, अरब सागर में अपवेलिंग (अपवाह) की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत को चिह्नित करती है।
- हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) वर्षा की तीव्रता को प्रभावित करता है:
  - **सकारात्मक IOD:** पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने से भारत में वर्षा में वृद्धि होती है।
  - **नकारात्मक IOD:** पश्चिमी क्षेत्र के ठंडे होने से मानसून गतिविधियाँ बाधित होती हैं।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2019 में, यद्यपि एल नीनो कमज़ोर था, फिर भी एक प्रबल सकारात्मक IOD के कारण भारत में लगभग सामान्य मानसून हुआ।

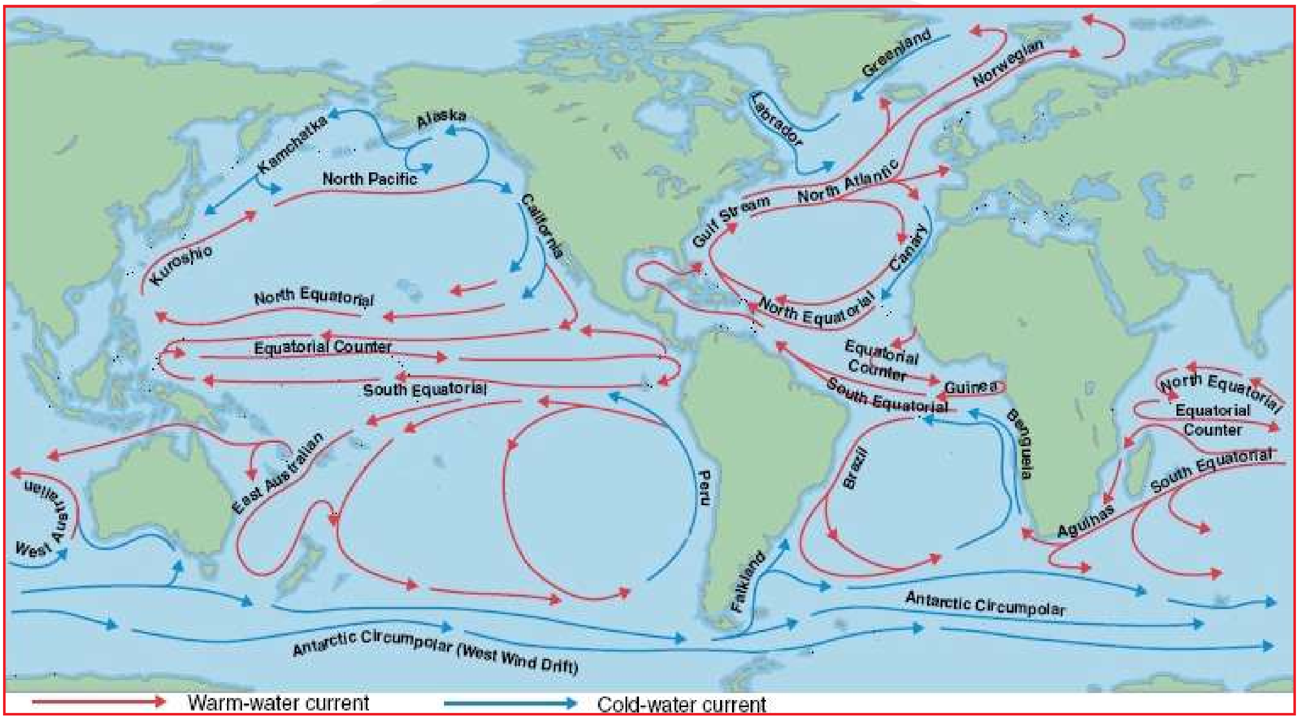

एल नीनो, ला नीना और भारत पर उनका प्रभाव

एल नीनो:

- एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने को दर्शाता है।
- यह एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) नामक एक व्यापक परिघटना का 'गर्म चरण/अवस्था' है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- एल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर गर्म धाराओं के प्रकट होने के साथ-साथ समुद्री एवं वायुमंडलीय घटनाएँ शामिल हैं, जो व्यापारिक पवनों और वॉकर परिसंचरण को कमज़ोर कर देती हैं।
- इसके कारण भारत तक पहुँचने वाली आर्द्र पवनें कम हो जाती हैं, जिससे मानसून कमज़ोर पड़ता है और वर्षा बाधित होता है।
- भारत में, एल नीनो आमतौर पर मानसून को कमज़ोर करता है, जिसके परिणामस्वरूप औसत से अधिक शुष्क स्थितियाँ और अनावृष्टि होती है। इससे सूखा, जल की कमी और कृषि को नुकसान हो सकता है।
- वर्ष 2015 में एल नीनो के कारण भारत में मानसून में 14% की कमी दर्ज की गई थी, जिससे कृषि संकट उत्पन्न हुआ।

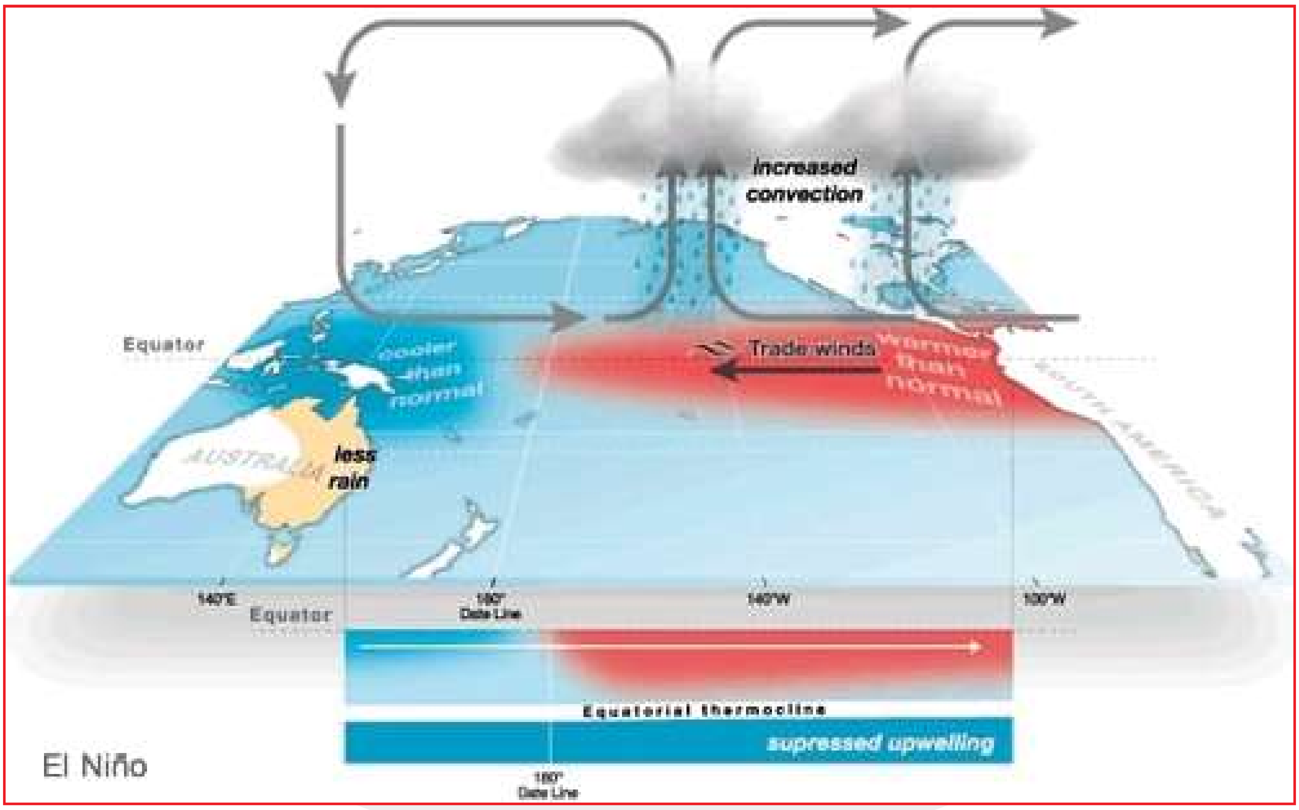

ला नीना

- ला नीना ENSO की 'शीत अवस्था' है, जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी उष्णकटिबंधीय भाग में सतही जल सामान्य से ठंडे हो जाते हैं।
- ला नीना चरण में, व्यापारिक पवनें प्रबल हो जाती हैं, जिससे जल की बड़ी मात्रा पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर निर्देशित हो जाती है और पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान कम हो जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जलाशयों और कृषि को लाभ पहुँच सकता है।
- ला नीना की हालिया अवधि क्रश 2020 से 2023 तक रही, जिसने भारत में कई राज्यों में वर्षा पैटर्न को प्रभावित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

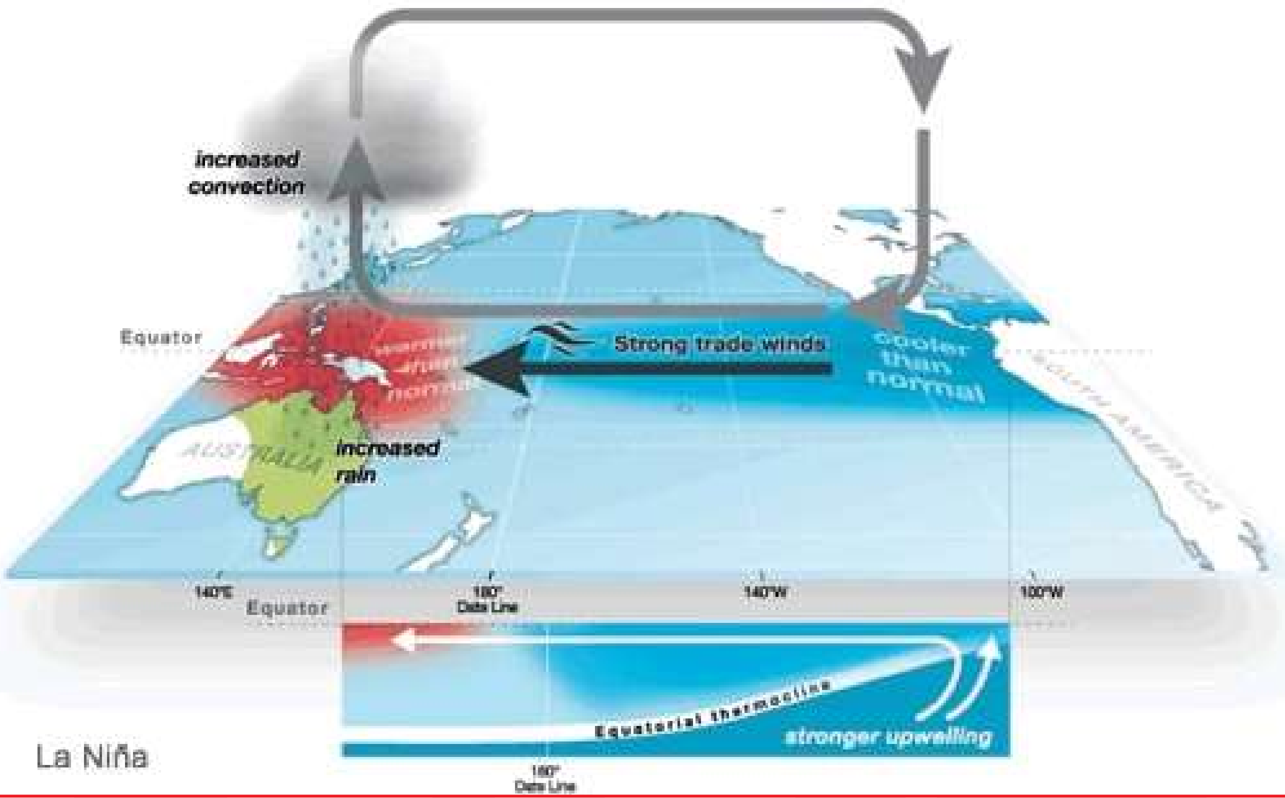

निष्कर्ष:

महासागर वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु प्रणालियों का अभिन्न अंग हैं। भारत के लिये महासागरीय धाराएँ और ENSO-संबंधी घटनाएँ मानसून की प्रबलता, कृषि उत्पादन एवं आपदा मोचन को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे में ARGO फ्लोट्स, उपग्रह आधारित आँकड़ों और विकसित मानसून पूर्वानुमान मॉडल जैसी उन्नत महासागरीय निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करना जलवायु अनुकूलन एवं सतत् विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रश्न : "भारत का जल-संकट, कमी से अधिक कुप्रबंधन का परिणाम है।" असंवहनीय कृषि पद्धतियों, असमान शहरी उपभोग और बार-बार होने वाले अंतर-राज्यीय नदी विवादों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के जल संकट की सीमा और प्रकृति का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- स्पष्ट कीजिये कि यह संकट कृषि क्षेत्र में जल का कुप्रबंधन, शहरी क्षेत्रों में असमान उपभोग तथा बार-बार होने वाले अंतर-राज्यीय विवादों के कारण किस प्रकार और गंभीर हो जाता है।
- इस समस्या के समाधान के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारत विश्व की 18% आबादी का भरण-पोषण करता है, जबकि उसके पास वैश्विक ताज़े जल संसाधनों का केवल 4% ही उपलब्ध है। NITI आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2019) जैसी रिपोर्टों से पता चला है कि भारत में लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से लेकर अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। जहाँ एक ओर भौगोलिक कमी मौजूद है, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में जल का कुप्रबंधन, असमान शहरी उपभोग तथा बार-बार होने वाले अंतर-राज्यीय विवादों के कारण यह संकट और भी गंभीर होता जा रहा है, जिससे शासन की विफलताएँ चिंता का मुख्य विषय बन गई हैं।

मुख्य भाग:

भारत के जल संकट की प्रकृति

- **जल-उपलब्धता की वर्तमान स्थिति:**
  - भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता वर्ष 2001 में 1,816 घन मीटर से घटकर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,545 घन मीटर रह गई है।
  - केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025 तक यह और घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर रह जाएगी।
- **भूजल क्षरण:** भारत प्रतिवर्ष 250 घन किमी से अधिक जल का दोहन करता है, जो विश्व में सबसे अधिक है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक 70% जलभृत संकटग्रस्त हो जाएँगे।
- **मानसून पर निर्भरता:** 80% से अधिक वर्षा 4 महीनों में होती है, जिससे मौसमी तनाव उत्पन्न होता है।
- **जल गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** जल संकट पर NITI आयोग की रिपोर्ट (2019) के अनुसार, भारत का लगभग 70% जल-संसाधन दूषित है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** उत्तर-पूर्व में जल की प्रचुरता बनाम राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में जल की कमी।

असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ

- **अकुशल सिंचाई पद्धति:** केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, कृषि भारत के लगभग 78% जल संसाधनों का उपभोग करती है, प्रायः अकुशल रूप से।
- **जल-प्रधान फसलें:** जल-प्रधान फसलों की ओर रुझान और पुरानी सिंचाई पद्धतियाँ जल संकट में योगदान करती हैं।
  - सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में गन्ना की फसल और पंजाब में धान की फसल असमान रूप से जल की खपत करती हैं।
- **अत्यधिक निष्कर्षण:** मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली और सुनिश्चित MSP खरीद पंजाब एवं हरियाणा में भूजल दोहन को बढ़ावा देती है।

असमान शहरी उपभोग

- **जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण:** बढ़ती जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण ने पेयजल, स्वच्छता और औद्योगिक उपयोग के लिये भूजल की मांग को बढ़ा दिया है।
  - वर्ष 2016 और 2023 के दौरान, भारत की जनसंख्या 1.29 अरब से बढ़कर 1.45 अरब हो गई है तथा शहरी प्रवास से शहरी जलभृतों पर दबाव पड़ा है।
- **वितरण हानियाँ:** शहरी आपूर्ति प्रणालियों में रिसाव के कारण लगभग 35-40% जल नष्ट हो जाता है।
- **असमानता:** दिल्ली या बेंगलुरु की गेटेड कॉलोनियों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300-400 लीटर जल मिल सकता है, जबकि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग 50 लीटर प्रतिदिन से भी कम जल पर गुज़ारा करते हैं।
- **अनियमित निष्कर्षण:** उद्योग और घरेलू उपयोग के लिये बिना किसी निगरानी के भूजल का दोहन किया जाता है।
- **पुनर्चक्रण की उपेक्षा:** केवल 30% अपशिष्ट जल का ही शोधन किया जाता है, जिससे इसकी विशाल क्षमता का दोहन नहीं हो पाता।

आवर्ती अंतर-राज्यीय नदी विवाद

- कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद दर्शाता है कि कैसे मौसमी प्रवाह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा-गोदावरी विवाद बेसिन-स्तरीय तनाव को उजागर करता है।
- रावी-ब्यास विवाद (पंजाब-हरियाणा) लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आगे की राह

- **कृषि:** फसलों में विविधता लाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार करने, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप, स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **शहरी सुधार:** सार्वभौमिक वर्षा जल संचयन, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग, अपव्यय को रोकने के लिये जल का मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिये।
- **नदी विवाद:** नदी बेसिन प्राधिकरणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये; सहकारी संघवाद और प्रौद्योगिकी-आधारित आवंटन अपनाया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक पहल:** पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों (बावड़ियों, तालाबों) का पुनरुद्धार किया जाना चाहिये।
- **नीतिगत बदलाव:** राष्ट्रीय जल नीति (2021 प्रारूप) को लागू किया जाना चाहिये जो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM), माँग-पक्ष प्रबंधन एवं सहभागी सिंचाई पर ज़ोर देती है।
- **'एकल जल दृष्टिकोण' का अंगीकरण:** सभी जल स्रोतों— सतही जल, भूजल, वर्षा जल, उपचारित अपशिष्ट जल को सतत् उपयोग के लिये एक ही परस्पर जुड़े संसाधन के रूप में व्यवहार करना चाहिये।
- **नदी अंतर्योजन:** क्षेत्रीय जल उपलब्धता को संतुलित करने, पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों और समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये चुनिंदा अंतर्योजन परियोजनाओं की खोज की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का जल संकट अभाव से कम और अकुशल प्रबंधन, असमान उपयोग एवं कमज़ोर शासन से अधिक प्रेरित है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये कृषि, शहरी जल प्रणालियों और अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन में सुधारों की आवश्यकता है। SDG 6 (स्वच्छ जल और साफ-सफाई) के साथ नीतियों को संरेखित करना, सभी के लिये सतत् जल एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना भारत के जल-प्रबंधन के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

प्रश्न: भारत की स्थापत्य विरासत समन्वयवाद की भावना को दर्शाती है। इंडो-इस्लामिक और औपनिवेशिक स्थापत्यकला के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में स्थापत्य समन्वयवाद की विरासत का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- इंडो-इस्लामिक और औपनिवेशिक स्थापत्यकला के संदर्भ में चर्चा कीजिये।
- इसकी समकालीन प्रासंगिकता के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की स्थापत्य विरासत इसकी समृद्ध सांस्कृतिक चरणों को दर्शाती है और विविध परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की भावना को अभिव्यक्त करती है। इंडो-इस्लामिक एवं उपनिवेशकालीन शैलियाँ आपसी अनुकूलन और सभ्यतागत सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिससे स्थापत्य 'विविधता में एकता' का प्रतीक बन जाता है।

मुख्य भाग:

इंडो-इस्लामिक स्थापत्यकला: रूपों का सम्मिश्रण

- भारत में इस्लामी शासन के आगमन के साथ फारसी और मध्य एशियाई स्थापत्य परंपराएँ आईं, जिनका मौजूदा हिंदू एवं बौद्ध रूपों के साथ रचनात्मक रूप से समावेश हो गया।
- इससे एक विशिष्ट इंडो-इस्लामिक स्थापत्य शैली का उदय हुआ जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:
  - इस्लामी विशेषताएँ जैसे: गुंबद, मेहराब, मीनारें और सुलेख।
  - भारतीय तत्त्व जैसे: कॉर्बेल्ड मेहराब, कमल आकृतियाँ, छतरियाँ एवं एलंकृत नक्काशी।
- ये संरचनाएँ सांस्कृतिक विजय का नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व का प्रतीक हैं, जहाँ इस्लामी शासकों ने स्थानीय कारीगरों को संरक्षण दिया और क्षेत्रीय सौंदर्यशास्त्र को अपनाया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रमुख उदाहरण:**
  - **कुतुब मीनार परिसर (दिल्ली):** पहले से मौजूद हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्रियों का उपयोग करके निर्मित, यह मस्जिद इस्लामी डिज़ाइन एवं स्वदेशी शिल्प कौशल के मिश्रण को दर्शाती है।
  - **हुमायूँ का मकबरा (दिल्ली):** दोहरे गुंबद वाली फारसी संरचना को भारतीय छतरियों के साथ संयोजित किया गया।
  - **फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश):** अकबर द्वारा बसाया गया नगर, जिसमें गुजराती, राजस्थानी और फारसी शैलियों का मिश्रण है; दीवान-ए-खास और बुलंद दरवाज़ा इसके उदाहरण हैं।
  - **गोल गुम्बज़ (बीजापुर):** फारसी प्रभाव का एक विशाल गुंबद, जिसे स्थानीय दक्कनी निर्माण सामग्री और संरचनात्मक तकनीकों से बनाया गया है।

औपनिवेशिक स्थापत्य: साम्राज्य का सम्मिश्रण

- ब्रिटिश शासन के दौरान गोथिक, बारोक और नव-शास्त्रीय (Neoclassical) जैसी यूरोपीय वास्तुशैलियों का भारत में आगमन हुआ। इन्हें भारत की जलवायु और पारंपरिक शैलियों के अनुसार ढाला गया।
- इंडो-सारसेनिक शैली इस दौर का एक प्रमुख उदाहरण है, जो भारतीय और यूरोपीय वास्तु तत्त्वों के एक सचेत मिश्रण को दर्शाती थी।
- यह स्थापत्य शैली उपनिवेशकों और उपनिवेशित समाज के बीच संवाद संवाद को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक साझा स्थापत्य विरासत का निर्माण हुआ।
- **उल्लेखनीय उदाहरण:**
  - **विक्टोरिया मेमोरियल (कोलकाता):** मुगल गुंबदों, इस्लामी मेहराबों और स्थानीय संगमरमर से सजी एक यूरोपीय शैली की इमारत।
  - **गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई):** एक यूरोपीय लेआउट में हिंदू मंदिर डिज़ाइन और इंडो-इस्लामिक मेहराबों के तत्त्वों का संयोजन।
  - **छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुंबई):** विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार शैली की इमारत, जिसमें भारतीय पत्थर की नक्काशी और योजनाबद्धता झलकती है।
  - **लुटियंस दिल्ली:** क्लासिकल ब्रिटिश योजना के साथ भारतीय विशेषताओं वाले गुंबद, जालियाँ और खुले आँगनों जैसे तत्त्वों का समावेश।

निष्कर्ष:

कुतुब मीनार, लाल किला और मुंबई का विक्टोरियन-गोथिक समूह जैसे स्मारकों का UNESCO विश्व धरोहर के रूप में चयन, इनके सांस्कृतिक महत्त्व एवं वैश्विक पहचान को दर्शाता है। आज जब सांस्कृतिक खंडन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब इन ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण विश्व मंच पर बहुलतावाद, साझा विरासत और अंतर-सांस्कृतिक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दृढ़ करता है।

प्रश्न : "भारत में फारसी साहित्यिक संस्कृति एक सेतु थी, सीमा नहीं।" मध्यकालीन भारत के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मध्यकालीन भारत में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक भाषा के रूप में फारसी के उदय को संदर्भ में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- सामाजिक–राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फारसी को एक सेतु के रूप में विवेचना कीजिये।
- फारसी भाषा के कुछ तत्त्वों को सीमाओं के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- फारसी भाषा की स्थायी विरासत पर चर्चा करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

दिल्ली सल्तनत और तत्पश्चात मुगलों के शासनकाल में फारसी भारत में प्रशासन, साहित्य एवं संस्कृति की भाषा बन गई। इसने विभाजन करने के बजाय, शासकों और प्रजा, सूफीवाद एवं भक्ति, संस्कृत व स्थानीय भाषाओं के बीच एक समन्वय का निर्माण किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

मध्यकालीन भारत में एक सेतु के रूप में फारसी

- **प्रशासनिक सेतु**
  - फारसी ने विविध शासक अभिजात वर्ग– तुर्क, अफगान, फारसी और भारतीय मुसलमानों के बीच एक कड़ी/सेतु के रूप में कार्य करते हुए एक साझा प्रशासनिक कार्यढाँचा बनाया।
  - राजस्व अभिलेख, फरमान और कानूनी दस्तावेज़ फारसी में संरक्षित किये जाते थे, जिससे यह शासन की एकीकृत भाषा बन गई।
- **साहित्यिक और बौद्धिक सेतु:**
  - अमीर खुसरो ने इंडो-फारसी (भारतीय-फारसी) सांस्कृतिक समन्वय का प्रतिनिधित्व किया। उनकी फारसी रचनाओं में भारतीय बिंब और रूपक झलकते थे, वहीं उनकी हिंदवी कविताएँ फारसी सौंदर्यशास्त्र से ओतप्रोत थीं।
  - अकबर के दरबार ने संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद प्रायोजित किया:
    - महाभारत को रज़्मनामा के रूप में
    - रामायण को रामनामा के रूप में
    - उपनिषदों को सिर्र-ए-अकबर के रूप में (बाद में दारा शिकोह के अधीन अनुवादित)।
  - इन कृतियों ने भारतीय दर्शन और महाकाव्यों को फारसी वैश्विक बौद्धिक जगत में पहुँचाया, जिससे ज्ञान की दृष्टि और भी व्यापक हुई।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक सेतु:**
  - सूफियों ने प्रेम, समानता और ईश्वरीय एकत्व के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिये फारसी भाषा का प्रयोग किया। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रवचनों (फवैद-उल-फुआद) जैसी रचनाएँ अभिजात वर्ग एवं आम लोगों, दोनों तक पहुँचीं।
  - सूफी साहित्य में प्रयुक्त रूपक भक्ति परंपरा से मेल खाते थे, जहाँ कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने परंपरागत रूढ़ियों से परे भक्ति और ईश्वर–समर्पण पर बल दिया।
  - इस प्रकार फारसी साहित्यिक संस्कृति अंतरधार्मिक संवाद और साझा आध्यात्मिकता का माध्यम बन गई।
- **भाषाई और सामाजिक सेतु:**
  - फारसी का स्थानीय बोलियों के साथ मेल होने से 'रेख्ता' (प्रारंभिक उर्दू) का विकास हुआ, जो फारसी, अरबी और भारतीय बोलचाल का मिश्रण था। यह आगे चलकर कविता, सूफी परंपरा और जन-संस्कृति की भाषा बन गई।
  - फारसी शब्दावली ने हिंदी, पंजाबी और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया तथा रोज़मर्रा की बोलचाल (जैसे: दुनिया, किताब, इंसान) में समाहित हो गई।
  - दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहरी केंद्र महानगरीय केंद्र बन गए जहाँ फारसी ने विभिन्न समुदायों के बीच एक साझा सांस्कृतिक माध्यम के रूप में कार्य किया।

फारसी सीमा के तत्त्व

- दरबारों में फारसी प्राय: अभिजात वर्ग की भाषा मानी जाती थी, जो किसानों और ग्रामीण जनता के लिये सहज उपलब्ध नहीं थी; वे अपनी लोकभाषाओं पर ही निर्भर रहे।
- दरबारी प्रभुत्व के कारण संस्कृत विद्वानों की स्थिति कई बार हाशिये पर चली जाती थी और उन्हें या तो अनुकूलन करना पड़ता था या फिर अन्यत्र संरक्षण खोजना पड़ता था।
- इस प्रकार फारसी कभी-कभी दरबारी विशिष्टता और सामाजिक पदानुक्रम का प्रतीक बन जाती थी।

निष्कर्ष:

अपनी अभिजात्य सीमाओं के बावजूद, फारसी भाषा ने सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। इसने इंडो-फारसी साहित्य को जन्म दिया, स्थानीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित किया तथा भक्ति–सूफी परंपराओं के संगम को संभव बनाया। यह विभिन्न सभ्यताओं, आस्थाओं और भाषाओं के बीच सेतु बनकर भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र में रही।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारतीय समाज

प्रश्न : "वैश्वीकरण वस्तुओं का निर्यात करता है और मूल्यों का आयात करता है।" भारत में पारिवारिक व्यवस्था और परंपरागत मूल्य संरचनाओं पर वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाहों के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वैश्वीकरण के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये कि यह किस प्रकार वस्तुओं का निर्यात और मूल्यों का आयात करता है।
- पारिवारिक प्रणालियों और परंपरागत मूल्य संरचनाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- वैश्वीकरण ने परंपरागत भारतीय मूल्यों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, इस संदर्भ में तर्क दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्वीकरण केवल वस्तुओं का आवागमन नहीं है, बल्कि यह विचारों, मानदंडों और संस्कृतियों का सीमाओं के पार प्रवाह है। भारत में इस प्रक्रिया ने पारिवारिक संरचनाओं, परंपरागत सामाजिक पदानुक्रम तथा अंतर-पीढ़ीगत संबंधों में परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है।

मुख्य भाग:

पारिवारिक प्रणालियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव:

- **संयुक्त से एकल परिवारों की ओर बदलाव:** आर्थिक अवसरों, विशेष रूप से IT और सेवा क्षेत्रों में, ने ग्रामीण-से-शहरी प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा दिया है।
  - निजता और स्वायत्तता की व्यक्तिगत आकांक्षाओं में वृद्धि ने परिवार के वरिष्ठ जनों के परंपरागत अधिकार और नियंत्रण को कमज़ोर कर दिया है।
- **प्राधिकरण के बदलते स्वरूप:** परंपरागत पितृसत्तात्मक संरचना, जहाँ सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य के पास पूर्ण अधिकार होता था, क्षीण हो रही है।
  - महिलाओं सहित युवा पीढ़ी की आर्थिक स्वतंत्रता ने एक अधिक समतावादी और लोकतांत्रिक पारिवारिक व्यवस्था को जन्म दिया है।
  - बच्चों की शिक्षा, कॅरियर विकल्पों और विवाह संबंधी निर्णय अब प्राय: सामूहिक रूप से लिये जाते हैं।
- **महिलाओं की बदलती स्थिति:** वैश्वीकरण ने महिलाओं को शिक्षा और रोज़गार तक बेहतर अभिगम्यता प्रदान की है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है।
  - इसने उन्हें परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने और निर्णय लेने में समान भागीदार के रूप में भाग लेने का अधिकार दिया है।
  - 'दोहरे कॅरियर वाले परिवार' की अवधारणा अब आम हो गई है, जिससे घर में श्रम विभाजन और शक्ति की गतिशीलता बदल रही है।

परंपरागत मूल्य संरचनाओं पर प्रभाव

- **व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता:** वैश्विक संस्कृति का एक मुख्य सिद्धांत व्यक्तिवाद है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद (चयन) और आत्म-अभिव्यक्ति पर ज़ोर देता है।
  - यह सामूहिकता के परंपरागत भारतीय लोकाचार से बिल्कुल अलग है, जहाँ परिवार या समुदाय के हितों को प्राय: प्राथमिकता दी जाती है।
- **विवाह और रिश्ते/संबंध:** विवाह एवं संबंधों के क्षेत्र में भी बदलाव दिखते हैं। परंपरागत रूप से विवाह की 'अरेंज्ड मैरिज' की संस्था अब पुनर्परिभाषित हो रही है।
  - हालाँकि परिवार की सहमति अभी भी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन युवाओं को अपने जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता पहले से अधिक है।
  - इसके अलावा, लिव-इन रिलेशनशिप जैसी वैश्विक अवधारणाएँ और तलाक व सिंगल पेरेंट (एकल-अभिभावक) जैसी अवधारणाओं की सामाजिक स्वीकृति बढ़ने से विवाह की पारंपरिक 'आजीवन, अविच्छेद्य बंधन' की धारणा को चुनौती मिली है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

यद्यपि वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह ने निस्संदेह भारतीय समाज को प्रभावित किया है, तथापि इसने परंपरागत भारतीय मूल्यों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

- **सांस्कृतिक संलयन:** व्यापक प्रतिस्थापन के बजाय प्राय: वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो घटित होता है, वह है वैश्विक विचारों का स्थानीय संदर्भों के अनुरूप अनुकूलन।
  - उदाहरण के लिये, मैकडॉनल्ड्स जैसी फास्ट-फूड चेन्स ने भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया है, लेकिन उन्होंने अपने मेन्यू में शाकाहारी विकल्प एवं स्थानीय मसाले (मैकडॉनल्डाइज़ेशन) शामिल किये हैं।
  - इसी तरह, कई युवा भारतीय पश्चिमी फैशन और संगीत को अपना सकते हैं, लेकिन परंपरागत त्योहारों एवं अनुष्ठानों में भाग लेना जारी रखते हैं।
- **स्वदेशी प्रथाओं का पुनरुत्थान:** हाल के वर्षों में, न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी, योग, आयुर्वेद और परंपरागत भारतीय व्यंजनों जैसी भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में पुनरुत्थान हुआ है।
  - यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण हमेशा एकपक्षीय प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि पश्चिमी प्रभुत्व के सामने स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं के पुनरुद्धार का भी मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
- **'वैश्विक भारतीय' पहचान:** सांस्कृतिक प्रवाह ने एक नई, वैश्विक भारतीय पहचान के उद्भव को जन्म दिया है जो स्थानीय और वैश्विक का एक समन्वय है।
  - ऐसा व्यक्तित्व अंग्रेज़ी में धाराप्रवाह, प्रौद्योगिकी में दक्ष, किंतु अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी गहराई से जुड़े रहते हुए अनेक सांस्कृतिक परिवेशों में सहजता से स्वयं को ढाल लेता है। यह स्थिति भारतीय मूल्यों के लोप का नहीं, बल्कि उनके सतत् विकास और रूपांतरण का प्रतीक है।

निष्कर्ष:

भारत की सांस्कृतिक संरचना क्षीण नहीं हो रही है, बल्कि वह परंपरा और आधुनिकता के बीच रचनात्मक संलयन से गुज़र रही है। वैश्वीकरण भारतीय समाज को नये विचार और जीवनशैली प्रदान करता है, परंतु यह अवसर भी देता है कि हम प्रगतिशील मूल्यों को आत्मसात करें, साथ ही अपने मूल सांस्कृतिक आधार को सुरक्षित रखें।

प्रश्न : क्या 'गिग इकॉनमी' ने भारत में युवाओं को वास्तव में सशक्त बनाया है, या इसने सामाजिक सुरक्षा से वंचित अनिश्चित श्रमिकों का एक नया वर्ग तैयार किया है? उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में गिग इकॉनमी की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- गिग इकॉनमी भारत के युवाओं को किस प्रकार सशक्त बना रही है, इस संदर्भ में तर्क दीजिये।
- गिग इकॉनमी किस प्रकार अनिश्चित श्रमिकों का निर्माण कर रही है, इस पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- अनिश्चितता को सशक्त बनाने के उपायों को प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ज़ोमैटो, स्विगी और उबर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित गिग इकॉनमी भारत में एक प्रमुख रोज़गार सृजनकर्त्ता के रूप में उभरी है। NITI आयोग का अनुमान है कि गिग श्रमिकों की संख्या वर्ष 2020 में 7.7 मिलियन से बढ़कर सत्र 2029-30 तक 23.5 मिलियन हो जाएगी।

मुख्य भाग:

गिग इकॉनमी- भारत के युवाओं का सशक्तीकरण

- **रोज़गार सृजन और लचीलापन:** औपचारिक क्षेत्र में ठहराव की स्थिति में अल्पकालिक रोज़गार प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिये, त्योहारों के मौसम में डिलीवरी कर्मचारियों (स्विगी, ब्लिंकिट 2023) की आय में 40-50% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - इसके अलावा, कुछ कर्मचारी अपनी नियमित 9 से 5 की नौकरी के बाद घरेलू आय में वृद्धि के लिये रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जो अतिरिक्त आय के लिये एक द्वितीयक सुरक्षा संजाल के रूप में गिग इकॉनमी की भूमिका को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अनौपचारिक से अर्द्ध-औपचारिक कार्य का सेतु:** कृषि और निर्माण क्षेत्र से आए प्रवासी श्रमिकों को अब संरचित आय के अवसर मिल रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, ओला और उबर ने हज़ारों अल्प-रोज़गार युवाओं को शहरी गतिशीलता में शामिल किया।
- **डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक विकास:** डिजिटल साक्षरता, डिजिटल भुगतान अंगीकरण और ई-कॉमर्स की अभिगम्यता को बढ़ावा देता है।
  - ये प्लेटफॉर्म GST और ई-श्रम एकीकरण के माध्यम से कर राजस्व में भी योगदान करते हैं।
- **समावेशिता और महिलाओं की भागीदारी:** लगभग 28% गिग कर्मचारी महिलाएँ हैं, जिनमें से कई लचीली व घर-आधारित सेवाओं का विकल्प चुनती हैं।
- **उद्यमिता का विकास:** गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों को 'स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर' के रूप में लेबल करते हैं, जिससे एक उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है।

गिग इकॉनमी - श्रमिकों की असुरक्षा

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** 90% से अधिक गिग श्रमिकों के पास बचत या स्वास्थ्य बीमा नहीं (NITI आयोग, 2024) है।
  - 'स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर' के रूप में वर्गीकृत गिग श्रमिक पेंशन, वेतन सहित अवकाश या भविष्य निधि से वंचित रहते हैं।
- **कम और अस्थिर वेतन:** फेयर वर्क इंडिया (2023) की रिपोर्ट के अनुसार, इनकी औसत आय ₹15,000-20,000/माह है, जो 10 से अधिक घंटे के कार्यदिवसों के लिये न्यूनतम मानकों से कम है।
- **शोषण और असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ:** प्रिजनर्स ऑन व्हील्स रिपोर्ट: 78% डिलीवरी कर्मचारी प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम करते हैं, जिससे डिलीवरी की तंग समय सीमा के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
- **कानूनी सुरक्षा का अभाव:** सामाजिक सुरक्षा संहिता- 2020 गिग श्रमिकों को मान्यता देती है, लेकिन न्यूनतम वेतन या कार्य-घंटे के नियमों को सुनिश्चित नहीं करती है।
- **एल्गोरिदम नियंत्रण और मनमाना निष्क्रियण:** एक सर्वेक्षण में, लगभग 83% कैब ड्राइवरों और 87% डिलीवरी कर्मचारियों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के खाता निष्क्रियण का सामना करना पड़ा है।
  - निवारण तंत्र के अभाव में, कर्मचारियों को प्रायः ग्राहकों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- **भविष्य की निराशाजनक संभावनाएँ:** सेवानिवृत्ति बचत के बिना, गिग कर्मचारियों को 'नए युग की अनिश्चितता' में फँसने का जोखिम है, जो दिखने में तो डिजिटल हैं लेकिन वास्तव में असंगठित कर्मचारी ही हैं।

अनिश्चितता को सशक्तीकरण में बदलना

- **व्यापक विधिक कार्यढाँचा:** भारत को एक समर्पित राष्ट्रीय गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी कानून की आवश्यकता है जो औपचारिक कर्मचारियों के समान अधिकार सुनिश्चित करे।
  - प्रावधानों में न्यूनतम वेतन गारंटी, मानक कार्य घंटे, दुर्घटना बीमा और मनमाने ढंग से निष्क्रियण से सुरक्षा शामिल होनी चाहिये।
- **पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा:** गिग कर्मचारी प्रायः कई प्लेटफॉर्म (स्विगी, ब्लिंकिट, ओला) पर स्थानांतरित होते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म-विशिष्ट लाभ अप्रभावी हो जाते हैं।
  - आधार/ई-श्रम पोर्टल से जुड़ा एक पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा अकाउंट स्वास्थ्य, पेंशन और भविष्य निधि जैसे लाभों की निरंतरता सुनिश्चित कर सकता है।
  - केंद्रीय बजट 2025-26 में अंशदायी मॉडल (प्लेटफॉर्म, राज्य और कर्मचारी लागत साझा करते हैं) के माध्यम से गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव इस दिशा में एक कदम है।
- **कौशल विकास के मार्ग:** आज अधिकांश गिग कार्य कम-मूल्य वाले कार्यों (वितरण, ड्राइविंग) पर केंद्रित हैं, जिनमें विकास की सीमित संभावनाएँ हैं।
  - गिग प्लेटफॉर्म को स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और डिजिटल कौशल कार्यक्रमों से जोड़ने से युवाओं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

को उच्च-मूल्य वाले फ्रीलांसिंग (AI सेवाएँ, कोडिंग, डिज़ाइन, वित्तीय परामर्श) में आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है।

- **शिकायत निवारण तंत्र:** प्लेटफॉर्म को स्वतंत्र शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने चाहिये, जो बहुभाषी ऐप्स के माध्यम से सुलभ हों, ताकि वेतन विवादों, उत्पीड़न और निष्क्रियता के मामलों का समाधान सुनिश्चित हो सके।
  - राज्य श्रम विभागों के अंतर्गत एक लोकपाल प्रणाली विवादों की निगरानी कर सकती है और उत्तरदायित्व लागू कर सकती है।
- **राज्य-स्तरीय पहलों से सीख:** राजस्थान के प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम (2023) ने गिग वर्कर्स के लिये भारत का पहला कल्याण बोर्ड बनाया, जिससे सामाजिक सुरक्षा निधि एवं शिकायत प्रणाली सुनिश्चित हुई।
  - इन मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से क्षेत्र-विशिष्ट समाधान मिल सकते हैं, विशेषकर शहरी डिलीवरी कर्मचारियों, ग्रामीण प्लेटफॉर्म कर्मचारियों और महिला गिग कर्मचारियों के लिये।

निष्कर्ष:

गिग इकॉनॉमी को शोषण का माध्यम बनने के बजाय सशक्तीकरण का साधन बनाने के लिये, भारत को 3 'G' — Guarantee of fair wages and social security (उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी), Growth through skilling and upward mobility (कौशल विकास और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के माध्यम से विकास) तथा Grievance redressal for dignity at work (कार्यस्थल पर सम्मान के लिये शिकायत निवारण) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तभी गिग कर्मचारी डिजिटल श्रमिकों से आगे बढ़कर भारत के आर्थिक परिवर्तन के प्रेरक बन सकते हैं।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजव्यवस्था एवं शासन

प्रश्न : 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़े जाने की संवैधानिक वैधता तथा समकालीन प्रासंगिकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 42वें संशोधन (1976) और इसके द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़ने की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।
- प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल करने की संवैधानिक वैधता तथा समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- इस संदर्भ में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय संविधान की उद्देशिका इसका नैतिक दिशानिर्देश है, जो संविधान सभा के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है। ने कल्याण और धार्मिक तटस्थता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता कीआपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन (1976) स्पष्ट रूप से पुष्टि करने के लिये 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल किया। इससे संवैधानिक वैधता तथा समकालीन प्रासंगिकता, दोनों पर बहस छिड़ जाती है।

मुख्य भाग:

संवैधानिक वैधता

- स्वाभाविक रूप से पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान: 42वें संशोधन (1976) से पहले भी, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित थे।
  - **मूल अधिकार:** अनुच्छेद 14, 15, 16, 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और भेदभाव का निषेध करते हैं।
  - **नीति निदेशक तत्त्व (भाग IV):** धन के समान वितरण, सामाजिक न्याय और राज्य कल्याण जैसे समाजवादी लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **न्यायिक समर्थन:**
  - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) - पंथनिरपेक्षता और समाजवाद को मूल संरचना का हिस्सा माना गया, जो संसद की संशोधन शक्ति से परे है।
  - एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) - पंथनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता के रूप में पुन: स्थापित किया गया।
  - मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) - राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP)में समाजवादी उद्देश्य संविधान के मूलभूत अंग हैं।
  - बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024) - सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज़ कर दिया और कहा कि ये शब्द संविधान के अनुरूप हैं तथा पूरी तरह वैध हैं।

समकालीन प्रासंगिकता

- **समाजवादी:** यह मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से असमानता को कम करने और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिये राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - यह असमानता को कम करने के राज्य के कर्त्तव्य पर आधारित है, जो MGNREGA, शिक्षा का अधिकार और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में परिलक्षित होता है।
- **पंथनिरपेक्ष:** इसने सभी धर्मों के लिये समान सम्मान के सिद्धांत की पुष्टि की, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन किये बिना धार्मिक मामलों में तटस्थता/निष्पक्षता बनाए रखे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारतीय संविधान राज्य को भेदभाव को समाप्त करने और मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।
- **उदाहरणों में शामिल हैं:**
  - अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन।
  - समानता सुनिश्चित करने के लिये मंदिर प्रवेश और धार्मिक प्रथाओं में सुधार।
  - मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के माध्यम से तीन तलाक को अमान्य घोषित करना।

आलोचनाएँ

- ‘समाजवाद’ की अस्पष्टता: वर्ष 1991 के बाद से आर्थिक उदारीकरण और बाज़ार दक्षता पर बल शास्त्रीय समाजवादी लोकाचार को कमज़ोर करता है।
- **पश्चिमी अवधारणा:** कुछ आलोचकों का मानना है कि ‘पंथनिरपेक्षता’ और ‘समाजवाद’ भारत की सांस्कृतिक विरासत से नहीं, बल्कि पश्चिम से आयातित विचार हैं।
- **प्रक्रियात्मक चिंता:** उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया था (26 नवंबर 1949)। बाद में संशोधन कर उसमें शब्द जोड़ना इसकी मूल भावना में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है।
- **राजनीतिक दुरुपयोग:** उद्देशिका के आदर्शों का प्रयोग कभी-कभी नीतिगत गहराई के बजाय राजनीतिक बयानबाज़ी के लिये किया जाता है।
  - व्यवहार में संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिये धर्म आधारित ध्रुवीकरण, पक्षपातपूर्ण कानून-प्रयोग और सांप्रदायिक हिंसा इन मूल्यों की अवहेलना करते हैं।

निष्कर्ष:

वर्ष 1976 में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों का समावेश संवैधानिक रूप से मान्य तथा नैतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, परंतु इन शब्दों की शक्ति केवल उद्देशिका में लिखे होने में नहीं, बल्कि उन्हें नीति और आचरण में उतारने में है। इसके लिये आवश्यक है कि समाजवादी लक्ष्यों की व्याख्या स्पष्ट हो, संस्थाएँ मज़बूत हों, धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का सम्मान हो, न्यायपालिका संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा करे। यही भारत के लोकतंत्र, एकता और सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त बनाएगा।

प्रश्न : भारत के उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका की समीक्षा कीजिये। आकलन कीजिये कि यह पद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघीय व्यवस्था को बनाए रखने और उसे प्रोत्साहित करने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संक्षिप्त परिचय से उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत के उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका का परीक्षण कीजिये।
- आकलन कीजिये कि यह पद संघवाद को बनाए रखने और इसे बढ़ावा देने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अनुच्छेद 63-71 के तहत स्थापित भारत का उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है। हालाँकि इस पद के कार्यकारी अधिकार सीमित हैं, लेकिन इसका महत्त्व राज्यसभा के पदेन सभापति होने में निहित है, जो भारत के संघीय स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार, उपराष्ट्रपति की भूमिका संघीय लोकतंत्र के कामकाज को सीधे प्रभावित करती है।

मुख्य भाग:

संवैधानिक भूमिका

- **निर्वाचन और पद:** उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा (अनुच्छेद 66) किया जाता है, जो संसदीय सहमति का द्योतक है। वह राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 65) भी बनता है।
- **राज्यसभा का सभापति:** वाद-विवादों का नियमन करता है, व्यवस्था बनाए रखता है, नियमों की व्याख्या करता है तथा बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग (अनुच्छेद 100) करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **समितियों को संदर्भित करना:** अध्यक्ष के रूप में विधेयकों, प्रस्तावों और प्रस्तावों को विस्तृत विचार-विमर्श के लिये संसदीय समितियों के पास भेजकर एक प्रशासनिक भूमिका निभाता है।
- **राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति:** जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उनके कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन बंद कर देता है।

संघवाद में योगदान

- राज्यों की अभिव्यक्ति के संरक्षक– राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए उपराष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि, राज्यों की आवाज़ विधायी प्रक्रिया में सुनी जाये, विशेषकर संविधान संशोधन जैसे मामलों में (जैसे: वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, वर्ष 2016)।
- निष्पक्ष निर्णायक– उससे अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर उठकर संघ और राज्यों के हितों में संतुलन बनाए।
- शासन की निरंतरता– कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका आपात या अंतराल की स्थितियों के दौरान संघीय संरचना में स्थिरता प्रदान करती है।

सीमाएँ और चुनौतियाँ

- **पक्षपातपूर्ण निष्ठाएँ:** उपराष्ट्रपति प्राय: राजनीतिक रूप से अनुभवी (वरिष्ठ राजनेता) होता है, जिससे निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है।
  - किहोटो होलोहोन मामला (वर्ष 1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने सभापति की अयोग्यता घोषित करने की शक्ति को बरकरार रखा, परंतु यह रेखांकित करते हुए कि तटस्थता हमेशा नहीं मानी जा सकती, इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया।
- **सीमित संघीय प्रभाव:** राष्ट्रपति या राज्यपालों के विपरीत, उपराष्ट्रपति की केंद्र-राज्य संबंधों में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती; इसका प्रभाव वास्तविक के बजाय प्रक्रियात्मक होता है।
- **व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भरता:** इस पद की प्रभावशीलता संवैधानिक ढाँचे से अधिक पदाधिकारी की निष्पक्षता और व्यक्तित्व पर आधारित है।
- **राज्यसभा का घटता स्थान:** बार-बार व्यवधान और अवरोधों के कारण सार्थक संघीय विमर्श की गुंजाइश कम होती जा रही है।

निष्कर्ष:

राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, संघीय संतुलन और विचार-विमर्श के एक मंच के रूप में सदन की भूमिका को कायम रखता है। जैसा कि सुभाष कश्यप ने कहा है, राज्यसभा को 'परिपक्व पुनरीक्षण सदन' की भूमिका निभानी चाहिये, जो बहुमतवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए रखे। सभापति की निष्पक्षता को सुदृढ़ करना और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि यह पद सहकारी संघवाद को संरक्षित रखते हुए भारत की लोकतांत्रिक संरचना को और मज़बूत कर सके।

प्रश्न : "न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।" भारत में इस संतुलन को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
- न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक दबावों से मुक्त होकर मामलों का निर्णय करें, जबकि न्यायिक उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करती है कि वे संविधान और जनता के विश्वास के प्रति जवाबदेह रहें। दोनों ही विधि के शासन के लिये अपरिहार्य हैं। भारत की चुनौती यह है कि न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए व्यवस्था में अपारदर्शिता न बढ़े और जवाबदेही लागू करते समय राजनीतिक हस्तक्षेप न होने पाये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता

- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** अनुच्छेद 50, 124-147 और 214-231 न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाते हैं।
- **ऐतिहासिक निर्णय:**
    - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामला → न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्रता को मूल संरचना का हिस्सा बनाया गया।
    - एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) मामला → नियुक्तियों और स्थानांतरणों में स्वतंत्रता पर बल दिया गया।
- **जन विश्वास:** न्यायिक स्वतंत्रता मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उदाहरण के लिये, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले ने अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे का विस्तार किया।

न्यायिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता

- ऐसी व्यवस्था में मनमानी को रोकता है जहाँ न्यायाधीशों को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- जनहित याचिका का दुरुपयोग और न्यायिक अतिक्रमण आत्म-संयम की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- कदाचार के उदाहरण: न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1990 के दशक में महाभियोग का प्रयास) ने न्यायाधीशों को अनुशासित करने में कठिनाई दिखाई।
- जन अपेक्षाएँ: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जब उत्तरदायित्व कमज़ोर दिखाई देती है, तो न्यायपालिका में विश्वास कम हो जाता है।

स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की चुनौतियाँ

- **अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली:** सर्वोच्च न्यायालय के द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) ने न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली नियुक्ति प्रक्रिया बनाई जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई, लेकिन पारदर्शिता की कमी के लिये इसकी आलोचना की गई।
- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का फैसला (2015):** सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया, लेकिन इससे उत्तरदायित्व को लेकर चिंताएँ फिर से उभर आईं।
- **महाभियोग तंत्र:** बोझिल और शायद ही कभी प्रभावी।
- **न्यायिक अतिक्रमण:** न्यायिक अतिक्रमण तब देखने को मिलता है जब न्यायपालिका नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करती है। इससे उत्तरदायित्व को लेकर प्रश्न उठते हैं तथा शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक मर्यादा धुंधली हो जाती है। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2017 में राजमार्गों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध का निर्णय।
- **सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियाँ:** सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद न्यायाधीशों द्वारा आयोगों या राजनीति में पद ग्रहण करने से निष्पक्षता पर संदेह होता है।
- **लंबित मामले:** 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित होने (वर्ष 2024 के आँकड़े, NJDG) के साथ, समय पर न्याय के माध्यम से नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
- **बाह्य दबाव:** मीडिया ट्रायल और राजनीतिक टिप्पणियाँ स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकती हैं।

आगे की राह

- **पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली:** स्वतंत्रता को कम किये बिना व्यापक परामर्श और रिकॉर्ड-आधारित तर्क के साथ कॉलेजियम में सुधार किया जाना चाहिये।
- **न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक:** शिकायत निवारण और संपत्ति घोषणा के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- **आंतरिक नैतिकता तंत्र:** आवधिक समीक्षा के साथ आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- **डिजिटलीकरण और केस प्रबंधन:** उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिये न्याय प्रदान करने में तेज़ी (ई-कोर्ट, लंबित मामलों पर नज़र रखने के लिये NJDG) लाया जाना चाहिये।
- **कूलिंग-ऑफ अवधि:** निष्पक्षता बनाए रखने के लिये सेवानिवृत्ति के बाद के पदों के लिये अधिदेश।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शक्तियों का संतुलन:** विधायिका और कार्यपालिका को न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये जबकि न्यायपालिका को आत्म-संयम का अभ्यास करना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, ***"सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता गलत कामों से बचाव के लिये ढाल नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने का एक साधन है।"***

संक्षेप में, एक न्यायपालिका जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाती है, न केवल संविधान की रक्षा करती है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की नैतिक नींव को भी मज़बूत करती है।

प्रश्न : "संघ के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में भारत के महान्यायवादी सरकार के विधि-पालन की रक्षा सुनिश्चित करते हैं।" इस पद की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों तथा सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण

- महान्यायवादी (AGI) के पद और उसकी संवैधानिक स्थिति को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य, शक्तियाँ और भूमिका।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

भारत के महान्यायवादी (AGI), जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तथापि, इस पद की स्वतंत्रता तथा कार्यगत सीमाओं से संबंधित प्रश्न आलोचनात्मक परीक्षण को आमंत्रित करते हैं।

मुख्य भाग:

- **संवैधानिक दर्जा:**
  - **संवैधानिक स्थिति:** अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी को संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि सॉलिसिटर जनरल अथवा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वैधानिक पदाधिकारी होते हैं।
  - **योग्यता:** सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये योग्य होना आवश्यक है।
  - **कार्यकाल:** महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, इसके लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है।
  - **मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं:** कुछ देशों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन) में अटॉर्नी जनरल मंत्री होता है, किंतु भारत में महान्यायवादी मंत्री नहीं होता, हालाँकि उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
- **शक्तियाँ:**
  - **सरकार का विधिक सलाहकार:** राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधिक विषयों पर संघ को सलाह देता है (अनुच्छेद 76(2))।
  - **न्यायालय में प्रतिनिधित्व:** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होता है।
  - **संसदीय भूमिका:** संसद में उपस्थित होकर विचार प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है, यद्यपि मतदान का अधिकार नहीं होता (अनुच्छेद 88)।
  - **विविध:** संविधान के अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह का अधिकार) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किये गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- **सीमाएँ:**
  - **कोई कार्यकारी अधिकार नहीं:** मंत्रिपरिषद के निर्णय-निर्माण में भाग नहीं ले सकता।
  - **सरकारी संदर्भ पर निर्भरता:** स्वप्रेरणा से किसी विधिक विषय को नहीं उठा सकता।
  - **कोई निश्चित कार्यकाल या निष्कासन प्रक्रिया नहीं:** पूर्णत: कार्यपालिका पर निर्भरता इसके स्वतंत्र स्वरूप को कमज़ोर करती है।
  - **सलाहकारी प्रकृति:** सरकार उसकी सलाह को न मानने का विकल्प रखती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता घट जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- कोई निश्चित कार्यकाल या संवैधानिक सुरक्षा उपाय नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करता है।
- **व्यावसायिक आचरण पर प्रतिबंध:** उसे ऐसे मामलों में सलाह या पक्षकार के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिये जहाँ उसे भारत सरकार की ओर से सलाह या प्रतिनिधित्व करना हो।
  - उसे भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक अभियोजन में अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिये।

आलोचनात्मक परीक्षण

- **भूमिका और व्यवहार में विरोधाभास:** यद्यपि महान्यायवादी का संवैधानिक दायित्व विधि के शासन को सुदृढ़ करना है, व्यवहार में यह पद प्रायः न्यायालयों में सरकार के मुख्य रक्षक के रूप में कार्य करता है, जिससे निष्पक्ष विधिक संरक्षक की भूमिका सीमित हो जाती है।
- **निजी वकालत एवं हितों का टकराव:** महान्यायवादी को निजी वकालत की अनुमति होने से हितों के टकराव की संभावना बढ़ जाती है और इस पद की स्वतंत्रता में जनसामान्य का विश्वास कमज़ोर होता है।
- **तुलनात्मक दृष्टिकोण:** भारत में, यह मॉडल संस्थागत स्वतंत्रता पर कार्यकारी विश्वास को प्राथमिकता देता है, जिसमें कोई निश्चित कार्यकाल या पद की सुरक्षा नहीं होती।
  - इसके विपरीत, ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल इस सिद्धांत से बंधा है कि उसका अंतिम अंतिम उत्तरदायी पक्ष सरकार नहीं बल्कि स्वयं विधि है, जिससे संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही अधिक सुनिश्चित होती है।

महान्यायवादी की संस्थागत भूमिका को सुदृढ़ करना:

- **कार्यकाल की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** निश्चित कार्यकाल एवं संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने से महान्यायवादी को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त किया जा सकता है और उसकी स्वायत्तता को मज़बूत किया जा सकता है।
- **निजी वकालत का विनियमन:** निजी विधिक कार्यों पर प्रतिबंध अथवा कड़े पर्यवेक्षण से हितों के टकराव को कम किया जा सकता है और महान्यायवादी संविधानिक दायित्वों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- **भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन:** सलाहकार कार्य (संविधान का विधिक संरक्षक) और पक्षकार की भूमिका (सरकार का वादों में प्रतिनिधित्व) को स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिये। इसके लिये सॉलिसिटर जनरल प्रणाली को और सशक्त किया जा सकता है।
- **आचार संहिता एवं नैतिक दिशानिर्देश:** ब्रिटेन की लॉ ऑफिसर्स कन्वेंशन की भाँति ऐसा ढाँचा अपनाना, जिसमें कार्यपालिका की निष्ठा पर विधि और संविधान को वरीयता दी जाए, महान्यायवादी की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा।
  - भारत अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु तुलनात्मक मॉडलों (जैसे ब्रिटेन, कनाडा, तथा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से भी सीख ले सकता है।

निष्कर्ष

भारत का महान्यायवादी सरकार के पक्षकार और संविधान के प्रहरी होने के बीच एक संवेदनशील संतुलन का प्रतीक होता है। संवैधानिक विशेषज्ञ फली एस. नरीमन का मानना था कि महान्यायवादी का कर्तव्य संविधान के प्रति "अटूट निष्ठा" बनाए रखना है, न कि केवल समय-विशेष की सरकार का समर्थन करना।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : "छोटे गठबंधन, मूक लंगर की तरह, क्षेत्रीय बहुध्रुवीयता को स्थिर करते हैं।" एक बहुध्रुवीय होते विश्व में रणनीतिक संतुलन के दृष्टिकोण से भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत-EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) समझौते का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- इस समझौते के प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक आयामों पर चर्चा कीजिये।
- भारत-EFTA संबंधों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

परिचय:

स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन से मिलकर बना यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) एक छोटा लेकिन आर्थिक रूप से मज़बूत समूह है। भारत का रणनीतिक संतुलन किसी एक शक्ति केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये विविध आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को विकसित करने पर केंद्रित है। आकार में सीमित होने के बावजूद, EFTA की उच्च-तकनीकी अर्थव्यवस्थाएँ तेज़ी से बहुध्रुवीय होते विश्व में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिये एक 'मौन आधार' के रूप में काम कर सकती हैं।

मुख्य भाग:

इस समझौते के प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक आयाम:

- **रणनीतिक निवेश प्रतिबद्धता:** EFTA भारत में 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रारंभिक 10 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगा, जिससे 10 लाख रोज़गार सृजित होंगे।
- **बाज़ार अभिगम और टैरिफ रियायतें:**
  - EFTA देशों ने भारत को 92.2% टैरिफ लाइनों (शुल्क दरों) पर रियायत दी है, जो भारत के 99.6% निर्यात (गैर-कृषि और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद) को कवर करती हैं।
  - भारत ने EFTA देशों को 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है, जो EFTA के 95.3% निर्यात को कवर करता है, इसमें सोना भी शामिल है, लेकिन सोने पर प्रभावी शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  - भारतीय चावल (बासमती और गैर-बासमती दोनों) को इन देशों में बिना किसी पारस्परिक रियायत (Reciprocity) के शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा।
- **सुरक्षा उपाय और अपवर्जन:**
  - डेयरी, सोया, कोयला और PLI-लिंक्ड क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया है।
  - सॉवरेन वेल्थ फंड्स को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की बाध्यताओं से छूट दी गयी है।
- **सेवाएँ एवं गतिशीलता:**
  - IT, शिक्षा, संस्कृति और खेल में भारतीय सेवाओं का समर्थन करता है।
  - नर्सिंग, लेखा और स्थापत्य में पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRA) को सक्षम बनाता है।
- **विधिक कार्यढाँचा और बौद्धिक संपदा संरक्षण:**
  - निवेश लक्ष्य पूरे न होने पर भारत टैरिफ रियायतें वापस ले सकता है।
  - जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को संरक्षण प्राप्त है; पेटेंट की एवरग्रीनिंग (निरंतर विस्तार) की प्रक्रिया को रोका गया है।

भारत-EFTA संबंधों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **निरंतर व्यापार घाटा:** भारत को EFTA देशों के साथ भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण स्विट्ज़रलैंड से बड़े पैमाने पर सोने का आयात है।
- **डेटा विशिष्टता और जन स्वास्थ्य:** EFTA द्वारा फार्मा में डेटा विशिष्टता की माँग भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में बाधा बन सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **TEPA के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी चिंताएँ:** TEPA में IPR से जुड़े प्रावधान भारत की पेटेंट प्रणाली की

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सुरक्षा को कमज़ोर कर सकते हैं। इससे पूर्व-स्वीकृति आपत्ति (Pre-grant opposition) और घरेलू उत्पादन की शर्तों पर असर पड़ सकता है।

आगे की राह

- मूल्यवर्द्धित निर्यात और विविध व्यापार बास्केट के माध्यम से व्यापार घाटे को कम किया जाना चाहिये।
- स्वच्छ तकनीक, संवहनीयता और हरित परिवर्तन के लिये कौशल में EFTA विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाना चाहिये।
- नवाचार और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिये संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) बनाए रखना चाहिये।
- नियामक संरेखण को बढ़ाने, गैर-टैरिफ बाधाओं (NTB) से निपटने और आपूर्ति शृंखला की समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने के लिये भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का लाभ उठाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेफ नाई के अनुसार, ***"इक्कीसवीं सदी में शक्ति, नियंत्रण से कम और जुड़ाव से अधिक जुड़ी हुई है।"*** भारत और यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ (EFTA) की साझेदारी भले ही सीमित स्तर की हो, लेकिन यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक मौन संतुलन बनाए रखने वाली ताकत के रूप में कार्य करती है। यह रणनीतिक संतुलन, आर्थिक विविधीकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देती है, बशर्ते व्यापार असंतुलन, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी चिंताओं एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा उपायों का दूरदर्शिता के साथ समाधान किया जाये।

प्रश्न : "रणनीतिक स्वायत्तता अब गुटनिरपेक्षता नहीं, बल्कि बहु-संरेखण बन गई है।" चर्चा कीजिये कि भारत किस प्रकार ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य का नेतृत्व करते हुए पश्चिमी देशों के साथ सहयोग को गहरा कर सकता है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- रणनीतिक स्वायत्तता को परिभाषित कीजिये तथा गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन तक इसके विकास का वर्णन कीजिये।
- ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग पर चर्चा कीजिये।
- दोनों विचारों के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

रणनीतिक स्वायत्तता, जो कभी नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता का पर्याय मानी जाती थी, 21वीं सदी में विकसित होकर 'बहु-संरेखण' के रूप में सामने आयी है। इसका आशय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से है, जिसमें भारत विविध शक्ति–केंद्रों के साथ एक साथ जुड़कर कार्य करता है। आज भारत का प्रयास है कि वह एक ओर 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व को सशक्त बनाये तथा दूसरी ओर व्यापार, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी साझेदारों के साथ गहन सहयोग स्थापित करे।

मुख्य भाग:

ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत

- **आर्थिक विकास और व्यापार प्रभाव:**
  - भारत दक्षिण-दक्षिण व्यापार और आर्थिक विकास में एक प्रमुख अभिकर्त्ता है।
  - ग्लोबल साउथ के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है, अफ्रीका के साथ व्यापार वर्ष 2001 में 5 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 90 अरब डॉलर हो गया है।
  - भारत वर्ष 2024 में 20.22 अरब डॉलर के साथ लैटिन अमेरिका को वस्तुओं का सातवाँ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता था, जो उसकी बढ़ती आर्थिक साझेदारियों को दर्शाता है।
- **जलवायु न्याय:**
  - COP शिखर सम्मेलनों में 'साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों' की अनुशंसा करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ज़ोर देता है।
- उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)– 110 से अधिक देशों को एकजुट करता है, जिनमें से अधिकतर ग्लोबल साउथ से हैं।

- **विकास साझेदारियाँ:**
  - भारत ने 160 से अधिक देशों को 32 अरब डॉलर की ऋण सीमाएँ (विदेश मंत्रालय के आँकड़े) प्रदान कीं।
  - वैक्सीन मैत्री जैसी पहल: 100 से अधिक देशों को 25 करोड़ कोविड-19 खुराकें प्रदान कीं।
  - क्षमता निर्माण पर ध्यान: ITEC कार्यक्रम सालाना 14,000 पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है।
- **तकनीकी और डिजिटल नवाचार:**
  - आधार और UPI के माध्यम से भारत की डिजिटल छलांग ने इसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वैश्विक अग्रणी बना दिया है।
  - UPI के माध्यम से इसके वित्तीय समावेशन मॉडल ने ग्लोबल साउथ के 12+ देशों को इसी तरह की प्रणालियाँ अंगीकरण के लिये प्रेरित किया है।
- **संस्थागत सुधार:**
  - विकासशील देशों को शामिल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की अनुशंसा।
  - खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिये विश्व व्यापार संगठन में सुधारों को बढ़ावा (जैसे: MSP और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर भारत का रुख)।
  - वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वर्ष 2023) का नेतृत्व किया, जिसमें 125 देशों को एक साथ लाया गया।

पश्चिम के साथ प्रगाढ़ होते संबंध

- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:**
  - **यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता:** वार्ता फिर से शुरू; वर्तमान 115 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद।
  - **भारत-अमेरिका व्यापार:** सत्र 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष 131.84 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा।
  - **भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता:** बाजार पहुँच और निवेश का विस्तार करने पर सहमति।
  - **भारत-EFTA TEPA:** व्यापार और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ समझौता संपन्न।
- **रक्षा सहयोग:**
  - अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ QUAD साझेदारी हिंद-प्रशांत सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
  - रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग: GE इंजन सह-उत्पादन, ब्रह्मोस निर्यात।
  - रूस से सबसे बड़ा रक्षा आयात— लेकिन अमेरिका, फ्राँस और इज़रायल के साथ विविधीकरण जारी है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार**
  - AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर में महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (iCET) पर भारत-अमेरिका पहल।
  - 5G रोलआउट और साइबर सुरक्षा में सहयोग।
  - अंतरिक्ष सहयोग: आर्टेमिस समझौते, NASA-ISRO NISAR मिशन।

दोनों पक्षों में संतुलन की चुनौतियाँ

- **रूस-यूक्रेन युद्ध:** पश्चिम प्रतिबंधों पर जोर दे रहा है; भारत ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए तटस्थता बनाए रखता है।
- **व्यापार विवाद:** टैरिफ, डिजिटल संप्रभुता को लेकर अमेरिका की चिंताएँ।
- **जलवायु दबाव:** पश्चिम 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन पर ज़ोर दे रहा है, लेकिन भारत विकास की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2070 तक इसे लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** BRICS एकजुटता बनाए रखते हुए QUAD के साथ तालमेल बिठाना।

आगे की राह:

- **दोहरी कूटनीति:** QUAD/BRICS/IBSA को बनाए रखते हुए वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ को वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में संस्थागत बनाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आर्थिक कूटनीति:** दक्षिण-दक्षिण व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये; साथ ही यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता करनी चाहिये।
- **तकनीक और विकास:** ग्लोबल साउथ के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI, CoWIN मॉडल) साझा किया जाना चाहिये; पश्चिम के साथ अग्रणी तकनीक का सह-विकास करना चाहिये।
- **सुधारित बहुपक्षवाद:** ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए UNSC, WTO, IMF सुधारों के अभियान का नेतृत्व करना चाहिये।

निष्कर्ष:

पश्चिम के साथ रणनीतिक जुड़ाव बनाए रखते हुए ग्लोबल साउथ में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए, भारत को कई वैश्विक संबंधों में कुशलता से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सटीक रूप से कहा है, ***"यह हमारे लिये अमेरिका से जुड़ने, चीन को प्रबंधित करने, यूरोप को साधने, रूस को आश्वस्त करने, जापान को शामिल करने, पड़ोसियों को शामिल करने, पड़ोस का विस्तार करने और समर्थन के पारंपरिक क्षेत्रों का विस्तार करने का समय है।"***

प्रश्न : भारत-अफ्रीका साझेदारी ऐतिहासिक एकजुटता और समकालीन डिजिटल, व्यापार तथा जलवायु सहयोग की समकालीन माँगों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इस संतुलन को संस्थागत रूप देने में अवसरों तथा चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण

- भारत-अफ्रीका संबंधों के इतिहास और भविष्य की संभावनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
- संबंधित संस्थाओं, ऐतिहासिक सहयोग, चुनौतियों, अवसरों और आगे की राह लिखिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

भारत-अफ्रीका संबंध उपनिवेशवाद के विरुद्ध साझा संघर्ष, दक्षिण–दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) जैसे मंचों के माध्यम से प्रदर्शित एकजुटता में गहराई से निहित हैं। समय के साथ, यह साझेदारी व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और जलवायु कार्रवाई सहित एक रणनीतिक, बहुआयामी संबंध में विकसित हुई है।

मुख्य भाग:

- **ऐतिहासिक एकजुटता**
  - **उपनिवेशवाद-विरोधी बंधन:** महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा दक्षिण अफ्रीका में शुरू की, जिससे स्वतंत्रता आंदोलनों में नैतिक संबंध बने।
  - **अफ्रो-एशियाई एकजुटता:** बांदुंग सम्मेलन (1955), गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और दक्षिण–दक्षिण सहयोग ने उपनिवेशवाद और शीत युद्ध ब्लॉकों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने।
  - **जनता से जनता के संबंध:** 46 अफ्रीकी देशों में 2–3 मिलियन भारतीय डायस्पोरा सांस्कृतिक निकटता और भारत की मृदु शक्ति (सॉफ्ट पावर) को सुदृढ़ करता है।
- **डिजिटल सहयोग**
  - भारत की डिजिटल पब्लिक गुड्स (UPI, आधार, CoWIN, DigiLocker) में विशेषज्ञता अफ्रीका की ICT में तेज़ी से उन्नति की क्षमता के अनुरूप है।
  - **उदाहरण:**
    - भारत का रवांडा के डिजिटल आईडी सिस्टम के लिये समर्थन।
    - पैन-अफ्रीका ई-नेटवर्क का विस्तार ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती (टेली-शिक्षा और टेली-चिकित्सा) में।
    - वित्तीय समावेशन के लिये नामीबिया में UPI लॉन्च।
- **व्यापार और निवेश सहयोग**
  - **आर्थिक पूरकता:** अफ्रीका के संसाधन + भारत की ऊर्जा, खनिज और कृषि में मांग।
  - **व्यापार:** 2022–23 में 98 बिलियन डॉलर, जिससे भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना।
  - **निवेश:** 70+ बिलियन डॉलर FDI, विशेष रूप से टेलीकॉम (Bharti Airtel), कृषि और विनिर्माण में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- **नीति समर्थन:** 33 LDC के लिये ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्राथमिकता; फार्मा आपूर्ति (भारत अफ्रीका की जेनेरिक दवाओं का 20% प्रदान करता है)।

- **जलवायु और हरित सहयोग**
  - **साझा संवेदनशीलताएँ:** अफ्रीका में सूखा; भारत में बाढ़ और हीटवेव।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** 30+ अफ्रीकी सदस्य; अफ्रीकी सौर परियोजनाओं के लिये भारत ने 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
    - **उदाहरण:** मोज़ाम्बिक और यूगांडा में भारतीय सहायता से सौर विद्युत परियोजनाएँ।

चुनौतियाँ

- **भूराजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा:** चीन की BRI तेज़ वित्तपोषण और दृष्टिगोचर अवसंरचना प्रदान करती है; भारत की पहलें पैमाने में पीछे हैं।
- **संस्थागत कमज़ोरी:** भारत–अफ्रीका फोरम समिट (IAFS) 2015 के बाद नहीं हुई, चीन के FOCAC की तरह कोई स्थायी तंत्र नहीं।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** माली, नाइजर, सूडान में तख्तापलट चल रहे परियोजनाओं को बाधित करते हैं।
- **व्यापार अवरोध:** लॉजिस्टिक्स की समस्याओं के कारण व्यापार संभावित स्तर से कम है।
- **क्षमता अंतर:** LoC परियोजनाओं (जैसे इथियोपिया में रेलवे, केन्या में शुगर प्लांट) में निष्पादन में देरी भारत की विश्वसनीयता को कम करती है।

आगे की राह

- **संवाद तंत्र को संस्थागत बनाना:** IAFS को प्रत्येक 3 वर्ष में नियमित रूप से आयोजित किया जाना और स्थायी सचिवालय स्थापित करना।
- **डिजिटल साझेदारी को सशक्त बनाना:** फिनटेक और ई-गवर्नेंस का विस्तार करने के लिये भारत-अफ्रीका डिजिटल फंड लॉन्च करना।
- **मानव संसाधन विकास को बढ़ाना:** ITEC, व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना और डायस्पोरा नेटवर्क का लाभ उठाना।
- **बहुपक्षीय सुधारों के लिये संयुक्त समर्थन:** संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुधार और न्यायसंगत जलवायु वित्त के लिये प्रयास करना।

निष्कर्ष

"जब दो सभ्यताएँ जो कभी वर्चस्व का विरोध करती थीं, एक साथ आगे बढ़ती हैं, तो वे न केवल इतिहास को दोहराती हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में न्याय और समानता के भविष्य को भी आकार देती हैं।" ऐतिहासिक एकजुटता को डिजिटल, व्यापार और जलवायु सहयोग जैसे आधुनिक स्तंभों के साथ मिलाकर, भारत और अफ्रीका मिलकर एक न्यायसंगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बना सकते हैं और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को फिर से सुदृढ़ कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : "प्रगति की राहों में अस्पृश्यता की छाया अभी भी मंडरा रही है।" हाथ से मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के मुद्दे के संक्षिप्त परिचय से शुरुआत कीजिये।
- हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध कानूनों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।
- पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हालाँकि संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और हाथ से मैला ढोने वालों के रोज़गार पर रोक तथा उनके पुनर्वास के लिये 2013 के अधिनियम ने इस प्रथा को अपराध घोषित किया है, फिर भी वर्ष 2021 में 58,098 पहचाने गए हाथ से मैला ढोने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वाले (जिनमें 75% महिलाएँ हैं) श्रमिक यह दर्शाते हैं कि अस्पृश्यता की छाया नए रूपों में आज भी बनी हुई है।

मुख्य भाग:

हाथ से मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध कानूनों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:**
  - **जातिगत कलंक (Caste-based stigma):** यह प्रथा अब भी दलित समुदायों से संबंधित है, जिससे सामाजिक पदानुक्रम और रूढ़िवादिता के कारण इसे समाप्त करना कठिन है।
  - **अनौपचारिक प्रणालियों पर निर्भरता (Dependence on informal systems):** स्थानीय निकाय अक्सर सीवेज, नालियों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिये मैनुअल श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं, भले ही मैकेनाइजेशन के प्रयास किये गए हों।
  - **कमज़ोर निगरानी तंत्र (Weak monitoring mechanisms):** कार्यान्वयन नगरपालिकाओं के पास है, लेकिन निगरानी कमज़ोर बनी हुई है।
- **वित्तीय बाधाएँ:**
  - **अपर्याप्त आवंटन (Insufficient allocation):** हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोज़गार योजना (Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers- SRMS) जैसी योजनाओं के लिये बजट बहुत कम है।
  - **विलंबित मुआवज़ा (Delayed compensation):** *सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ (2014)* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, जो सीवर मौतों के लिये ₹10 लाख मुआवज़े की मांग करते हैं, विलंब और कम रिपोर्टिंग आम है।
- **नियामक कमजोरियाँ:**
  - **मामलों की कम रिपोर्टिंग (Under-reporting of cases):** कई राज्यों में सरकारी आंकड़े "शून्य हाथ से मैला ढोने वाले" दिखाते हैं, जबकि सफाई कर्मचारी आंदोलन जैसी NGO हज़ारों की संख्या उजागर करती हैं।
  - **उत्तरदायित्व की कमी (Accountability deficit):** हाथ से मैला ढोने वालों को काम पर रखने वाले अधिकारियों या ठेकेदारों/संविदाकारों के विरुद्ध दुर्लभ मामलों में ही अभियोजन किया जाता है।
  - **विभाजित नीतिगत ढाँचा (Fragmented policy framework):** स्वच्छता, श्रम एवं सामाजिक न्याय मंत्रालयों की ज़िम्मेदारियाँ ओवरलैप करती हैं और स्पष्ट ज़िम्मेदारी का अभाव रहता है।

पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता

- **सफलताएँ:**
  - **विधिक कार्यढाँचा:** वर्ष 2013 के अधिनियम ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अपराध घोषित किया, जिससे निवारक प्रभाव उत्पन्न हुआ।
  - **NAMASTE योजना (वर्ष 2022) और सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:** मैकेनाइज़ेशन को बढ़ावा दिया गया, जिससे सीधे मानव प्रवेश की आवश्यकता कम हुई।
  - **तकनीकी नवाचार:** बैंडिकूट रोबोट और वैक्यूम ट्रक जैसे उपकरण कई शहरों में तैनात किये गए।
  - **कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएँ:** स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY), पूर्व अधिगम की मान्यता (Recognition of Prior Learning- RPL) और SRMS जैसी योजनाओं ने वैकल्पिक रोज़गारों का सृजन किया।
  - **जागरूकता अभियान:** राष्ट्रीय गरिमा अभियान ने सामाजिक कलंक कम किया और गरिमा को बढ़ावा दिया।
  - **संस्थागत तंत्र:** *राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों आयोग* (National Commission for Safai Karamcharis) ने निगरानी और शिकायत निवारण को सुदृढ़ किया।
- **सीमाएँ:**
  - **सीमित कवरेज:** 2021 के आँकड़ों के अनुसार, केवल लगभग 58,000 हाथ से मैला ढोने वाले पहचाने गए हैं, जबकि स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार संख्या कहीं अधिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रोज़गार में विविधता की कमी:** कई प्रशिक्षित श्रमिक सामाजिक कलंक और नई क्षमताओं की मांग की कमी के कारण स्थायी रोज़गार प्राप्त करने में असफल रहते हैं।
- **अपर्याप्त पुनर्वास समर्थन:** प्रशासनिक और नौकरशाही बाधाओं के कारण पुनर्वास के लाभ अक्सर व्यवहार में नहीं बदल पाते।

आगे की राह

- **तकनीकी विकल्प (Technological substitution):** मैकेनाइज़्ड सफाई उपकरणों का व्यापक विस्तार किया जाना चाहिये तथा नगरपालिकाओं (ULB) का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **सख्ती से प्रवर्तन (Stringent enforcement):** हाथ से मैला ढोने वालों को काम पर रखने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के लिये आपराधिक ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिये।
- **समग्र पुनर्वास (Holistic rehabilitation):** केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर सामाजिक समावेशन, क्रेडिट सहायता और परिवारों की शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **जागरूकता अभियान (Awareness campaigns):** जाति-संवेदनशील प्रशिक्षण और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- **स्वतंत्र निगरानी (Independent monitoring):** नागरिक समाज और NHRC को प्रभावी निगरानी एवं शिकायत निवारण के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा, ***"Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy** अर्थात् **राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।"*** हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा का लगातार विद्यमान रहना यह दर्शाता है कि विधिक सुरक्षा के बावजूद सामाजिक लोकतंत्र की सीमाएँ हैं। वास्तविक प्रगति केवल कानूनों और योजनाओं तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि गरिमा, मैकेनाइज़ेशन और व्यापक सामाजिक सुधार के माध्यम से ही इस अमानवीय प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारत के असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में मौजूद संरचनात्मक, वित्तीय और विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये, साथ ही इसके रोज़गार सृजन की क्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता की भी विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के अनौपचारिक क्षेत्र को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- भारत के अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में संरचनात्मक, वित्तीय और नियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।
- इसकी रोज़गार सृजन क्षमता को बनाए रखने हेतु उपाय सुझाइये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अनौपचारिक रोज़गार आमतौर पर उन श्रमिकों को संदर्भित करता है, जो ऐसे कार्यों में कार्यरत हैं जहाँ उन्हें प्रचलित श्रम कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। नीति आयोग (2021) के अनुसार , भारत का लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है। भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना उत्पादकता, कल्याण और राजस्व के लिये आवश्यक है, किंतु इसे सुव्यवस्थित ढंग से न करने पर संरचनात्मक, वित्तीय और नियामक बाधाएँ आजीविका को ये जोखिम भरा बना देती हैं।

मुख्य भाग:

संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **विखंडित उद्यम संरचना:**
  - **अधिकांशत:** सूक्ष्म एवं नैनो उद्यम, जिनकी पूँजी गहनता कम तथा लाभ सीमित होता है, अनुपालन की *निश्चित लागतों* को वहन करने से बचते हैं। इनमें से अनेक कंपनियाँ उप-ठेका शृंखलाओं पर कार्य करती हैं, जिससे प्रत्यक्ष नियमन जटिल हो जाता है।
  - ये उद्यम भौगोलिक रूप से बिखरे हुए और दस्तावेज़ीकरण में कमज़ोर होते हैं, जिससे इन्हें ई-श्रम जैसे प्लेटफॉर्म पर शामिल करना कठिन होता है। हालाँकि अब तक 29 करोड़ श्रमिक पंजीकृत किये गए हैं, फिर भी बड़ी संख्या श्रमिक अभी भी वंचित हैं।
- **गतिविधियों की विषमता:**
  - असंगठित क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग, निर्माण कार्य, घरेलू विनिर्माण, घरेलू श्रम तथा प्लेटफॉर्म आधारित कार्य सम्मिलित हैं। अत: एकल नीतिगत उपकरण इन सभी पर लागू नहीं हो सकता।
- **निम्न उत्पादकता और कौशल-अंतराल:**
  - असंगठित श्रमिक प्राय: प्रशिक्षण से वंचित होते हैं, जिससे औपचारिक उद्यमों में उनका संक्रमण कठिन हो जाता है।
  - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2022-23 के अनुसार, 60% से अधिक अनौपचारिक श्रमिक अल्प-कुशल व्यवसायों में लगे हुए हैं।
- **डिजिटल विभाजन:**
  - पंजीकरण और अनुपालन हेतु डिजिटल पोर्टल पर निर्भरता उन श्रमिकों को बाहर कर देती है जिनके पास स्मार्टफोन अथवा इंटरनेट साक्षरता का अभाव है।

वित्तीय चुनौतियाँ

- **ऋण संबंधी बाधाएँ:**
  - असंगठित उद्यम प्राय: साहूकारों पर निर्भर रहते हैं; औपचारिक बैंकिंग की पहुँच सीमित है। मुद्रा योजना (2015) के अंतर्गत 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरित किये गए, फिर भी अनेक उधारकर्त्ता छोटे-छोटे ऋणों में ही फँसे हुए हैं।
- **अनुपालन की लागत**
  - GST रिटर्न दाखिल करना अथवा डिजिटल लेखांकन बनाए रखना सूक्ष्म उद्यमियों के लिये महँगा साबित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- विश्व बैंक की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, कई बार अनुपालन की लागत संभावित लाभ से अधिक हो जाती है।
- **कर भार का भय:**
  - अनेक श्रमिकों को आशंका है कि औपचारीकरण से करों में वृद्धि होगी और पेंशन या स्वास्थ्य-सेवा जैसे लाभ अनुपातिक रूप से नहीं मिलेंगे।
- **सामाजिक सुरक्षा का वित्तपोषण:**
  - EPFO अथवा ESIC जैसे लाभों का विस्तार, राजकोष और छोटे उद्यम, दोनों पर दबाव डालता है, जिसके कारण कुछ इकाइयाँ पंजीकरण से बचती हैं।

नियामक चुनौतियाँ

- **विधिक प्रावधानों की जटिलता:**
  - यद्यपि 2020 में श्रम संहिताओं (Labour Codes) के रूप में एकीकरण हुआ है, फिर भी राज्य-स्तरीय नियमों में असंगति भ्रम उत्पन्न करती है।
- **नौकरशाही बाधाएँ:**
  - लंबी पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया छोटे उद्यमों को औपचारिक ढाँचे में आने से हतोत्साहित करती है।
- **कमज़ोर प्रवर्तन:**
  - कमज़ोर निगरानी के कारण असंगठित श्रमिक अब भी कानूनी सुरक्षा से बाहर रहते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका है।
- **श्रमिक संरक्षण बनाम नियोक्ता व्यवहार्यता**
  - कठोर श्रम नियम सूक्ष्म उद्यमों को हतोत्साहित करते हैं, जिससे वे अनुपालन-लागत से बचने हेतु असंगठित ही बने रहते हैं।

भारत में असंगठित क्षेत्र के औपचारीकरण हेतु सरकारी पहलें

- **उद्यम पंजीकरण:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को औपचारिक पहचान प्रदान करता है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** कर क्रेडिट के माध्यम से पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY):** सरकार नई नियुक्तियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हिस्से का भुगतान करती है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM):** असंगठित श्रमिकों के लिये पेंशन योजना।
- **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi):** रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराती है।
- **मुद्रा योजना (MUDRA):** संपार्श्विक (collateral-free) ऋण प्रदान करती है।
- **श्रम संहिताएँ (2019-20):** नियामकीय ढाँचे को समेकित और सरलीकृत किया।

औपचारीकरण के साथ रोज़गार क्षमता का संरक्षण

- चरणबद्ध एवं प्रोत्साहन-आधारित औपचारिकीकरण- सूक्ष्म व्यवसायों के लिये कर छूट, ऋण पहुँच और सरलीकृत जीएसटी स्लैब।
- कौशल विकास- अनौपचारिक श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत अनुकूलित कार्यक्रम।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और पहुँच: *ई-श्रम पोर्टल* को और सशक्त बनाना तथा लाभों की *राज्य-स्तरीय पोर्टेबिलिटी* सुनिश्चित करना।
- क्लस्टर-आधारित मॉडल - एमएसएमई क्लस्टर अनुपालन लागत को कम कर सकते हैं। उदाहरण: तिरुपुर टेक्सटाइल क्लस्टर ने सरलीकृत मानदंड और मशीनीकरण अपनाया।
- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव- ब्राजील के SIMPLES कानून ने सूक्ष्म उद्यमों के लिये करों को सरल बना दिया, जिससे रोज़गार को नुकसान पहुँचाए बिना अनुपालन को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष:

भारत के असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन है। जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि विकास से ***स्वतंत्रता और सुरक्षा*** दोनों में वृद्धि होनी चाहिये। अत: औपचारीकरण ऐसा हो, जो श्रमिकों को गरिमा और सुरक्षा प्रदान करे, न कि उनकी रोज़गार क्षमता को क्षीण करे। इस दिशा में *संतुलित, समावेशी और प्रोत्साहन-आधारित दृष्टिकोण* ही आगे की राह है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "देखभाल कार्य अर्थव्यवस्था का अदृश्य ढाँचा है।" देखभाल कार्य को मान्यता देने और उसे एकीकृत करने से श्रम बाज़ारों में किस प्रकार बदलाव लाया जा सकता है तथा महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) किस प्रकार बढ़ सकती है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- देखभाल कार्य और उसकी आर्थिक अदृश्यता को परिभाषित कीजिये।
- व्याख्या कीजिये कि समावेशी श्रम बाज़ारों के लिये देखभाल कार्य को मान्यता देना किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

देखभाल कार्य—चाहे वह अवैतनिक हो (जैसे: घरेलू कामकाज, बच्चों का पालन-पोषण, बुज़ुर्गों की देखभाल) या वेतनभोगी हो (जैसे: घरेलू कामगार, केयरगिवर, नर्स)—अर्थव्यवस्था की छिपी हुई रीढ़ हैं। फिर भी, श्रम सांख्यिकी में इसे कम करके आँका जाता है और यह अदृश्य बना हुआ है। भारत में महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 299 मिनट अवैतनिक देखभाल कार्य में व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष केवल 97 मिनट (NSSO समय उपयोग सर्वेक्षण, 2019)। यह असंतुलन प्रत्यक्ष रूप से महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को प्रभावित करता है, जो वर्ष 2023-24 में केवल 41.7% है (PLFS)।

मुख्य भाग:

अदृश्य ढाँचे के रूप में देखभाल कार्य

- **आर्थिक अदृश्यता:** मानव पूँजी निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखा गया।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2018) के अनुसार, विश्व भर में 76.2% अवैतनिक देखभाल कार्य महिलाएँ करती हैं और यदि इसे मुद्रीकृत किया जाए तो यह सालाना लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दे सकता है।
- **उत्पादकता का आधार:** परिवारों को सहारा देकर पुरुष-प्रधान औपचारिक कार्यबल में भागीदारी को सक्षम बनाता है।
  - मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के अवैतनिक कार्य को कम करने और समान भागीदारी सुनिश्चित करने से वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
- **लिंग आधारित आयाम:** इसे महिलाओं का 'स्वाभाविक कर्त्तव्य' माना जाता है, जो रूढ़िवादिता को मज़बूत करता है तथा श्रम बाज़ार में उनके प्रवेश को सीमित करता है।
  - ILO का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देखभाल अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन नौकरियों का सृजन हो सकता है।

मान्यता: देखभाल कार्य श्रम बाज़ारों को नया रूप दे सकता है

- **औपचारिक देखभाल अर्थव्यवस्था में नौकरियों का सृजन करना:**
  - बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों का विस्तार।
  - ICDS और राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत आँगनवाड़ी, शिशुगृह और सामुदायिक बाल देखभाल का विस्तार।
- **देखभाल कार्य का पुनर्वितरण:**
  - पितृत्व अवकाश और लचीली कार्य नीतियों को प्रोत्साहित करने से अवैतनिक देखभाल ज़िम्मेदारियों का पुनर्वितरण हो सकता है।
  - उदाहरण: स्वीडन के साझा अभिभावकीय अवकाश ने कार्यस्थलों में लैंगिक समानता में सुधार किया है।
- **महिला LFPR में वृद्धि:**
  - किफायती बाल देखभाल तक पहुँच महिलाओं को औपचारिक रोज़गार के लिये स्वतंत्र बनाती है।
    - देखभाल संबंधी खर्चों पर कर छूट का विस्तार और कॉर्पोरेट कंपनियों को कार्यस्थल पर क्रेच (जो पहले से ही प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत अनिवार्य है) प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन।
  - घरेलू कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक देखभालकर्त्ताओं को श्रम बाज़ारों में एकीकृत करती है।
    - ई-श्रम पोर्टल और घरेलू कामगार कल्याण बोर्ड जैसी योजनाएँ पेंशन, बीमा एवं न्यूनतम मज़दूरी का विस्तार कर सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- नॉर्डिक देश सार्वभौमिक बाल देखभाल प्रदान करते हैं, जिससे महिलाओं के लिये LFPR 70% से अधिक तक बढ़ जाता है।
- **कौशल विकास और व्यावसायिकीकरण:**
    - कौशल भारत मिशन के तहत देखभालकर्त्ताओं, नर्सों और घरेलू सहायकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।
    - देखभालकर्त्ताओं की वैश्विक माँग, विशेष रूप से जापान और यूरोप जैसे वृद्ध आबादी वाले देशों में, भारतीय महिलाओं के लिये प्रवास के अवसर खोल सकती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा था, ***"लैंगिक असमानता एक व्यापक कारक है जो कई अलग-अलग तरीकों से और विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है।"*** इस प्रकार, देखभाल कार्य को मान्यता देना कोई दान का कार्य नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय का मामला है। श्रम बाज़ारों में देखभाल को एकीकृत करके, भारत महिला श्रम बल प्रतिशत (LFPR) को बढ़ा सकता है तथा अपने जनांकिक लाभांश को प्राप्त कर सकता है।

जैवविविधता एवं पर्यावरण

प्रश्न : "अनियंत्रित प्रगति का पहला शिकार नदी की शुद्धता होती है।" भारत में नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिये प्रभावी अपशिष्ट जल शोधन लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अनियंत्रित आर्थिक प्रगति के बीच भारत में नदी प्रदूषण के मुद्दे का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में नदी प्रदूषण की प्रकृति पर चर्चा कीजिये।
- अपशिष्ट जल शोधन के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

तीव्र आर्थिक विकास की दौड़ में, भारत की नदियाँ शहरी विस्तार, औद्योगिक विस्तार और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की उपेक्षा का खामियाज़ा भुगत रही हैं। CPCB के एक अध्ययन (2018) के अनुसार, 323 नदियों में 351 नदी खंडों में से 13% गंभीर रूप से प्रदूषित थे और 17% मध्यम रूप से प्रदूषित थे। कई सरकारी हस्तक्षेपों के बावजूद, कई प्रणालीगत मुद्दों के कारण प्रभावी अपशिष्ट जल शोधन की चुनौती बनी हुई है।

मुख्य भाग :

भारत में नदी प्रदूषण की प्रकृति

- भारत में नदियाँ घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और कृषि अपवाह के मिश्रण से प्रदूषित होती हैं। इसका मुख्य कारण अशोधित अपशिष्ट जल है।
- भारत शहरी केंद्रों से उत्पन्न कुल सीवेज का केवल 28% का ही शोधन करता है (CPCB, 2021)।
- शहरी केंद्रों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 72,368 मिलियन लीटर (MLD) सीवेज में से, वास्तविक शोधन केवल 20,236 MLD (CPCB, 2021) है।
- गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ सबसे प्रदूषित हैं, जिनके कई हिस्सों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) का स्तर सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है।

प्रभावी अपशिष्ट जल शोधन को लागू करने में चुनौतियाँ

- **औद्योगिक प्रदूषण:** कपड़ा, चर्मशोधन और रसायन जैसे उद्योग गंगा (कानपुर), यमुना (दिल्ली) एवं दामोदर (झारखंड) जैसी नदियों में विषाक्त अपशिष्ट (जैसे: सीसा, पारा, आर्सेनिक) निर्मुक्त करते हैं।
    - कई कारखाने अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (ETP) की उपेक्षा करते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, प्राय: नियामक मानदंडों को गलत तरीके से पूरा करने के लिये अपशिष्ट को तनु कर देते हैं।
- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना:**
    - कई शहरों में पर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) नहीं हैं या पुरानी सुविधाएँ हैं।
    - उदाहरण: वर्ष 2023 में, राष्ट्रीय राजधानी में 60% से अधिक STP, यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिये NGT द्वारा अनिवार्य किये जाने के बावजूद, प्रमुख प्रदूषण मानकों को पूरा करने में विफल रहे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वित्तीय और संसाधन संबंधी बाधाएँ:**
  - STP के निर्माण और संचालन के लिये उच्च पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है।
  - नगरपालिकाओं को प्राय: बजटीय सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ऐसे बुनियादी अवसंरचना की संवहनीयता प्रभावित होती है।
- **शहरी-ग्रामीण विषमता:**
  - अपशिष्ट जल प्रबंधन अत्यधिक शहर-केंद्रित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ प्राय: नदियाँ निकलती हैं, में बुनियादी सीवेज प्रणालियों का भी अभाव है।
  - वर्ष 2022 तक, केवल 75% ग्रामीण भारतीय परिवारों को शौचालय अथवा शौचालय जैसी बुनियादी स्वच्छता सुविधाएँ प्राप्त थीं।
- **संस्थागत विखंडन:**
  - CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) तथा शहरी स्थानीय निकाय जैसी अनेक संस्थाएँ एक-दूसरे से ओवरलैपिंग अधिकारों के साथ कार्य करती हैं, जिससे समन्वय की कमी उत्पन्न होती है।
- **जन उदासीनता तथा अल्प-जागरूकता:**
  - नागरिक प्राय: अपशिष्ट जल प्रदूषण के परिणामों से अनभिज्ञ होते हैं।
  - समुदाय-आधारित निगरानी की अनुपस्थिति के कारण स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व की भावना विकसित नहीं हो पाती।

आगे की राह

- **स्वल्पकालिक उपाय:**
  - सभी नये तथा वर्तमान आवासों के साथ सीवेज पाइपलाइन का अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिये।
  - SPCB के माध्यम से निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) तंत्र को मज़बूत बनाना चाहिये।
  - STP की स्थापना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **दीर्घकालिक रणनीतियाँ:**
  - पारिस्थितिक नियोजन के साथ एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन।
  - 'नदी मित्र' कार्यक्रम जैसी समुदाय-नेतृत्व वाली पहल।
  - विकेंद्रीकृत, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहन।
    - केरल के अलाप्पुझा ने विकेंद्रीकृत अपशिष्ट शोधन को अपनाया और UNEP द्वारा सतत् स्वच्छता के एक मॉडल के रूप में इसकी प्रशंसा की गई।
  - 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के माध्यम से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

नमामि गंगे, AMRUT और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने सीवेज शोधन एवं स्वच्छता के बुनियादी अवसंरचना में सुधार किया है। इन सफलताओं के आधार पर, भारत को अपनी नदियों के सतत् संरक्षण के लिये सिद्ध मॉडलों को आगे बढ़ाने, सख्त अनुपालन लागू करने और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल समाधानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

प्रश्न : "अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में जलवायु न्याय और कार्बन बाज़ार की अवधारणाएँ महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।" इन अवधारणाओं पर भारत की स्थिति और समतामूलक सतत् विकास के लिये इनकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु न्याय और कार्बन बाज़ार की अवधारणाओं का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- इन अवधारणाओं पर भारत की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- समतामूलक सतत् विकास के लिये उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- सतत् विकास लक्ष्यों से जोड़ते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जलवायु न्याय और कार्बन बाज़ार वैश्विक जलवायु वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। जलवायु न्याय का आशय जलवायु परिवर्तन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

से निपटने में न्याय एवं समानता पर ज़ोर देने से है, जिसमें विकसित देशों की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर, कार्बन बाज़ार, उत्सर्जन में कमी के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे लागत-प्रभावी शमन संभव होता है। भारत के लिये ये दोनों अवधारणाएँ *विकास की अनिवार्यता और पर्यावरणीय दायित्वों* के बीच संतुलन स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

मुख्य भाग:

जलवायु न्याय पर भारत का दृष्टिकोण

- **साझा किंतु विभेदित दायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC):** भारत का तर्क है कि विकसित देशों को, उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण, शमन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये। यह दृष्टिकोण समानता और न्याय के अनुरूप है।
- **विकास का अधिकार:** भारत इस बात पर ज़ोर देता है कि जलवायु नीतियाँ *गरीबी उन्मूलन, औद्योगीकरण और ऊर्जा तक पहुँच* में बाधा न डालें।
- **वैश्विक कार्बन क्षेत्र में समानता:** भारत शेष कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी की वकालत करता है तथा यह रेखांकित करता है कि इसका *प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन* वैश्विक औसत से कहीं कम है।
  - वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन 1.9 टन था, जबकि अमेरिका का 14.4 टन और चीन का 8.5 टन था।
- **न्यायिक अनुमोदन:** सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता *बनाम कमल नाथ (1997)* और अन्य निर्णयों में *अंतर-पीढ़ीगत समानता* के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है, जो भारत की जलवायु न्याय की अवधारणा के अनुरूप है।

कार्बन बाज़ार पर भारत का दृष्टिकोण

- **सहयोग किंतु सतर्कता:** भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत कार्बन बाज़ारों में भाग लेता है, परंतु इस बात पर ज़ोर देता है कि वे *न्यायसंगत, पारदर्शी* और *सतत् विकास के समर्थक* हों।
- **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) अनुभव:** भारत क्योटो प्रोटोकॉल के CDM का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसने 1500 से अधिक परियोजनाओं की मेज़बानी की, जिससे रोज़गार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला।
- **नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (2023):** भारत ने कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिये एक घरेलू ढाँचा शुरू किया, जो उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुरूप है।
- **चिंताएँ:**
  - "हरित उपनिवेशवाद" का खतरा, जहाँ विकसित राष्ट्र ग्लोबल साऊथ से सस्ते ऋण खरीदकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं।
  - बाज़ार में हेरफेर और न्यायसंगत लाभ-वितरण की कमी की आशंका।

न्यायसंगत सतत् विकास के लिये प्रासंगिकता

- **असमानताओं का समाधान:** जलवायु न्याय यह सुनिश्चित करता है कि निम्न आय वाले समुदायों और कमज़ोर राष्ट्रों पर असमान रूप से बोझ न पड़े।
- **रोज़गार और हरित विकास:** कार्बन बाजार नवीकरणीय ऊर्जा, वनरोपण और ऊर्जा दक्षता में हरित रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं।
- **वित्तीय संसाधन:** प्रभावी कार्बन ट्रेडिंग भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और *लचीले ढाँचे* की दिशा में जलवायु वित्त जुटा सकती है।
- **ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, जिसके लिये कार्बन बाज़ार आवश्यक *वित्तीय और तकनीकी सहयोग* उपलब्ध करा सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत की स्थिति एक *संतुलित दृष्टिकोण* को दर्शाती है, जहाँ विकास का अधिकार संरक्षित है, वहीं वैश्विक शमन प्रयासों में सक्रिय भागीदारी भी है। यह दृष्टिकोण SDG 13 (जलवायु कार्रवाई), SDG 7 (वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा), SDG 10 (असमानताओं में कमी) और SDG 8 ((सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) के अनुरूप है, तथा पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को *सतत् एवं समावेशी विकास* से जोड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "नार्को-टेररिज़्म युवाओं के विरुद्ध एक मौन युद्ध है।" नार्को-टेररिज़्म भारत की जनांकिकीय लाभांश को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कीजिये। साथ ही, युवाओं को इस संकट से बचाने के लिये निवारक तथा पुनर्वासात्मक उपायों का भी सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नार्को-टेररिज़्म को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि नार्को-टेररिज़्म भारत के जनांकिकीय लाभांश को किस प्रकार प्रभावित करता है।
- युवा आबादी को इस खतरे से बचाने के लिये निवारक और पुनर्वास उपायों को प्रस्तावित कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नार्को-टेररिज़्म मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच गठजोड़ को संदर्भित करता है, जहाँ मादक पदार्थों से प्राप्त आय चरमपंथी नेटवर्क को वित्तपोषित करती है। भारत में, इसका प्रभाव विशेष रूप से युवाओं पर गंभीर है, जो देश के जनांकिकीय लाभांश को कमज़ोर (जिसे UNFPA ने कार्यशील आयु वर्ग की अधिक आबादी से संभावित आर्थिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है) करता है। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, इसलिये नार्को-टेररिज़्म न केवल स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमज़ोर करता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी गंभीर खतरे उत्पन्न करता है।

मुख्य भाग:

भारत में मादक पदार्थ-आतंकवाद

- **भू-रणनीतिक कमज़ोरियाँ:**
  - गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और गोल्डन ट्राइएंगल (म्याँमार-लाओस-थाईलैंड) भारत को अत्यधिक सुभेद्य बनाते हैं।
  - पंजाब, मणिपुर, असम और तटीय राज्यों में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रवाह होता है।
- **आतंकवाद का वित्तपोषण:**
  - मादक पदार्थों का व्यापार तालिबान, ISI समर्थित समूहों और पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों जैसे आतंकवादी संगठनों को पोषित करता है।
  - UNODC का कहना है कि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी से सालाना 320 अरब डॉलर की आय होती है, जिसका एक हिस्सा आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
- **भेद्य लक्ष्य के रूप में युवा वर्ग:**
  - बढ़ता शहरी तनाव, बेरोज़गारी और साथियों का दबाव युवाओं को मादक पदार्थों के संपर्क में लाता है।
  - वर्ष 2012 से 2022 तक दर्ज किये गए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ (NDPS) के मामलों की संख्या में लगभग 70% की वृद्धि हुई है।

भारत के जनांकिकीय लाभांश पर प्रभाव

- **स्वास्थ्य संकट:**
  - भारत में 1 करोड़ से अधिक नशा करने वाले लोग हैं (AIIM सर्वेक्षण- 2019)।
  - HIV, हेपेटाइटिस और मानसिक विकारों के बढ़ते मामले स्वस्थ कार्यबल को कम कर रहे हैं।
- **आर्थिक नुकसान:**
  - उत्पादकता में कमी, अनुपस्थिति और स्वास्थ्य सेवा का बोझ।
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि विकासशील देशों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सालाना 2% तक की गिरावट आती है।
- **सामाजिक विघटन:**
  - मादक पदार्थों का दुरुपयोग अपराध, घरेलू हिंसा और किशोर अपराध को बढ़ावा देता है।
  - पारिवारिक संरचना और सामुदायिक विश्वास को कमज़ोर करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा:**
  - नार्को-मनी (मादक पदार्थों से अर्जित अवैध धन) आतंकवादी अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करता है, जिससे विधि-व्यवस्था कमज़ोर होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- मादक पदार्थों के मार्ग हथियारों की तस्करी से जुड़े हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है।

निवारक उपाय

- **सीमा प्रबंधन को मज़बूत करना:**
  - स्मार्ट फेंसिंग, सर्विलांस ड्रोन और पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त कार्य बल।
  - SAARC ड्रग ऑफेंसेज़ मॉनिटरिंग डेस्क के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग।
- **सख़्त विधि प्रवर्तन:**
  - फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के साथ NDPS अधिनियम, 1985 का पूर्ण कार्यान्वयन।
  - डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मादक पदार्थों के व्यापार पर नकेल कसना।
- **शिक्षा और जागरूकता**
  - मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर पाठ्यक्रम-आधारित संवेदनशीलता।
  - प्रभावशाली लोगों को शामिल करते हुए 'नशा मुक्त भारत अभियान' जैसे सोशल मीडिया अभियानों का संचालन।

पुनर्वास उपाय

- **समुदाय-केंद्रित नशामुक्ति कार्यक्रम:**
  - विशेष रूप से पंजाब जैसे उच्च जोखिम वाले राज्यों में सुलभ पुनर्वास केंद्र।
  - गैर-सरकारी संगठनों और धर्म-आधारित संगठनों की भागीदारी।
- **कौशल विकास और रोज़गार सृजन:**
  - स्किल इंडिया और स्टार्ट-अप प्रोत्साहनों के माध्यम से युवाओं के लिये रचनात्मक विकल्प प्रदान करना।
- **मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता:**
  - स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में परामर्श।
  - नशेड़ियों को अपराधी बनाने के बजाय सहानुभूति-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

नैतिक और नीतिगत आयाम

- **स्वास्थ्य का अधिकार:** नशे को एक बीमारी के रूप में पहचान की जानी चाहिये, न कि अपराध के रूप में।
- **युवा मानव पूंजी के रूप में:** युवाओं की सुरक्षा भावी पीढ़ियों के लिये न्याय सुनिश्चित करती है।
- **शासन में सत्यनिष्ठा:** विधि प्रवर्तन अधिकरणों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

नार्को-टेररिज़्म भारत के जनांकिकीय लाभांश को कम करता है और चरमपंथी ताकतों को सशक्त बनाता है। जैसा कि सामाजिक न्याय पर स्थायी समिति (2019) और NDPS पर राष्ट्रीय नीति (2012) द्वारा आग्रह किया गया है, नशामुक्ति, जागरूकता एवं पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। नशामुक्त युवा भारत की सुरक्षा और प्रगति का सबसे मज़बूत स्तंभ है।

प्रश्न : कार्बन फार्मिंग और पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) किस हद तक भारत को जलवायु अनुकूलन तथा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रदान कर सकती है? विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये कार्बन फार्मिंग और पुनर्योजी कृषि के महत्त्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कीजिये।
- जलवायु अनुकूलन एवं निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर विचार कीजिये।
- परिमाणीय परिवर्तन के उपायों के साथ-साथ चुनौतियों और सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

भारत, एक कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में, जलवायु सुभेद्यता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से कृषि आय बढ़ाने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, कार्बन फार्मिंग (जलवायु-संवेदी प्रथाओं को अपनाकर कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करना)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तथा पुनर्योजी कृषि (मृदा स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं की पुनर्स्थापना) को ऐसे मार्गों के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य भाग:

जलवायु अनुकूलन बढ़ाने में भूमिका

- **मृदा स्वास्थ्य सुधार:** ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि, कटाव में कमी, और सूखा/बाढ़ सहनशीलता में सुधार।
- **न्यूनतम इनपुट निर्भरता:** रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करता है → इनपुट मूल्य आघातों के प्रति संवेदनशीलता कम करता है।
- **जैवविविधता लाभ:** फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी और प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा देता है।
- **जल सुरक्षा:** बुंदेलखंड या मराठवाड़ा जैसे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में मृदा नमी प्रतिधारण में सुधार सहायक होता है।
- **जलवायु शमन:** वर्ष 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य कार्बन सिंक बनाने के भारत के NDC लक्ष्य में योगदान देता है।

निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में भूमिका

- **बढ़ती वैश्विक मांग:** यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) तथा धारणीय रूप से उत्पादित कृषि-उत्पादों की मांग बाज़ार में प्रोत्साहन सृजित करती है।
- **कार्बन क्रेडिट बाज़ार:** किसान जलवायु-हितैषी प्रथाओं को अपनाकर स्वैच्छिक/वैश्विक कार्बन बाज़ारों में क्रेडिट का व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं।
- **प्रीमियम ब्रांडिंग:** "कार्बन-न्यूट्रल" या "संधारणीय कृषि" भारत के कृषि-निर्यात जैसे चाय, कॉफी, मसाले और बासमती चावल के मूल्य को बढ़ाते हैं।
- **तुलनात्मक लाभ:** बड़े लघु कृषक आधार के कारण किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्रीकरण की व्यापक सम्भावना है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **मापन और सत्यापन:** कार्बन क्रेडिट के लिये विश्वसनीय MRV (निगरानी, रिपोर्टिंग, सत्यापन) ढाँचों का अभाव।
- **उच्च संक्रमण लागत:** पारंपरिक से पुनर्योजी पद्धतियों में बदलाव के दौरान किसानों को उपज संबंधी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।
- **जागरूकता एवं समानता संबंधी चिंताएँ:** कार्बन बाज़ारों और प्रमाणन प्रक्रियाओं के बारे में किसानों का ज्ञान सीमित है।
  - यदि केवल बड़े फार्म ही कार्बन बाज़ार तक पहुँचेंगे तो छोटे किसान इससे वंचित रह जाएँगे।
- **निर्यात संबंधी बाधाएँ:** कठोर संधारणीय मानकों (जैसे यूरोपीय संघ की ग्रीन डील) का अनुपालन खंडित भारतीय कृषि के लिये समस्या उत्पन्न कर सकता है।

विस्तारयोग्य परिवर्तन की ओर:

- **संस्थागत समर्थन:** मज़बूत MRV प्रोटोकॉल के साथ एक शनल कार्बन फार्मिंग मिशन की स्थापना।
- **क्षमता निर्माण:** पुनर्योजी तकनीकों में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और FPO का उपयोग करना।
- **प्रोत्साहन:** MSP/पीएम-किसान/बीमा लाभों को पुनर्योजी प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **बाज़ार पहुँच:** कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा के साथ-साथ निर्यात बाज़ारों के लिये प्रमाणन का समर्थन करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ:** ज्ञान साझा करने और वित्त पोषण के लिये यूरोपीय संघ (EU), FAO और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना।

निष्कर्ष:

कार्बन फार्मिंग और पुनर्योजी कृषि भारत के लिये कृषि में जलवायु अनुकूलन प्राप्त करने हेतु एक सहक्रियात्मक मार्ग प्रस्तुत करती हैं, साथ ही सतत् विकास लक्ष्य 2, 12, 13 और 15 को प्राप्त करने के साथ-साथ धारणीयता के प्रति जागरूक वैश्विक बाज़ार में निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : "आज सीमाएँ जितनी भौतिक हैं, उतनी ही डिजिटल भी हो चुकी हैं।" साइबर घुसपैठ और डिजिटल जासूसी के प्रति भारत की कमज़ोरियों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही एक समन्वित साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सॉवरेनिटी रणनीति सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: समस्या को परिभाषित कीजिये - सीमाएँ अब भौतिक के साथ-साथ डिजिटल भी हैं। आप हाल ही में हुए किसी साइबर हमले का उदाहरण दे सकते हैं, या इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि कैसे साइबरस्पेस "युद्ध का पाँचवाँ क्षेत्र" (भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष के बाद) बन गया है।
- मुख्य भाग: साइबर घुसपैठ और डिजिटल जासूसी के प्रति भारत की कमज़ोरियों का उल्लेख कीजिये। एकीकृत साइबर रक्षा और डिजिटल संप्रभुता रणनीति पर सुझाव प्रस्तुत कीजिये।
- निष्कर्ष: स्पष्ट कीजिये कि डिजिटल संप्रभुता एवं क्षेत्रीय संप्रभुता समान है जो एक समग्र, बहु-हितधारक रणनीति की मांग करती है।

परिचय

वर्तमान में सीमाएँ केवल भौतिक ही नहीं बल्कि बढ़ते हुए डिजिटल रूप में भी मौजूद हैं। 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ, भारत का बढ़ता हुआ डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र एक शक्ति भी है और एक कमज़ोरी भी। विशेष रूप से, साइबर स्पेस अब 'युद्ध का पाँचवाँ क्षेत्र' बनकर उभरा है—भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष के बाद—जहाँ शत्रुतापूर्ण तत्त्व अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकते हैं, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बना सकते हैं और बिना भौतिक सीमाएँ पार किये संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत की संवेदनशीलताएँ

- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना:** बिजली, परिवहन तथा वित्तीय नेटवर्क के बढ़ते डिजिटलीकरण ने तंत्रगत कमजोरियाँ उत्पन्न कर दी हैं। उदाहरण स्वरूप, वर्ष 2023 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की एक रिपोर्ट में एक मंत्रालय पर मैलवेयर हमले तथा भारत की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर DDOS हमले का उल्लेख किया गया।
- **रक्षा एवं सरकारी डाटा की चोरी:** साइबर जासूसी ने संवेदनशील रक्षा अनुसंधान एवं संचार को निशाना बनाया है। DRDO में मैलवेयर की घुसपैठ तथा वर्ष 2019 कूडनकुलम परमाणु संयंत्र साइबर हमले जैसी घटनाएँ रणनीतिक जोखिमों को स्पष्ट करती हैं।
- **विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:** भारत अर्धचालक (semiconductors), दूरसंचार हार्डवेयर तथा अंडरसी केबल्स के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे एम्बेडेड मैलवेयर और बैकडोर जैसी आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं। 5G परीक्षणों में हुआवेई (Huawei) की भागीदारी को लेकर चिंताएँ इसी निर्भरता का उदाहरण हैं।
- **निजी क्षेत्र की कमज़ोरियाँ:** कई MSME तथा यहाँ तक कि रणनीतिक महत्त्व की कंपनियाँ भी सशक्त साइबर सुरक्षा से वंचित हैं। वर्ष 2021 में स्पाइसजेट (SpiceJet) के परिचालन पर रैनसमवेयर हमले ने विमानन क्षेत्र की कमज़ोरियों को उजागर किया।
  - प्रूफपॉइंट के आँकड़ों पर आधारित वर्ष 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 99% भारतीय फर्मों ने वर्ष 2024 में भौतिक डेटा हानि की सूचना दी है, जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक है।
- **वित्तीय क्षेत्र:** आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से स्पष्ट है कि साइबर सुरक्षा घटनाओं से बैंक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, रिपोर्टों से पता चलता है कि सभी रिपोर्ट की गई साइबर घटनाओं में से लगभग पाँचवाँ हिस्सा वित्तीय संस्थानों से संबंधित है।
- **मानवीय पहलू:** कम साइबर जागरूकता फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। CERT-In ने वर्ष 2021 में 14 लाख से अधिक घटनाएँ दर्ज कीं, जिनमें से कई उपयोगकर्त्ता की लापरवाही से जुड़ी थीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

एकीकृत साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल संप्रभुता रणनीति

- **संस्थागत सशक्तीकरण:** NCIIPC को सशक्त बनाना तथा लंबित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 को अद्यतन विधिक ढाँचों के साथ क्रियान्वित करना चाहिये। CERT-In पहले से ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किंतु इसे अधिक व्यापक पहुँच की आवश्यकता है।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकीय क्षमताएँ:** चिप निर्माण (ISM), स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम (BharOS), क्लाउड (C-DAC का मेघदूत) तथा 5G/6G पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (2021) का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** क्षेत्र-विशिष्ट CERTs की स्थापना, अनिवार्य ऑडिट कराना तथा संयुक्त R&D को प्रोत्साहन देना। इन्फोसिस और विप्रो पहले से ही CERT-In के साथ खतरे की जानकारी (Threat Intelligence) साझा करने में सहयोग कर रहे हैं।
- **क्षमता निर्माण:** विशेष साइबर अकादमियों की स्थापना, AI-आधारित साइबर फॉरेंसिक को मज़बूत करना तथा शिक्षा में साइबर साक्षरता का समावेश। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी साइबर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर रही है।
- **वैश्विक सहयोग:** अमेरिका, इज़रायल तथा QUAD सदस्य देशों के साथ खुफिया साझाकरण और मानक निर्धारण में सहयोग। भारत-अमेरिका साइबर संवाद तथा भारत-इज़रायल साइबर भागीदारी इस प्रकार के सहयोग के उदाहरण हैं।
- **नागरिक जागरूकता:** सुरक्षित डिजिटल व्यवहार हेतु साइबर हाइजीन अभियान चलाना। RBI का "RBI कहता है" अभियान सुरक्षित लेन-देन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा है।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल संप्रभुता उसकी भौगोलिक संप्रभुता जितनी ही महत्त्वपूर्ण है। एक समग्र रणनीति, जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी, लचीली संस्थाओं, सार्वजनिक-निजी सहयोग तथा वैश्विक साझेदारी पर आधारित हो—भारत को अपनी साइबर सीमाओं की रक्षा करने तथा डिजिटल युग में अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाएगी।

आपदा-प्रबंधन

प्रश्न : समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि भारत में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर रहा है। साथ ही यह भी मूल्यांकन कीजिये कि भारत की आपदा प्रबंधन रूपरेखा इन घटनाओं से निपटने के लिये कितनी सक्षम है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- क्लाउडबर्स्ट अर्थात् बादल फटने को परिभाषित कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि जलवायु परिवर्तन भारत में बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को किस प्रकार बदल रहा है।
- भारत के आपदा प्रबंधन कार्यढाँचे की तैयारियों का आकलन कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, क्लाउडबर्स्ट अर्थात् बादल फटने की परिभाषा उस स्थिति को संदर्भित करती है जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेज़ हवाओं और तड़ित झंझा के साथ प्रति घंटे 100 मिमी. से अधिक वर्षा होती है। ये घटनाएँ मुख्यत: पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय में होती हैं। हाल के वर्षों में इनकी आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन एवं वायुमंडलीय अस्थिरता में बढ़ोत्तरी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

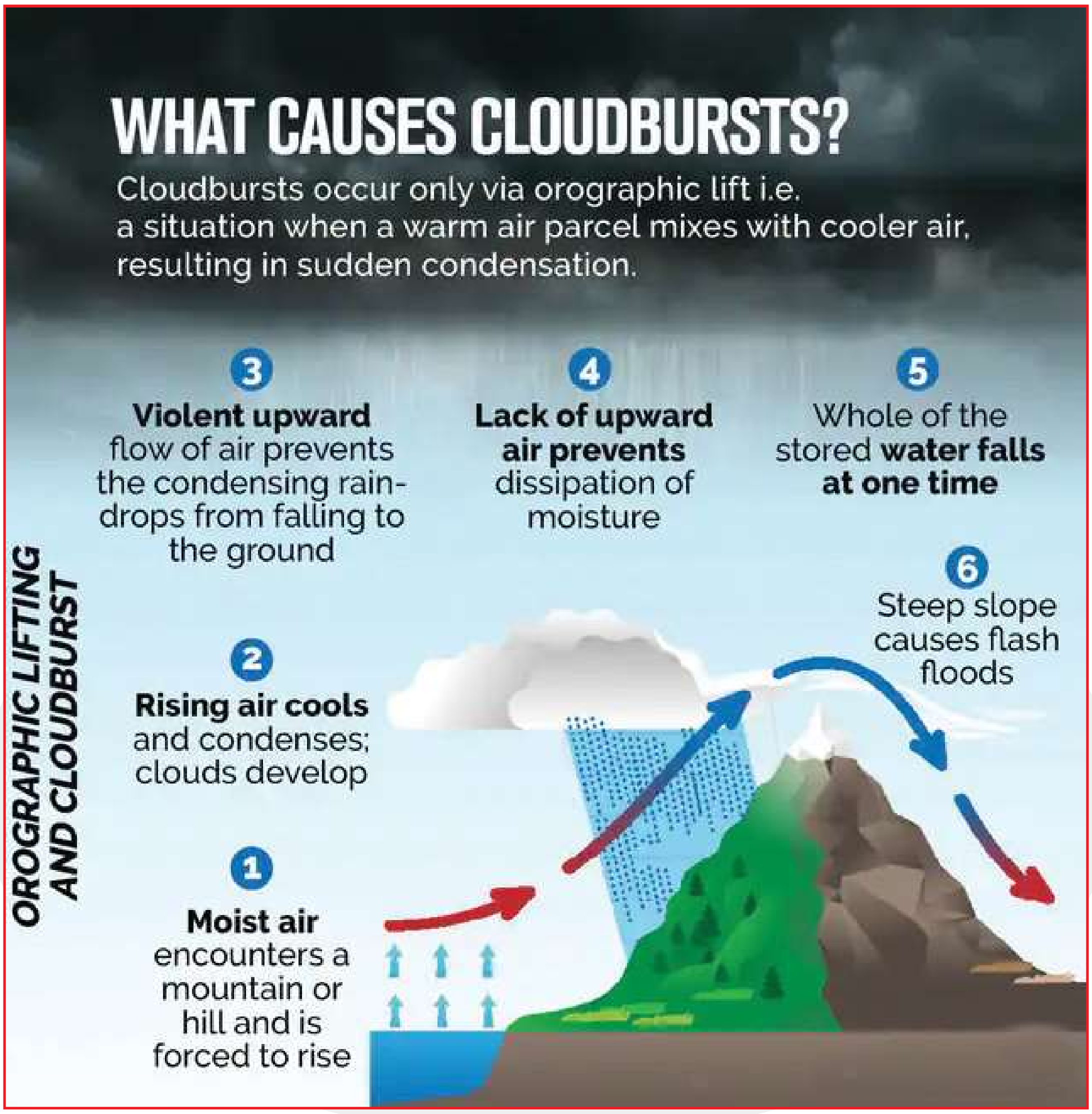

मुख्य भाग:

क्लाउडबर्स्ट/बादल फटने पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- **बढ़ी हुई आवृत्ति और तीव्रता:**
  - बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण, वायुमंडल में अधिक आर्द्रता हो सकती है, जिससे अल्पकालिक वर्षा की संभावना बढ़ जाती है।
  - क्लॉज़ियस-क्लैपेरॉन सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक 1°C तापमान वृद्धि पर वायुमंडल की नमी धारण क्षमता लगभग 7% बढ़ जाती है, जिससे क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने) की तीव्रता को बल मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है:
  - उत्तराखंड में चमोली और रुद्रप्रयाग (2023) में बादल फटने/क्लाउडबर्स्ट की घटनाएँ हुईं, जिसके बाद अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में भी गंभीर घटना दर्ज की गई।
  - हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी क्षेत्रों में वर्ष 2022 और 2023 में क्लाउडबर्स्ट के कारण भीषण बाढ़ आई।
- **बदलते भौगोलिक पैटर्न:**
  - जहाँ पहले यह घटनाएँ केवल हिमालयी राज्यों तक सीमित थीं, अब महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी स्थानीय क्लाउडबर्स्ट की घटनाएँ सामने आ रही हैं।
- **वैज्ञानिक प्रमाण:**
  - IMD, IPCC (AR6) और CPCB की रिपोर्टें भारत में बढ़ते तापमान और चरम मौसमी घटनाओं के बीच सीधा संबंध दर्शाती हैं।
  - IPCC के अनुसार दक्षिण एशिया (विशेषकर भारत) में जलवायु परिवर्तन के तीव्र होने के साथ-साथ अधिक बार और अधिक तीव्र वर्षा घटनाएँ देखने को मिलेंगी।

भारत के आपदा प्रबंधन कार्यढाँचे की तैयारी

- **सशक्त पक्ष:**
  - NDMA की दिशानिर्देश (2010) क्लाउडबर्स्ट की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, खतरे का मानचित्रण और सामुदायिक तैयारी पर ज़ोर देते हैं।
  - IMD की डॉप्लर रडार प्रणाली तथा उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली गंभीर मौसम की स्थिति को ट्रैक करने में सहायता करती है, यद्यपि इसमें कुछ सीमाएँ हैं।
  - राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
  - आपदा मित्र जैसी पहलें आपदा संभावित क्षेत्रों में सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देती हैं।
- **कमियाँ और चुनौतियाँ:**
  - **पूर्वानुमान की सीमाएँ:** क्लाउडबर्स्ट अत्यंत स्थानीयकृत घटनाएँ होती हैं और वर्तमान मौसम मॉडल इतने सूक्ष्म नहीं हैं कि सटीक पूर्वानुमान दे सकें।
  - **अपर्याप्त अवसंरचना:** अनेक पहाड़ी और दूरदराज़ क्षेत्रों में वास्तविक समय पर मौसम निगरानी के लिये मौसम केंद्र और स्वचालित उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।
  - **भूमि उपयोग कुप्रबंधन:** पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण कार्य क्लाउडबर्स्ट के प्रभाव को और गंभीर बना देता है, जैसा कि जोशीमठ एवं केदारनाथ में देखा गया।
  - **सामुदायिक तैयारी की कमी:** स्थानीय आबादी प्रायः आपातकालीन प्रतिक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण से वंचित रहती है, जिससे इन घटनाओं में जनहानि की आशंका बढ़ जाती है।

आगे की राह

- बेहतर पूर्वानुमान और प्रसार के लिये AI एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके पूर्वानुमान प्रणालियों को उन्नत किया जाना चाहिये।
- बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्रों में अधिक स्वचालित मौसम केंद्र और रीयल-टाइम अलर्ट सिस्टम स्थापित किये जाने चाहिये।
- पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि उपयोग नियमों को लागू किया जाना चाहिये और जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (SDMP) में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिये।
- नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय-आधारित आपदा मोचन तैयारियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जे.सी. पंत समिति ने अनुशंसित किया था कि भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को एक प्रतिक्रियात्मक मॉडल से एक समग्र, सक्रिय और समन्वित प्रणाली में परिवर्तित किया जाये। तकनीक, शासन और सामुदायिक सहभागिता के समन्वय से ही भारत जलवायु-अनिश्चित भविष्य में इस प्रकार की चरम मौसमी घटनाओं का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर–4

केस स्टडीज़

प्रश्न : आप एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण इकाई (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) में महाप्रबंधक (General Manager) के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में प्रबंधन और मज़दूर संघ (Workers' Union) के बीच तनाव बढ़ गया है। यूनियन ने वेतन वृद्धि, बेहतर सुरक्षा मानकों और संविदा कर्मचारियों के स्थायी समायोजन की माँगें उठाई हैं।

हालाँकि उनकी कुछ माँगें श्रम कल्याण मानदंडों के अनुरूप और न्यायसंगत हैं, जबकि कुछ माँगों से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी बीच, आपको पता चलता है कि कुछ प्रभावशाली यूनियन नेता कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिये उकसा रहे हैं, जबकि वार्ता की प्रक्रिया अब भी जारी है। इसी दौरान, कुछ कनिष्ठ कर्मचारी आपसे गोपनीय रूप से मिलते हैं और चिंता प्रकट करते हैं कि यूनियन की आक्रामक रणनीति से उनके कॅरियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और इससे फैक्टरी का लंबे समय तक बंद रहना भी संभव है। साथ ही, मंत्रालय की ओर से भी यह दबाव है कि उत्पादन में कोई बाधा न आये क्योंकि यह इकाई राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

इन्हीं परिस्थितियों में, एक वरिष्ठ यूनियन नेता आपसे गोपनीय रूप से सौदा करने का प्रस्ताव देता है, यदि आप कुछ निजी लाभ (जैसे: उसके संबंधियों को पदोन्नति में प्राथमिकता और उससे जुड़ी फर्मों को ठेके देना) सुनिश्चित करें, तो वह आंदोलन को शांत कराने में सहयोग देगा।

अब आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपें, जिसमें औद्योगिक शांति सुनिश्चित करने, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और किसी भी प्रकार के अनैतिक समझौते से बचने हेतु व्यावहारिक मार्ग सुझाये जायें।

A. इस मामले में सम्मिलित नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उनकी विवेचना कीजिये।

B. आप श्रमिक कल्याण को संगठनात्मक वहनीयता और जनहित के साथ किस प्रकार संतुलित करेंगे?

C. आपको यूनियन नेता द्वारा दिये गए प्रस्ताव पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिये? निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये किन तंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिये?

D. ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन के कौन-से नैतिक मूल्य और सिद्धांत आपके आचरण का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये तथा उनकी विवेचना कीजिये।
- श्रमिक कल्याण को संगठनात्मक स्थिरता और जनहित के साथ संतुलित करने के लिये एक बहुआयामी नैतिक रणनीति प्रस्तुत कीजिये।
- यूनियन नेता के प्रस्ताव पर नैतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिये और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व तंत्र का सुझाव दीजिये।
- लोक प्रशासन के उन नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये जो आपके आचरण का मार्गदर्शन करें।

परिचय:

एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण इकाई का महाप्रबंधक होने के नाते मैं एक जटिल स्थिति का सामना कर रहा हूँ जिसमें श्रमिकों की कल्याण से जुड़ी उचित माँगों को लेकर असंतोष, एक वरिष्ठ यूनियन नेता की अनैतिक गतिविधियाँ, मंत्रालय की उत्पादन बनाए रखने की

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अपेक्षा तथा कनिष्ठ कर्मचारियों की दीर्घकालिक संघर्ष को लेकर चिंता शामिल है। इस स्थिति में मेरे समक्ष चुनौती यह है कि सभी पक्षों के हितों को नैतिक रूप से संतुलित रखते हुए औद्योगिक शांति सुनिश्चित करूँ।

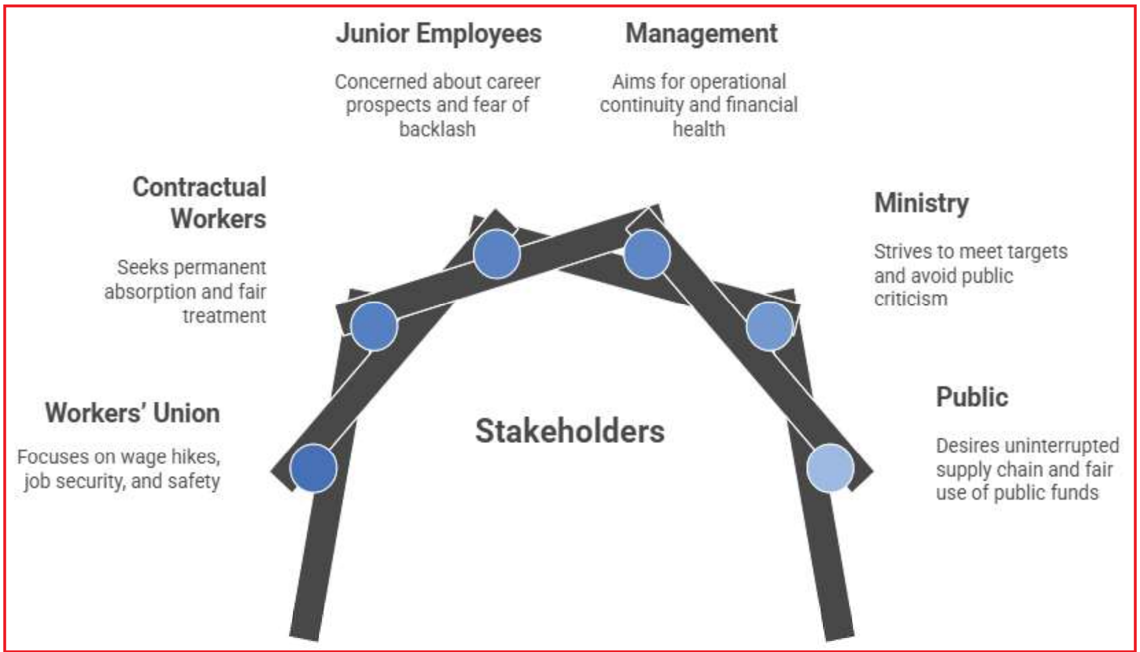

मुख्य भाग:

A. इस मामले में सम्मिलित नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उनकी विवेचना कीजिये।

- **हितों का टकराव और भ्रष्टाचार:** यूनियन नेता द्वारा विरोध को कम करने के बदले व्यक्तिगत लाभ का प्रस्ताव लेन-देन की प्रवृत्ति दर्शाता है, जो निष्ठा और ईमानदारी जैसे लोक सेवा मूल्यों के विरुद्ध है।
- **निष्पक्षता और समता:** संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति और वेतन पुनरीक्षण की माँगों में न्यायसंगतता एवं वित्तीय विवेक के बीच संतुलन की चुनौती है।
- **हितधारकों का दबाव:** विभिन्न पक्षों—श्रमिक, कनिष्ठ कर्मचारी, प्रबंधन तथा मंत्रालय की परस्पर विरोधी अपेक्षाओं के बीच नैतिक निष्पक्षता बनाए रखना कठिन है।
- **पारदर्शिता और विश्वास:** यूनियन की आक्रामक रणनीति आपसी विश्वास को क्षीण करती है, वहीं कनिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा 'प्रतिनिधित्व' के अभाव का संकेत है।

B. आप श्रमिक कल्याण को संगठनात्मक वहनीयता और जनहित के साथ किस प्रकार संतुलित करेंगे?

- **मांगों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन:**
  - **मांगों का त्रि-स्तरीय मूल्यांकन:**
    - वैध और व्यवहार्य (जैसे: सुरक्षा मानकों में सुधार)।
    - नैतिक रूप से मान्य लेकिन वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण (जैसे: संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अव्यवहारिक या असमान (जैसे: असंगत वेतन वृद्धि की माँग)।
  - साथ ही, व्यय-लाभ विश्लेषण, उद्योग मानकों से तुलना और श्रम कानून विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक होगी।
- **पारदर्शी और समावेशी संवाद:**
  - संघ, कनिष्ठ कर्मचारी प्रतिनिधियों और प्रबंधन को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय वार्ता तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - पारदर्शिता बनाए रखने के लिये वार्ता प्रक्रिया को रिकॉर्ड और मिनट्स में दर्ज करने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय अनुशासन के साथ श्रमिक कल्याण:**
  - व्यवहार्य मांगों (जैसे, क्रमिक वेतन संशोधन या कौशल-आधारित पदोन्नति) के चरणबद्ध कार्यान्वयन की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिये।
  - दीर्घकालिक कल्याण— प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और बेहतर कार्य परिस्थितियों (जो कर्मचारी कल्याण और उत्पादकता दोनों के साथ संरेखित हों) में निवेश किया जाना चाहिये।
- **जनहित की रक्षा:**
  - स्वैच्छिक कार्यबल या वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करके राष्ट्रीय आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये न्यूनतम परिचालन निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिये।
  - वार्ता जारी रहने तक हड़तालों को टालने के लिये अस्थायी समझौता ज्ञापन या मध्यस्थता का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

C. आपको यूनियन नेता द्वारा दिये गए प्रस्ताव पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिये? निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये किन तंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिये?

- **तत्काल अस्वीकृति:** नैतिक आचरण के पालन और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता पर ज़ोर देते हुए, प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार करने की आवश्यकता है।
- **प्रलेखन और रिपोर्टिंग:** घटना को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने और आंतरिक सतर्कता विभाग एवं मंत्रालय को इसकी सूचना दी जानी चाहिये।
- **अनुशासनात्मक जाँच कार्यवाही:** कानून के शासन को बनाए रखने के लिये संबंधित यूनियन नेता के विरुद्ध उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँग की जानी चाहिये।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व हेतु व्यवस्था:

- सभी श्रमिक श्रेणियों के प्रतिनिधित्व और एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक वाली एक शिकायत निवारण समिति का गठन आवश्यक है।
- जटिल मांगों के निष्पक्ष समाधान के लिये बाह्य मध्यस्थों या औद्योगिक न्यायाधिकरणों की सहायता ली जानी चाहिये।
- समझौतों, समय-सीमाओं और संसाधन आवंटन के ऑडिट ट्रेल्स का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- वार्ता और कार्यान्वयन प्रगति पर रीयल-टाइम अपडेट के लिये डिजिटल डैशबोर्ड तैनात करना आवश्यक है।

D. ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन के कौन-से नैतिक मूल्य और सिद्धांत आपके आचरण का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे?

- **निष्ठा:** किसी भी ऐसे व्यक्तिगत लाभ को अस्वीकार किया जाना चाहिये, जो जनता के विश्वास से समझौता करता हो।
- **निष्पक्षता:** सभी हितधारकों—वरिष्ठ यूनियन नेताओं, कनिष्ठ कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करना आवश्यक है।
- **उत्तरदायित्व:** सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्णय लेने की प्रक्रिया उच्च अधिकारियों और जनता द्वारा जाँच के लिये खुली हो।
- **सहानुभूति और जवाबदेही:** विशेष रूप से कनिष्ठ और असुरक्षित कर्मचारियों की बात ध्यान से सुनना चाहिये।
- **विधि का शासन:** श्रम कानूनों, भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यढाँचों और प्रशासनिक नैतिकता को बनाए रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जैसा कि इमैनुएल कांट ने उचित ही कहा है— ***"केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करें जिसके द्वारा आप यह इच्छा कर सकें कि वह एक सार्वभौमिक कानून बन जाए।"***

यह कर्त्तव्य आधारित नैतिकता मेरी दिशा-निर्देशक होनी चाहिये, जिससे प्रत्येक निर्णय नैतिक, सार्वभौमिक रूप से मान्य एवं सत्यनिष्ठा पर आधारित हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : आप प्रमुख उत्तर भारतीय शहर (जो यमुना नदी के किनारे स्थित है) में नगर निगम आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। यह नदी शहर की जीवनरेखा है, जो घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि उपयोग के लिये जल प्रदान करती है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में यमुना नदी अशोधित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्टों और धार्मिक सामग्री के विसर्जन के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की एक हालिया रिपोर्ट में आपके निगम की सीवेज ट्रीटमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने और अवैध औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति देने के लिये आलोचना की गई है।

कार्यभार ग्रहण करते ही आप पाते हैं कि कई वस्त्र व रंगाई इकाइयाँ रात के समय गुप्त रूप से नदी में अशोधित अपशिष्ट उत्सर्जित कर रही हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई सीवेज उपचार संयंत्र या तो काम नहीं कर रहे हैं या अपनी क्षमता से बहुत कम पर काम कर रहे हैं, जिसका एक कारण रखरखाव के अनुबंधों में व्याप्त भ्रष्टाचार है। धार्मिक संगठन सांस्कृतिक परंपराओं का हवाला देते हुए नदी में मूर्तियाँ और पुष्पांजलि विसर्जित करना जारी रखे हुए हैं और इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की रोक का विरोध कर रहे हैं और जन-भावनाओं को भड़का रहे हैं।

पर्यावरण कार्यकर्त्ता एक अभियान चला रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, जबकि स्थानीय मीडिया ने त्वचा रोगों के बढ़ते मामलों और जलीय जीवन के नुकसान को सीधे नदी की स्थिति से जोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं, राजनीतिक नेतागण आपको आगामी चुनावों तक प्रवर्तन में धीमी गति से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और चेतावनी देते हैं कि उद्योगों या धार्मिक समूहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से अशांति भड़क सकती है। इस बीच, सरकार ने आपको नदी पुनरुद्धार के लिये एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

A. इस मामले से जुड़े नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उन पर चर्चा कीजिये।

B. आप पर्यावरणीय दायित्व को राजनीतिक और सांस्कृतिक दबावों के साथ किस प्रकार संतुलित करेंगे?

C. आप औद्योगिक अनुपालन में जवाबदेही तथा सीवेज ट्रीटमेंट के संचालन में पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे?

D. सतत् नदी प्रबंधन के लिये प्रमुख उपायों का सुझाव दीजिये और आपका मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्यों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उनकी विवेचना कीजिये।
- पर्यावरणीय दायित्व को राजनीतिक और सांस्कृतिक दबावों के साथ संतुलित करने के उपायों पर चर्चा कीजिये।
- औद्योगिक अनुपालन में उत्तरदायित्व और सीवेज ट्रीटमेंट कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के तंत्रों पर प्रकाश डालिये।
- नदी प्रबंधन के स्थायी प्रबंधन के लिये प्रमुख उपायों का सुझाव दीजिये और मार्गदर्शक नैतिक मूल्यों का उल्लेख कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यमुना नदी शहर की जीवनरेखा है, जो घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जिसका गहन सांस्कृतिक महत्त्व भी है। किंतु बिना शुद्ध किया गया सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और अनियंत्रित धार्मिक अर्पणों/अनुष्ठानों के कारण इसकी गंभीर प्रदूषण-स्थिति एक जटिल नैतिक एवं प्रशासनिक चुनौती प्रस्तुत करती है।

मुख्य भाग:

A. नैतिक मुद्दे

- पर्यावरणीय नैतिकता - वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का कर्त्तव्य (अंतर-पीढ़ीगत समता)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जन स्वास्थ्य उत्तरदायित्व - बढ़ती त्वचा संबंधी बीमारियाँ और पारिस्थितिक क्षरण, गैर-हानिकारकता के सिद्धांत का पालन करने की माँग करते हैं।
- ईमानदारी और भ्रष्टाचार-विरोधी - सीवेज ट्रीटमेंट कार्यों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को कम करते हैं।
- कानून का शासन बनाम राजनीतिक दबाव - चुनावी विचारों के बावजूद पर्यावरणीय कानूनों को बनाए रखना।
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाम स्थिरता - पारिस्थितिक क्षति को रोकते हुए परंपराओं का सम्मान करने की आवश्यकता।
- पारदर्शिता और जवाबदेही - नागरिकों के समक्ष पर्यावरणीय आँकड़ों का सच्चाई से खुलासा करने का दायित्व।

B. राजनीतिक और सांस्कृतिक दबावों के साथ पर्यावरणीय कर्त्तव्य का संतुलन

- हितधारक जुड़ाव - जैव-निम्नीकरणीय मूर्तियों और निर्दिष्ट विसर्जन टैंकों जैसे पर्यावरण-अनुकूल अनुष्ठानों को बढ़ावा देने के लिये धार्मिक नेताओं के साथ सहयोग करना चाहिये।
- चरणबद्ध प्रवर्तन - अचानक आर्थिक झटकों से बचने के लिये औद्योगिक अनुपालन को धीरे-धीरे सख्त करना चाहिये, अपशिष्ट जल उपचार उन्नयन के लिये सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिये।
- राजनीतिक मार्गदर्शन - प्रदूषण नियंत्रण को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार से जोड़ने वाले आँकड़े प्रस्तुत किये जाने चाहिये और चुनावों से पहले इसे शासन की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- जन जागरूकता - अभियानों के माध्यम से नदी पुनरुद्धार को सांस्कृतिक गौरव से जोड़ा जाना चाहिये, पर्यावरण संरक्षण को एक साझा सामुदायिक मूल्य बनाया जाना चाहिये।

C. जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

- **औद्योगिक अनुपालन:**
  - निष्कासन बिंदुओं पर GPS-सक्षम प्रवाह मीटर और CCTV स्थापित किये जाने चाहिये।
  - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर रात्रिकालीन औचक निरीक्षण किया जाना चाहिये।
  - आगे के उल्लंघनों को रोकने के लिये उल्लंघनकर्त्ताओं का सार्वजनिक रूप से नाम बताते हुए उन्हें दंडित किया जाना चहिये।
- **सीवेज ट्रीटमेंट संचालन:**
  - सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (STP) के लिये तृतीय-पक्ष तकनीकी ऑडिट अनिवार्य किया जाना चहिये।
  - STP क्षमता और प्रदर्शन का एक वास्तविक समय सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया जाना चहिये।
  - भ्रष्ट अनुबंधों को रद्द किया जाना चहिये और पारदर्शी ई-खरीद के माध्यम से नई निविदाएँ प्रदान की जानी चहिये।

D. सतत् नदी प्रबंधन के लिये प्रमुख उपाय

अल्पकालिक

- मौजूदा STP की मरम्मत की जानी चाहिये और उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये।
- अवैध औद्योगिक उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
- मूर्ति विसर्जन के लिए वैकल्पिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये।

मध्यम अवधि

- उन्नत उपचार तकनीकों के साथ STP का उन्नयन किया जाना चाहिये।
- उद्योगों के लिए शून्य-तरल उत्सर्जन मानदंड लागू किया जाना चाहिये।
- नदी निगरानी में निवासी कल्याण संघों और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिये।

दीर्घकालिक

- आर्द्रभूमि और हरित बफर ज़ोन के माध्यम से नदी तट की पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये।
- नदी स्वास्थ्य संकेतकों को नगर नियोजन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में एकीकृत किया जाना चाहिये।
- स्कूलों और समुदायों में सतत् पर्यावरण शिक्षा को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कार्यवाई का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य

- सत्यनिष्ठा - भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिये।
- जवाबदेही - पारदर्शी कार्य निष्पादन रिपोर्टिंग।
- पर्यावरण प्रबंधन - ट्रस्टी के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करनी चाहिये।
- सहानुभूति - सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए उनका स्थायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- साहस - राजनीतिक दबाव के बावजूद निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिये।
- न्याय - सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रदूषक उपचार की लागत वहन करें।

निष्कर्ष:

पर्यावरणीय नैतिकता के जनक एल्डो लियोपोल्ड ने कहा था, ***"कोई कार्य तब सही है जब वह जैविक समुदाय की अखंडता, संधारणीयता और सुंदरता को बनाए रखता है और तब गलत है जब वह इसके विपरीत होता है।"*** यमुना इस समुदाय का एक हिस्सा है और उसका संरक्षण एक नैतिक आवश्यकता है। मेरे प्रयास — चाहे वह औद्योगिक नियंत्रण हों या सांस्कृतिक अनुकूलन, उसकी पारिस्थितिक अखंडता को मज़बूत करेंगे तथा समुदाय में संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करेंगे।

प्रश्न : आप उत्तर भारत के एक प्रमुख तीर्थस्थल में ज़िला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष एक प्रमुख त्यौहार के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस त्यौहार के मुख्य दिन, मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के समीप भगदड़ की एक दुखद घटना होती है, जिसमें 50 से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों घायल हो जाते हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भीड़ प्रबंधन में अकुशलता, अपर्याप्त बैरिकेडिंग और यातायात डायवर्जन में लापरवाही के कारण यह अफरा-तफरी मची।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय विक्रेताओं ने प्रमुख मार्गों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था, जबकि प्रभावशाली धार्मिक संगठनों ने 'भक्तों की असुविधा' का हवाला देते हुए भीड़ नियंत्रण के सख्त उपायों का विरोध किया। राजनीतिक नेताओं ने भी प्रशासन पर अधिकतम प्रवेश की अनुमति देने का दबाव डाला था, क्योंकि चुनाव से पहले प्रतिबंध जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते थे।

आपकी आंतरिक जाँच से कई स्तरों पर खामियाँ सामने आती हैं, जिनमें: पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनदेखी की, VIP के लिये विशेष प्रवेश पास जारी करने में भ्रष्टाचार हुआ तथा स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के बीच तालमेल न होने के कारण आपातकालीन चिकित्सा सहायता में विलंब हुआ।

मीडिया ने इस घटना को 'मानव निर्मित त्रासदी' बताया है, साथ ही पीड़ित परिवार जवाबदेही और न्याय की माँग कर रहे हैं। ऐसे में एक जाँच आयोग गठित किये जाने की आवश्यकता है और आपको भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने हेतु एक व्यापक रिपोर्ट एवं कार्ययोजना तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है।

A. इस मामले से जुड़े नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये तथा उनकी विवेचना कीजिये।

B. धार्मिक भावनाओं, राजनीतिक दबाव और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व के बीच आप किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे?

C. आप अधिकारियों में किस प्रकार जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे तथा किस प्रकार पीड़ितों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे?

D. भगदड़ की दीर्घकालिक रोकथाम के लिये प्रमुख उपाय प्रस्तावित कीजिये तथा उन नैतिक मूल्यों का उल्लेख कीजिये जिनके आधार पर आप कार्यवाही करेंगे। (250 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर उनकी विवेचना कीजिये।
- धार्मिक भावनाओं, राजनीतिक दबाव और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के उपायों पर चर्चा कीजिये।
- अधिकारियों के बीच जवाबदेही और पीड़ितों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु तंत्रों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
- भगदड़ की दीर्घकालिक रोकथाम के लिये प्रमुख उपाय प्रस्तावित कीजिये तथा इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्यों की विवेचना कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक प्रमुख तीर्थयात्रा के दौरान हुई दुखद भगदड़ इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुरक्षा मानदंडों की अवहेलना आस्था को आपदा में बदल सकती है। यह एक मानव निर्मित त्रासदी है जिसमें कई स्तरों पर नैतिक चूक शामिल हैं, जिसके लिये जवाबदेही, पीड़ितों के लिये न्याय तथा प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

A. शामिल नैतिक मुद्दे

- **कर्त्तव्य में लापरवाही** - पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) की अनदेखी की।
- **भ्रष्टाचार** - अवैध रूप से जारी किये गए VIP पास के लिये निष्पक्षता और समानता से समझौता हुआ।
- **मूल्यों का टकराव** - राजनीतिक और धार्मिक दबाव ने प्रशासनिक निष्पक्षता को कमज़ोर किया।
- **मानव सम्मान का उल्लंघन** - अपर्याप्त चिकित्सा प्रतिक्रिया ने पीड़ितों को समय पर देखभाल से वंचित कर दिया।
- **अतिक्रमण और सार्वजनिक असुविधा** - लापरवाही के कारण अनुमति प्राप्त विक्रेताओं ने महत्त्वपूर्ण मार्गों को अवरुद्ध कर दिया।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी** - घटना से पहले और बाद में उत्तरदायित्व लागू करने में विफलता।

B. धार्मिक भावनाओं, राजनीतिक दबाव और सार्वजनिक सुरक्षा में संतुलन

- **सुरक्षा की प्राथमिकता:** जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को राजनीतिक लाभ या धार्मिक सुविधा से ऊपर होना चाहिये।
- **सम्मानजनक संवाद:** धार्मिक नेताओं को यह समझाते हुए वार्ता की जा सकती है, कि भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण भक्तों के सर्वोत्तम हित में है।
- **राजनीतिक दबाव पर विधि का शासन:** राजनीतिक नेताओं को यह स्मरण कराया जाना चाहिये कि किसी भी उल्लंघन की जवाबदेही अंततः प्रशासन पर ही होगी।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** सहानुभूति के साथ लिये गए निर्णय प्रतिरोध को कम करते हैं।
  - उदाहरण: सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आस्था बनाए रखने के लिये प्रतीक्षालय, लाइव प्रसारण और क्रमिक प्रवेश की व्यवस्था करना।

C. जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना

- **अधिकारियों की जवाबदेही:**
  - निष्पक्ष जाँच के माध्यम से लापरवाही के लिये ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिये।
  - यदि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उल्लंघन या भ्रष्टाचार सिद्ध होता है, तो निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिये।
- **पीड़ितों के प्रति निष्पक्षता:**
  - तत्काल मुआवज़ा और निशुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान किये जाने चाहिये।
  - परिवारों के लिये परामर्श और आश्रितों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - पारदर्शी शिकायत निवारण, प्रशासनिक विलंब से से निपटने हेतु त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **जनसंचार:**
  - विश्वास बनाए रखने के लिये मीडिया और जनता को पारदर्शी रिपोर्टिंग की जानी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

D. दीर्घकालिक निवारक उपाय तथा आवश्यक नैतिक मूल्य

निवारक उपाय:

- **सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कार्यान्वयन:** प्रवेश और निकास बिंदुओं का स्पष्ट निर्धारण, उचित बैरिकेडिंग तथा यातायात का डायवर्जन/नियंत्रण।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** CCTV, ड्रोन और भीड़-घनत्व पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अलर्ट।
- **क्षमता विनियमन:** अग्रिम पंजीकरण, ई-पास की व्यवस्था तथा समय को चरणबद्ध ढंग से निर्धारित करना।
- **स्वयंसेवक एवं पुलिस प्रशिक्षण:** भीड़ मनोविज्ञान की समझ, आपातकालीन अभ्यास तथा आपदा प्रबंधन।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन तथा गैर सरकारी संगठनों (NGO) के साथ संयुक्त कमांड सेंटर।
- **स्वतंत्र ऑडिट:** प्रत्येक उत्सव से पहले सुरक्षा ऑडिट, उसके बाद जवाबदेही रिपोर्ट।

मार्गदर्शक नैतिक मूल्य:

- **सत्यनिष्ठा (Integrity)** – भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव का विरोध करना।
- **उत्तरदायित्व (Accountability)** – किसी चूक या कमी की ज़िम्मेदारी तय करना।
- **करुणा (Compassion)** – पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार करना।
- **विश्वास का साहस (Courage of Conviction)** – राजनीतिक या धार्मिक दबावों के विरुद्ध दृढ़ बने रहना।
- **न्याय और निष्पक्षता (Justice & Fairness)** – सभी श्रद्धालुओं के साथ समान व्यवहार करना।
- **लोक सेवा उन्मुखता (Public Service Orientation)** – नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष:

कांट के कर्त्तव्यपरक नैतिक सिद्धांत, जो कर्त्तव्य और मानवीय गरिमा के सम्मान पर बल देता है, के मार्गदर्शन में, लोक सेवकों को सुविधा या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने के नैतिक दायित्व से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिये। इसलिये सुशासन में प्रशासनिक दक्षता के साथ नैतिक उत्तरदायित्व भी निहित होना चाहिये, ताकि धार्मिक उत्साह कभी भी सुरक्षा और न्याय के अधिकार पर हावी न हो।

प्रश्न : आप मध्य भारत के एक खनिज-समृद्ध जनजातीय ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के पद पर नियोजित हैं। यह ज़िला लौह अयस्क, बॉक्साइट और कोयले के महत्त्वपूर्ण भंडारों से समृद्ध है, जिससे यह खनन गतिविधियों का केंद्र बना है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, अवैध खनन की गतिविधियाँ अनियंत्रित हो गई हैं, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति हुई है जिसमें बिना अनुमति के वनोन्मूलन किया जा रहा है, पिच्छिल विसर्जन के कारण नदियाँ विषाक्त हो रही हैं और कृषि भूमि बंजर होती जा रही है।

स्थानीय समुदाय, विशेषकर जनजातीय समूह, अपनी आजीविका के लिये वनों और नदियों पर निर्भर हैं। अब उन्हें स्वच्छ जल, वनोपज और उपजाऊ मृदा का अभाव है, जिससे असंतोष जनित हो रहा है। नागरिक समाज संगठनों ने ऐसे मामलों का दस्तावेज़ीकरण किया है जहाँ महिलाओं और साथ ही नाबालिगों सहित श्रमिकों को उचित सुरक्षा उपकरणों के बिना असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करने के लिये विवश किया जाता है। बारंबार जनित होने वाली दुर्घटनाओं, श्वसन संबंधी रोगों और क्षति के लिये प्रतिकर के अभाव से मानवीय संकट और बढ़ गया है।

इसके साथ ही, खनन गतिविधियाँ इस क्षेत्र में रोज़गार और राजस्व सर्जक हैं। हज़ारों परिवार खनन से संबद्ध नौकरियों पर निर्भर हैं और खनन के आकस्मिक समापन से बेरोज़गारी और अशांति की संभावना हो सकती है। स्थानीय राजनेता, जिनमें से कुछ के इनमें प्रत्यक्ष व्यावसायिक हित हैं, आप पर खनन कंपनियों के प्रति उदारवादी रुख अपनाने का दबाव डालते हैं। खनन और पुलिस विभागों के कई अवर स्तर के अधिकारी कथित रूप से इसमें शामिल हैं और उल्लंघनों की अनदेखी करने के लिये रिश्वत लेते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

गैर-सरकारी संगठनों की याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए, न्यायपालिका ने अब ज़िला प्रशासन को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मीडिया द्वारा प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए अभियान आयोजित किये जा रहे हैं, जिससे आपके कार्यालय पर सार्वजनिक दबाव बढ़ गया है। हालाँकि, सख्त कार्रवाई करने राजनीतिक विरोध, धमकियों और आर्थिक अव्यवस्था जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

A. इस मामले में शामिल प्रमुख नीतिपरक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

B. आप आर्थिक हितों, राजनीतिक दबावों और पर्यावरण संरक्षण एवं श्रम कल्याण के प्रति अपने कर्त्तव्यों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे?

C. इस मामले में भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिये प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आप क्या उपाय करेंगे?

D. उन नीतिपरक मूल्यों का उल्लेख कीजिये जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में स्थिति का वर्णन कर संदर्भ प्रस्तुत कीजिये।
- इसमें शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर उन पर चर्चा कीजिये।
- आर्थिक हितों, राजनीतिक दबावों और पर्यावरणीय कर्त्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के तंत्रों को रेखांकित कीजिये।
- खनन प्रशासन के लिये संवहनीय उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- राज्य द्वारा निर्देशित नैतिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिये।
- मूल्य-आधारित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक खनिज-समृद्ध जनजातीय जिले के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में मुझे एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह दुविधा पर्यावरण और आजीविका की सुरक्षा बनाम राजनैतिक एवं संस्थागत दबावों के बीच संतुलन बनाने की है। इस स्थिति में चुनौती पारिस्थितिक संवहनीयता, सामाजिक न्याय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ विधि के शासन एवं प्रशासनिक विश्वसनीयता को बनाए रखने की है।

मुख्य भाग:

A. शामिल नैतिक मुद्दे

- **विकास और पर्यावरणीय नैतिकता के बीच संघर्ष:** बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण, नदी प्रदूषण और मृदा क्षरण, जो संवहनीयता और अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
- **खनन श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन:** असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, बाल श्रम, मुआवज़े का अभाव और कमज़ोर जनजातीय समूहों का शोषण।
- **सत्यनिष्ठा बनाम भ्रष्टाचार:** रिश्वतखोरी के माध्यम से अधिकारियों की खनिकों के साथ मिलीभगत, विधि-व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है।
- **राजनीतिक दबाव बनाम निष्पक्षता:** नेताओं का 'नरम रुख' अपनाने हेतु दबाव डालना, प्रशासनिक निष्पक्षता के लिये चिंता उत्पन्न करता है।
- **जन विश्वास सुनिश्चित करना:** मीडिया की जाँच और NGO की याचिकाएँ प्रशासन से पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की माँग करती हैं।

B. आर्थिक हितों, राजनीतिक दबावों और कर्त्तव्यों में संतुलन

- **न्यायोचित आर्थिक संक्रमण हेतु चरणबद्ध प्रवर्तन:** वैध खनन को नियमित करते हुए अवैध गतिविधियों पर धीरे-धीरे अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि अचानक बेरोज़गारी न हो, यह विवेक और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है।
- **वैकल्पिक रोज़गार सृजन:** कौशल विकास कार्यक्रम, MGNREGA कार्य और इको-टूरिज़्म जैसी पहलों से अवैध खनन पर निर्भरता घटाने की आवश्यकता है, जिससे वितरणात्मक न्याय, आर्थिक अधिकार एवं सुभेद्य समुदायों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नैतिक राजनीतिक प्रबंधन एवं हितधारकों की जागरूकता:** स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लागतों का डेटा प्रस्तुत कर हितधारकों को आश्वस्त करने की आवश्यकता है, साथ ही सख्त नियमन को दीर्घकालिक शासन की सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- **समावेशी सामुदायिक भागीदारी और प्रक्रियात्मक न्याय:** निर्णय लेने में जनजातीय परिषदों, गैर-सरकारी संगठनों व स्थानीय समुदायों को शामिल करने से सहभागी शासन, निष्पक्षता एवं विश्वास कायम रहता है तथा प्रभावित समूहों के अधिकारों के लिये वैधता और सम्मान सुनिश्चित होता है।

C. उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

- **डिजिटल निगरानी:** GPS-सक्षम परिवहन परमिट, खनन स्थलों पर CCTV लगाए जाने चाहिये तथा कदाचार पर अंकुश लगाने के लिये ड्रोन निगरानी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **स्वतंत्र लेखा परीक्षा:** खनन संचालन और श्रम स्थितियों का समय-समय पर तृतीय-पक्ष द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिये, ताकि निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनी रहे।
- **सार्वजनिक रिपोर्टिंग:** ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किये जाने चाहिये, जिसमें खनन ट्टों, उल्लंघनों और दंडों की सूचीबद्ध जानकारी उपलब्ध हो तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था हो।
- **भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र:** भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये व्हिसलब्लोअर को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये, सख्त विभागीय जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा समझौता करने वाले अधिकारियों का का स्थानांतरण किया जाना चाहिये।

D. कार्रवाई का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य:

- **सत्यनिष्ठा:** भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव का विरोध करना।
- **न्याय:** जनजातीय अधिकारों की रक्षा करना और उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करना।
- **पर्यावरण संरक्षण:** वन, जल और मृदा का संरक्षण।
- **सहानुभूति:** कमजोर समुदायों और श्रमिकों की सुरक्षा।
- **साहस:** राजनीतिक दबाव के बावजूद सख्त निर्णय लेना।
- **उत्तरदायित्व:** जनता का विश्वास बनाने के लिये पारदर्शी निर्णय लेना।

निष्कर्ष:

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है, ***"पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने में नहीं।"***

अत: अवैध खनन पर नियंत्रण केवल प्रशासनिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि नैतिक अनिवार्यता भी है, ताकि विकास एवं संवहनीयता में संतुलन स्थापित हो, जनजातीय समुदाय की आजीविका सुरक्षित हो तथा भावी पीढ़ियों के लिये न्याय सुनिश्चित हो।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "एक लोक सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिये, लेकिन नैतिक रूप से उदासीन नहीं।" उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राजनीतिक तटस्थता और नैतिक उदासीनता की संक्षिप्त व्याख्या से उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- राजनीतिक तटस्थता और नैतिक संवेदनशीलता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक उदासीनता के खतरों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक लोक सेवक लोकतांत्रिक शासन की सत्यनिष्ठा बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय दलगत विचारों से प्रभावित न हों, वहीं नैतिक संवेदनशीलता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे निर्णय न्याय, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के अनुरूप हों। राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष रहना प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता के लिये आवश्यक है, लेकिन नैतिक उदासीनता अमानवीय, अन्यायपूर्ण या नैतिक दृष्टि से संदिग्ध परिणामों की ओर ले जा सकती है।

मुख्य भाग:

राजनीतिक तटस्थता: राजनीतिक तटस्थता सार्वजनिक निर्णय लेने में निष्पक्षता को संदर्भित करती है, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद शासन में निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- यह किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रह को रोककर जनता का विश्वास बनाती है।
- यह दलीय एजेंडे पर संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखती है।
- उदाहरण: चुनावों के दौरान, ज़िला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करते हैं कि आदर्श आचार संहिता सभी पक्षों पर समान रूप से लागू हो और कानून लागू करते समय निष्पक्षता बरतें।

नैतिक संवेदनशीलता: जहाँ राजनीतिक तटस्थता पक्षपात को रोकती है, वहीं नैतिक संवेदनशीलता प्रशासन में मानवीय मूल्यों के क्षरण को रोकती है।

- इसके लिये सहानुभूति, नैतिक निर्णय और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
- यह ***"मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था"*** जैसी मानसिकता को रोकता है जो अन्याय को उचित ठहरा सकती है।
- उदाहरण: एक लोक सेवक राजनीतिक दबाव के बावजूद, पर्यावरणीय संधारणीयता और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, प्रदूषणकारी उद्योग को मंज़ूरी देने से इनकार कर देता है।

नैतिक उदासीनता का खतरा: नैतिक उदासीनता अमानवीय शासन को जन्म दे सकती है, जहाँ नियमों को परिणामों की परवाह किये बिना यंत्रवत् लागू किया जाता है।

- **ऐतिहासिक उदाहरण:** औपनिवेशिक भारत में भेदभावपूर्ण कानूनों का आँख मूँदकर पालन करने से जनता की पीड़ा और बढ़ गई।
- **समकालीन उदाहरण:** संवेदनशील विकल्पों की खोज़ किये बिना मामूली दस्तावेज़ी त्रुटियों के कारण कमज़ोर समूहों को कल्याणकारी लाभों से वंचित करना।

तटस्थता और नैतिकता में संतुलन:

- लोकतांत्रिक निष्पक्षता की रक्षा के लिये राजनीतिक प्रभाव को निर्णय लेने से अलग रखना आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्णय नागरिकों के हित में हों और न्याय को बनाए रखें, नैतिक तर्क को शामिल किया जाना चाहिये।
- राजनीतिक आदेशों के बजाय संविधान को नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अपनाया जाना चाहिये।
  - उदाहरण: सांप्रदायिक तनाव के दौरान, एक अधिकारी को सभी समुदायों के भड़काने वालों के विरुद्ध कार्रवाई (तटस्थता) करनी चाहिये, लेकिन साथ ही कमज़ोर समूहों को विशेष सुरक्षा (नैतिक कर्त्तव्य) भी प्रदान करनी चाहिये।

निष्कर्ष:

एक लोक सेवक की वैधता नैतिक उत्तरदायित्व द्वारा निर्देशित राजनीतिक निष्पक्षता पर आधारित होती है। तटस्थता निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, जबकि नैतिकता न्याय सुनिश्चित करती है। वास्तविक शासन वही है जिसमें बिना किसी पक्षपात के, परंतु करुणा और नैतिक दृढ़ता के साथ संविधान के उद्देश्यों, विशेषकर अनुच्छेद 14, नीति निदेशक तत्त्वों तथा सिविल सेवा आचरण नियमों के आदर्शों की पूर्ति की जाये।

प्रश्न : "नैतिकता के बिना ज्ञान निरर्थक है और ज्ञान के बिना नैतिकता भयावह होती है।" विश्लेषण कीजिये कि लोक सेवा में नैतिक सच्चरित्रता और व्यावसायिक दक्षता के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक सेवा के संदर्भ में नैतिक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक क्षमता को परिभाषित कीजिये।
- लोक सेवा में इन मूल्यों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- योग्यता के बिना सत्यनिष्ठा के खतरों पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक क्षमता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक सेवा में केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि नैतिक सत्यनिष्ठा/सच्चरित्रता भी आवश्यक होती है। नैतिक सत्यनिष्ठा यह सुनिश्चित करती है कि कार्य जनता के हित और मूल्यों के अनुरूप हों, जबकि व्यावसायिक दक्षता यह सुनिश्चित करती है कि दायित्वों का निर्वहन कुशलता, प्रभावशीलता और विधिसम्मत तरीक़े से हो। इन दोनों में असंतुलन या तो अक्षमता या फिर कौशल के दुरुपयोग का कारण बन सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

नैतिक सच्चरित्रता:

- लोक सेवा में नैतिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन।
- उदाहरण: रेल मंत्री के रूप में कार्यरत लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था, जो कानूनी दायित्व से परे नैतिक जवाबदेही का एक उदाहरण है।

व्यावसायिक क्षमता:

- क्षमता वह ज्ञान, कौशल और अनुभव है जो कर्त्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिये आवश्यक है।
- उदाहरण: 'भारत के मेट्रो मैन' ई. श्रीधरन ने परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता को नैतिक नेतृत्व के साथ जोड़ते हुए परियोजनाओं को न्यूनतम लागत वृद्धि के साथ समय पर पूरा किया।

लोक सेवा में संतुलन की आवश्यकता

- **योग्यता के बिना सत्यनिष्ठा:** योग्यता के बिना केवल सत्यनिष्ठा ही विलंब, अकुशल नीति क्रियान्वयन और जनता के विश्वास की हानि का कारण बन सकती है।
- **निष्ठा के बिना योग्यता:** सत्यनिष्ठा के बिना, योग्यता का प्रयोग भ्रष्टाचार, पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग के लिये किये जाने का खतरा होता है।
- इस प्रकार, सत्यनिष्ठा ***'क्या किया जाना चाहिये'*** का मार्गदर्शन करती है और योग्यता यह सुनिश्चित करती है कि ***'यह कैसे किया जाना चाहिये'।***

शासन में अनुप्रयोग

- **नीति कार्यान्वयन:** MGNREGA जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये परिचालन दिशानिर्देशों और धन के नैतिक उपयोग का ज्ञान आवश्यक है।
- **संकट प्रबंधन:** आपदा राहत में, सत्यनिष्ठा सहायता के निष्पक्ष वितरण का मार्गदर्शन करती है, जबकि योग्यता त्वरित रसद व्यवस्था सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन करती है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** एक डिजिटल रूप से सक्षम अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में भ्रष्टाचार को रोक सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा के बिना, डेटा हेरफेर के लिये तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

लोक सेवा नैतिक शक्ति और तकनीकी दक्षता का संयोजन है। अरस्तू के 'सद्गुण नैतिकता' सिद्धांत के अनुसार, उत्कृष्टता का स्थान नैतिक गुण और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के संतुलन में है। इस प्रकार, आदर्श लोक सेवक वह है जो सही कार्य करता है और यह भी जानता है कि सही कार्य कैसे किया जाये, जिससे शासन व्यवस्था न्यायपूर्ण तथा प्रभावी बनती है।

प्रश्न : नैतिक आघात (Moral Injury) की संकल्पना की समीक्षा कीजिये तथा विधि-प्रवर्तन एवं प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत पेशेवरों पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक आघात की अवधारणा का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- विधिक-प्रवर्तन और प्रशासनिक सेवाओं के पेशेवरों के लिये इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक आघात वह मानसिक, भावनात्मक या नैतिक आघात है जो तब अनुभव की जाती है जब व्यक्ति अपने गहरे नैतिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है या उनके उल्लंघन का गवाह बनता है। प्रारंभ में सैन्य संदर्भों में अध्ययन की गई, यह अवधारणा विधिक-प्रवर्तन और प्रशासनिक सेवाओं के लिये अत्यधिक प्रासंगिक है, जहाँ अधिकारियों को प्राय: व्यक्तिगत नैतिकता, संस्थागत निर्देशों एवं सार्वजनिक अपेक्षाओं के बीच दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

नैतिक आघात की अवधारणा

- नैतिक आघात नैतिक विश्वासों और व्यावसायिक कार्यों या बाधाओं के बीच विसंगति से उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिये, एक पुलिस अधिकारी जो निर्दोष नागरिकों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित प्राथमिकी दर्ज करने के लिये विवश होता है, या एक लोक सेवक जो सीमांत समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद एक विवादास्पद भूमि

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अधिग्रहण को लागू करता है, उसे अपराधबोध, लज्जा या मोहभंग का अनुभव हो सकता है।

- व्यावसायिक तनाव के विपरीत, नैतिक आघात नैतिक पहचान को नष्ट करती है, जिसका प्रभाव व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के कामकाज पर पड़ता है।

विधिक-प्रवर्तन पर प्रभाव

- **मानसिक प्रभाव:** नैतिकता से समझौता करने के लिये मजबूर होने पर अधिकारियों में अपराधबोध, शर्मिंदगी या PTSD जैसे लक्षण विकसित हो सकते हैं।
- **नैतिक क्षरण:** बार-बार नैतिक समझौते भ्रष्टाचार या बलपूर्वक व्यवहार को सामान्य बना सकते हैं।
- **जनता के विश्वास में कमी:** हतोत्साहित अधिकारी संदेहवादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जिससे समुदाय का विश्वास कमज़ोर होता है।
- **उदाहरण:** जो पुलिस अधिकारी सांप्रदायिक दंगों की अनुमति देते हैं, उनके गवाह बनते हैं या उन पर इसमें भाग लेने का दबाव होता है, वे प्राय: मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण दीर्घकालिक नैतिक और मानसिक संकट से पीड़ित होते हैं।

प्रशासनिक सेवाओं पर प्रभाव

- **संवेदनात्मक द्वंद्व:** अधिकारी राजनीतिक निर्देशों और संवैधानिक दायित्वों के बीच संघर्ष कर सकते हैं।
- **मनोबल और निष्ठा में कमी:** नैतिक समझौते अधिकारियों को हतोत्साहित करते हैं और सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- **शासन की कमी:** निर्णय लेने में अक्षमता या अनैतिक अनुपालन जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
- **उदाहरण:** पारदर्शी नियमों के बावजूद विशिष्ट ठेकेदारों का पक्ष लेने के लिये मज़बूर एक ज़िला कलेक्टर नैतिक संकट का अनुभव कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक शासन प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

आगे की राह

- **नैतिक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता:** नैतिक तर्क, सहानुभूति और मूल्य-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिये।
- **सहायता प्रणालियाँ:** परामर्श, सहकर्मी सहायता और मार्गदर्शन नैतिक दुविधाओं से निपटने में सहायता करते हैं।
- **मुखबिर संरक्षण और शिकायत निवारण:** अनैतिक निर्देशों का विरोध करने के लिये सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाना चाहिये।
- **नेतृत्व और संस्थागत सुधार:** नैतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये और अधिकारियों को अनुचित दबाव से बचाया जाना चाहिये।
- **उदाहरण:** सरकारी विभागों में नैतिकता प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समितियाँ संरचित सहायता प्रदान करके नैतिक आघात को कम करने में सहायता करती हैं।

निष्कर्ष:

नैतिक आघात से निपटने के लिये अधिकारियों को कांटियन नैतिक कर्त्तव्य के अनुसार कार्य करने, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों तथा व्यक्तिगत विवेक एवं नागरिक विश्वास दोनों को बनाए रखने के लिये सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता व जवाबदेही के लोक सेवा लोकाचार को अपनाने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न : "लोक प्रशासन में नैतिकता व्यक्तिगत सद्गुण, व्यावसायिक निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रतिच्छेदन पर कार्य करती है।" चर्चा कीजिए। लोक प्रशासन में नैतिकता व्यक्तिगत सद्गुण, पेशेवर सत्यनिष्ठा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, इन तीनों के अंतर्संबंधों पर कार्य करती है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन में नैतिकता को परिभाषित कीजिये।
- तीन आयामों— व्यक्तिगत सद्गुण, पेशेवर सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिये।
- इन तीनों के अंतर्संबंधों को दर्शाइये तथा यह भी चर्चा कीजिये कि वे शासन एवं सेवा वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
- भारतीय प्रशासनिक प्रथाओं, नीतियों या केस स्टडीज़ के उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिये।
- आधुनिक लोक प्रशासन के लिये प्रासंगिकता के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

लोक प्रशासन में नैतिकता लोक सेवकों के व्यवहार, निर्णयों और शासन का मार्गदर्शन करती है। यह व्यक्तिगत सद्गुण, पेशेवर सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्संबंध पर कार्य करती है तथा लोकतांत्रिक शासन में उत्तरदायित्व, विश्वास एवं वैधता सुनिश्चित करती है।

मुख्य भाग:

व्यक्तिगत सद्गुण

- व्यक्तिगत सद्गुण नैतिक लोक सेवा का आधार बनता है।
- इसमें सत्यनिष्ठा, साहस, सहानुभूति और आत्म-अनुशासन जैसे गुण शामिल हैं।
- व्यक्तिगत नैतिकता दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने को आकार देती है तथा संगठनात्मक व्यवहार का आधार निर्धारित करती है।
  - उदाहरण के लिये, रिश्वत लेने से इनकार करने वाला या राजनीतिक दबाव का विरोध करने वाला अधिकारी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करता है, जो सहकर्मियों को प्रभावित करता है तथा एक नैतिक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- व्यक्तिगत सद्गुण के बिना, अन्य नैतिक आयाम कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिससे शासन में समझौता हो सकता है।

पेशेवर सत्यनिष्ठा

- नियमों का पालन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता शामिल है।
- दबाव में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने और प्रक्रियात्मक औचित्य सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण: सूचना का अधिकार (RTI) का कार्यान्वयन पारदर्शिता और नागरिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
- व्यक्तिगत नैतिकता को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ता है, जिससे निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित होता है।

सामाजिक उत्तरदायित्व

- नैतिकता का विस्तार जनहित, सामाजिक न्याय और सीमांत समूहों की सेवा तक होता है।
- इसके लिये समान नीति कार्यान्वयन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण: MGNREGA ग्रामीण आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है।
- इस आयाम के बिना नैतिक आचरण प्रतीकात्मक या स्वार्थ-साधन बन सकता है।

अंतर्संबंध

- व्यक्तिगत सद्गुण पेशेवर सत्यनिष्ठा को आधार प्रदान करता है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व को सक्षम बनाता है।
- किसी भी आयाम में कमज़ोरी नैतिक शासन को कमज़ोर कर सकती है।
- उदाहरण: व्यक्तिगत स्तर पर भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास कम हो जाता है तथा यह सामाजिक कार्यक्रमों के प्रभाव को कम करता है।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में नैतिकता के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्तिगत सद्गुण, व्यावसायिक निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश हो। अरस्तू के सद्गुण नीतिशास्त्र के मार्गदर्शन में, जहाँ अधिकारी सद्गुण, साहस और व्यावहारिक ज्ञान का विकास करते हैं तथा लोकसेवा की नैतिकता जैसे: निष्ठा, निष्पक्षता व उत्तरदायित्व को अपनाते हैं, तब शासन पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित एवं न्यायसंगत बनता है।

प्रश्न : "विश्वसनीयता विश्वास से आती है और निरंतरता धैर्य से बनी रहती है।" लोक प्रशासन के उदाहरणों के साथ इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विश्वसनीयता और धैर्य के गुणों का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- विश्वसनीयता के निर्माण में विश्वास की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- निरंतरता की गारंटी के रूप में धैर्य पर चर्चा कीजिये।
- उनकी सीमाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक है, जो शासन प्रणालियों के लिये विश्वास अर्जित करती है। धैर्य नैतिक साहस, दृढ़ता और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजनीतिक, सामाजिक अथवा संस्थागत चुनौतियों के बावजूद नैतिक आचरण की सतत् प्रवृत्ति सुनिश्चित करता है। ये दोनों गुण मिलकर लोकसेवा की नैतिक नींव को मज़बूत बनाते हैं।

मुख्य भाग:

विश्वसनीयता के स्रोत के रूप में विश्वास

- विश्वसनीयता से विश्वास बढ़ता है, क्योंकि नागरिक उन संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जो सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ काम करती हैं।
- एक विश्वसनीय प्रशासक या संस्था वैधता अर्जित करती है, जो लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण: वर्ष 1965 के खाद्य संकट के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की विश्वसनीयता ने *"जय जवान, जय किसान"* के नारे के माध्यम से नागरिकों के बीच विश्वास को प्रेरित किया।
- विश्वसनीयता के बिना शासन में निराशावाद, भ्रष्टाचार और जन विश्वास में कमी आती है।

निरंतरता की गारंटी के रूप में धैर्य

- धैर्य, विरोध या प्रतिकूलता के बावजूद नैतिक निर्णय लेने में दृढ़ बने रहने की क्षमता है।
- प्रशासकों को प्राय: निहित स्वार्थों, राजनीतिक वरिष्ठों या यहाँ तक कि जन प्रतिरोध के दबाव का सामना करना पड़ता है।
- दृढ़ता उन्हें मूल्यों को कायम रखने और दीर्घकालिक सुधारों को बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
- **उदाहरण:**
  - **सरदार वल्लभभाई पटेल:** उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में दृढ़ता दिखाई, जिससे नव स्वतंत्र राष्ट्र की निरंतरता सुनिश्चित हुई।
  - **ई. श्रीधरन (दिल्ली मेट्रो):** उन्होंने भ्रष्टाचार और अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त मेट्रो परियोजना को क्रियान्वित करने में दृढ़ता का परिचय दिया, तथा उच्च मानकों की निरंतरता सुनिश्चित की।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम संस्थागत दृढ़ता को दर्शाता है, जो प्रतिरोध के बावजूद पारदर्शिता सुधारों में निरंतरता को सक्षम बनाता है।
- दृढ़ता यह सुनिश्चित करती है कि शासन बाहरी दबाव के कारण बिखर न जाए, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप बना रहे।

समालोचनात्मक मूल्यांकन

- **केवल विश्वसनीयता पर्याप्त नहीं है:** विश्वसनीयता के लिये कुशलता और दक्षता भी आवश्यक हैं। शुभचिंतक किन्तु अक्षम प्रशासक जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर सकता।
- **अनुकूलनशीलता के बिना धैर्य:** अत्यधिक कठोरता लचीलापन और व्यावहारिक निर्णय क्षमता में बाधा डाल सकती है। सहनशीलता का अर्थ जिद में परिवर्तन नहीं होना चाहिये।
- **पूरक मूल्यों की आवश्यकता:** प्रभावी लोक प्रशासन के लिये सहानुभूति, जवाबदेही, निष्पक्षता और दक्षता समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

विश्वसनीयता और धैर्य परस्पर निर्भर गुण हैं जो नैतिक शासन को सुदृढ़ करते हैं। फिर भी, शासन को वास्तव में समग्र बनाने के लिये, इनके साथ योग्यता, सहानुभूति और जवाबदेही का भी समावेश होना आवश्यक है। जैसा कि सद्गुण नैतिकता पर बल दिया गया है, चरित्र नैतिक कर्म का आधार है—विश्वास सत्य से उत्पन्न होता है, साहस निरंतरता को बनाए रखता है, और ये सब मिलकर एक सद्गुणी लोक सेवा को आकार देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "लोक सेवा में सच्ची लैंगिक समानता न केवल तब प्राप्त होती है जब महिलाएँ प्रशासनिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं, बल्कि तब भी प्राप्त होती है जब प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं सत्यनिष्ठा के मानकों से समझौता किये बिना उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढलती है।" प्रशासन में महिला अधिकारियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये और उनकी दक्षता बढ़ाने तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिये सुधारों का सुझाव दीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक सेवाओं में सच्ची लैंगिक समानता की आवश्यकता का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- प्रशासन में महिला अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
- उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने और शुचिता बनाए रखने के लिये सुधार सुझाइए।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

परिचय:

लोकसेवा में लैंगिक समानता केवल संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाने में निहित है जो सक्षम प्रणाली प्रदान करे। वास्तविक समानता तब प्राप्त होती है जब प्रशासनिक ढाँचा महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, जिससे वे दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें और साथ ही शुचिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा बनाए रख सकें।

मुख्य भाग:

महिला अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **संरचनात्मक बाधाएँ:**
  - सीमित लैंगिक-संवेदनशील मानव संसाधन नीतियाँ।
  - कठोर स्थानांतरण नीतियाँ, बाल देखभाल सहायता का अभाव, तथा लैंगिक-अनुकूल बुनियादी ढाँचे का अभाव व्यावहारिक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, महिला IPS अधिकारियों को प्राय: पर्याप्त आवास या चिकित्सा सुविधाओं के बिना दूरदराज़ के स्थानों पर तैनात होने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **कार्यस्थल पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता:**
  - महिला अधिकारियों के बारे में प्राय: यह धारणा होती है कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण जैसे "सॉफ्ट" विभागों के लिये अधिक उपयुक्त होती हैं, जबकि कानून प्रवर्तन, वित्त या बुनियादी ढाँचे के विभागों के लिये उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
  - तिहाड़ जेल में किरण बेदी की तैनाती ने यह दर्शाया कि किस प्रकार महिला प्रशासक तथाकथित "कठिन" क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।
- **परिचालन और क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ:**
  - नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
  - उदाहरण: रेमा राजेश्वरी, IPS ने तेलंगाना की साइबर अपराध और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों में काम किया, और प्रणालीगत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **पेशेवर चुनौतियाँ:**
  - महिला अधिकारियों पर कभी-कभी पुरुष-प्रधान नेटवर्क में "समायोजन" करने का दबाव डाला जाता है।
  - सीमित मार्गदर्शन और वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की कम उपस्थिति, कॅरियर की प्रगति में बाधा डालती है।
  - IAS और IPS के उच्च पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व दशकों से सेवा में रहने के बावजूद अनुपातिक रूप से कम है।
- **कार्य संतुलन:**
  - प्रशासन और घरेलू देखभाल की दोहरी ज़िम्मेदारी।
  - संसदीय समिति की समीक्षा के दौरान विभिन्न महिला अधिकारियों ने अपनी नियुक्तियों में संस्थागत बाल देखभाल सहायता की कमी को उजागर किया है।

शुचिता पर प्रभाव

- सुरक्षा या पारिवारिक प्रतिबंधों के कारण कठिन पदों से परहेज करना काडर वितरण में निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।
- स्वतंत्रता से समझौता करने का सामाजिक दबाव सत्यनिष्ठा को कम करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अधिक बोझ से कार्यकुशलता कम हो जाती है, तथा अप्रत्यक्ष रूप से सेवा वितरण पर प्रभाव पड़ता है।

दक्षता बढ़ाने और शुचिता बनाए रखने के लिये सुधार

- **नीति और संरचनात्मक सुधार**
  - लचीले कार्य घंटे, बच्चों की देखभाल में सहायता, तथा रीजनल पोस्टिंग तक समान पहुँच।
  - उदाहरण: केरल सरकार की जेंडर बजट पहल लैंगिक-संवेदनशील नीति ढाँचे के लिये एक अनुकरणीय मॉडल प्रदान करती है।
- **कार्यस्थल संस्कृति:**
  - LBSNAA और पुलिस अकादमियों में प्रशिक्षण में लैंगिक-संवेदनशीलता मॉड्यूल।
  - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 का सख्ती से प्रवर्तन।
- **परिचालनात्मक समर्थन:**
  - दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षित आवास और स्वच्छता सुविधाएँ।
  - उदाहरण: नवजोत खोसा, IAS ने चक्रवात-प्रवण केरल में उचित सुरक्षा और रसद सहायता के साथ काम किया, जिससे यह साबित हुआ कि महिला अधिकारी संकट का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकती हैं।
- **नैतिक सुदृढ़ीकरण**
  - सिविल सेवाओं की आचार संहिता में लैंगिक न्याय को एकीकृत करना।
  - अरुणा सुंदरराजन, IAS जैसी वरिष्ठ महिला अधिकारियों के नेतृत्व में मेंटरशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जिन्होंने डिजिटल गवर्नेंस में कैडरों को सलाह दी।
- **सामाजिक उपाय**
  - पितृत्व अवकाश और साझा देखभाल को बढ़ावा देना।
  - सफल महिला प्रशासकों को सार्वजनिक मान्यता देकर रूढ़िवादिता को बदला जा सकता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि यूनाइटेड नेशन वूमेन ने सही कहा है, ***"लैंगिक समानता** एक विकल्प नहीं, बल्कि **अनिवार्यता** है।"* लोक प्रशासन के लिये इसका अर्थ है, सांकेतिक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना। महिला प्रशासकों को जब समान अवसर दिये जाते हैं तो वे शासन की समावेशिता, दक्षता और नैतिक ढाँचे को मज़बूत बनाती हैं।

प्रश्न : जैन धर्म ने स्याद्वाद (सापेक्ष कथनपद्धति का सिद्धांत) और अनेकांतवाद (अनेक दृष्टिकोणों का सिद्धांत) पर बल दिया। बहुलतावादी समाज में लोकतांत्रिक विमर्श और सहिष्णुता को सुदृढ़ करने में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जैन दर्शन के स्याद्वाद और अनेकांतवाद को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- लोकतांत्रिक विमर्श को सुदृढ़ करने तथा बहुलतावादी समाज में सहिष्णुता को विकसित करने में इनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जैन दर्शन, स्याद्वाद (सशर्त सत्य: सभी दृष्टिकोण संदर्भ-बद्ध हैं) और अनेकांतवाद (अपरिग्रह: यथार्थ के अनेक पक्ष होते हैं) के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें बौद्धिक विनम्रता रखनी चाहिये तथा विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना चाहिये।

- ये सिद्धांत बहुलतावादी समाज में लोकतांत्रिक विमर्श और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने के लिये एक दृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य भाग:

लोकतांत्रिक विमर्श को सुदृढ़ बनाने में प्रासंगिकता:

- **संवाद और विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना**
  - अनेकांतवाद विविध दृष्टिकोणों की स्वीकृति को बढ़ावा देता है, जो संसदीय बहसों, संघीय वार्ताओं और नीतिगत विचार-विमर्श का आधार है।
  - उदाहरण: समान नागरिक संहिता, कृषि कानूनों या पर्यावरण नीति पर बहस के लिये बहु-दृष्टिकोणीय विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ध्रुवीकरण और हठधर्मिता पर अंकुश**
  - स्याद्वाद सर्वथा-निश्चयात्मक दावों को संयमित करता है तथा सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। वैचारिक ध्रुवीकरण के युग में यह सुनने की प्रवृत्ति और भिन्नताओं के प्रति सम्मान की संस्कृति का पोषण करता है।
  - यह 'मेरी ही राह – अन्य कोई नहीं' जैसे संकुचित दृष्टिकोण को चुनौती देता है तथा जटिल विषयों जैसे: आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक सुधार या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक सूक्ष्म एवं बहुपक्षीय समझ विकसित करता है।
- **आम सहमति निर्माण को बढ़ावा**
  - विभिन्न दृष्टिकोणों की वैधता को स्वीकार करने से निर्णय-प्रक्रिया में परस्पर-विरोधी हितों के बीच संतुलन संभव हो पाता है।
  - उदाहरण: GST सुधारों में सहकारी संघवाद के माध्यम से विविध प्रांतीय हितों में सामंजस्य स्थापित किया गया।
- **अल्पसंख्यकों की आवाज़ और समावेशिता सुनिश्चित करना**
  - अनेकांतवाद समाज में बहुलता को सुनिश्चित करते हुए उपेक्षित स्वरूपों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करता है, जिससे बहुलतावादी समाज का निर्माण सुनिश्चित होता है।
  - उदाहरण: सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का समर्थन 'योग्यता के निषेध' के रूप में नहीं, अपितु 'सामाजिक यथार्थ की स्वीकृति' के रूप में किया जाता है।

बहुलतावादी समाज में सहिष्णुता को मज़बूत करने में प्रासंगिकता

- **सांस्कृतिक और धार्मिक सद्भाव**
  - विभिन्न धर्मों और दर्शनों को सत्य की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देता है।
  - उदाहरण: भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल निषेध पर आधारित नहीं है, बल्कि 'सर्वधर्मसमभाव' (सभी धर्मों के प्रति समान आदर) पर आधारित है।
- **विविधता के बीच सामाजिक एकता**
  - निरंकुशता को अस्वीकार करके और बहुलता को अपनाकर भारत की भाषा, जाति एवं जातीयता की विविधता को प्रबंधित करने में सहायता करता है।
- **सहानुभूति और विनम्रता को बढ़ावा देना:**
  - अपने ही दृष्टिकोण को आंशिक रूप से सही मानने का भाव व्यक्ति में विनम्रता और सहानुभूति उत्पन्न करता है।
  - यह एक कार्यशील बहुलतावादी समाज के लिये अत्यंत आवश्यक गुण है। इससे व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण से संसार को देख पाता है और उनके संघर्षों तथा विश्वासों की वैधता को स्वीकार करता है।

सीमाएँ और चुनौतियाँ

- **सापेक्षतावाद का जोखिम:** अनेक दृष्टिकोणों पर अत्यधिक बल देना नैतिक या आध्यात्मिक सापेक्षतावाद (Relativism) को जन्म दे सकता है, जिससे न्याय, अधिकार या शासन के ठोस सिद्धांत कमज़ोर पड़ सकते हैं।
- **निर्णय लेने में अक्षमता:** प्रत्येक दृष्टिकोण (स्याद्वाद) का अति-विश्लेषण नीति-निर्माण की गति धीमी कर सकता है अथवा आपात स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकता है।

निष्कर्ष

"समाज की वास्तविक शक्ति विचारों की एकरूपता में नहीं, बल्कि विविध दृष्टिकोणों के सामंजस्य में निहित होती है।"

जैन दर्शन के 'अनेकांतवाद' और 'स्याद्वाद' बौद्धिक विनम्रता, उदारता एवं सहिष्णुता के सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र तथा बहुलतावाद की भावना के साथ गहराई से जुड़े हैं। यद्यपि ये दृढ़ संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का स्थान नहीं ले सकते, फिर भी ये एक बहुलतावादी समाज में संवाद, समावेशिता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये एक दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं।

प्रश्न : सुन त्ज़ु ने कहा था, "युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े शत्रु को परास्त करना है।" वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह उद्धरण कहाँ तक लागू होता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध कला पर सुन त्ज़ु के कथन की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

सुन त्जु का युद्ध कला पर उद्धरण प्रत्यक्ष संघर्ष की तुलना में रणनीति, कूटनीति और प्रभावशाली पहलुओं पर ज़ोर देता है।

- आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जहाँ बड़े स्तर पर युद्ध महँगा और अस्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है, बिना प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सिद्धांत अत्यधिक प्रासंगिक होता जा रहा है।

मुख्य भाग:

आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध कला पर सुन त्जु के उद्धरण की प्रासंगिकता:

- **संघर्ष प्रबंधन के लिये सामरिक कूटनीति:**
  - **बहुपक्षीय संस्थाएँ:** संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसे मंच, राष्ट्रों को युद्ध के बिना वैश्विक मानदंडों को आकार देने में सक्षम बनाते हैं।
  - **गठबंधन निर्माण:** नाटो, क्वाड या SCO जैसे गठबंधन देशों को सामूहिक रूप से शक्ति प्रदर्शित करने और संघर्ष को रोकने की अनुमति देते हैं।
  - **रणनीतिक संकेत:** पहलगाम हमले (सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल) के बाद भारत की सक्रियता, जिसके परिणामस्वरूप तियानजिन घोषणा-पत्र में औपचारिक निंदा की गई, सैन्य प्रतिशोध की तुलना में प्रभावी कूटनीतिक संकेत को दर्शाती है।
  - **जल कूटनीति:** भारत ने सिंधु जल संधि का रणनीतिक रूप से उपयोग किया है, यह घोषणा करते हुए कि इसे तब तक "निलंबित" रखा जाएगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ प्रमाणित कार्रवाई नहीं करता।
    - यह सीमा पार जल समझौतों के माध्यम से गैर-सैन्य दबाव को दर्शाता है।
- **गैर-सैन्य उपकरण के रूप में आर्थिक लाभ**
  - **प्रतिबंध और व्यापार उपाय:** रूस (यूक्रेन पर आक्रमण के बाद) और ईरान जैसे देशों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध प्रत्यक्ष युद्ध के बिना दबाव को दर्शाते हैं।
  - **व्यापार और सहायता कूटनीति:** देश अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये व्यापार समझौतों, विकास सहायता और बुनियादी ढाँचे में निवेश (जैसे, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल) का उपयोग करते हैं।
  - **निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाएँ:** रणनीतिक क्षेत्रों (जैसे सेमीकंडक्टर, दुर्लभ धातुएँ) पर नियंत्रण बल प्रयोग के बिना प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है।
- **रणनीतिक निवारण**
  - **परमाणु और उन्नत सैन्य क्षमताएँ:** जवाबी कार्रवाई का खतरा युद्धों को बढ़ने से रोकता है, देश प्रत्यक्ष युद्ध की तुलना में अप्रत्यक्ष रूप से निवारण के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं।
  - **शक्ति का संतुलित प्रयोग:** पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हाल ही में किये गए हवाई हमलों ने आतंकवाद को दंडित करने के लिये गैर-राज्यीय तत्त्वों को लक्षित करके शक्ति के संतुलित उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया, साथ ही व्यापक युद्ध छेड़े बिना, भारत के संकल्प का संकेत भी दिया।
- **सूचना और साइबर रणनीतियाँ**
  - **साइबर युद्ध और दुष्प्रचार:** राष्ट्र पारंपरिक युद्ध के बिना विरोधियों को कमज़ोर करने के लिये साइबर हमलों, निगरानी और दुष्प्रचार अभियानों का तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं।
    - वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनाव के दौरान रूस द्वारा साइबर हमलों और दुष्प्रचार का कथित उपयोग इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

निष्कर्ष:

यद्यपि प्रत्यक्ष युद्ध अभी भी होते हैं, किंतु राष्ट्र आर्थिक, तकनीकी और सॉफ्ट पावर जैसे साधनों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, जो बिना लड़े प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने की कला को दर्शाता है। जैसा कि सुन त्ज़ू ने कहा है, "सौ युद्धों में सौ जीत प्राप्त करना कौशल की पराकाष्ठा नहीं है। बिना लड़ाई के शत्रु को पराजित करना ही वास्तविक कौशल है।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : खुशी कोई वस्तु नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है; यह कोई बाह्य साधन नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्षमता है। (1200 शब्द)

परिचय:

1940 के दशक में, मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल को नाज़ी यातना शिविरों में कैद कर दिया गया, जहाँ उन्होंने अकल्पनीय अत्याचारों का सामना किया। अपनी संपत्ति, पहचान और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी वंचित होने के बावजूद, विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी ऐसे भी थे जो रोटी का एक टुकड़ा साझा करके, एक-दूसरे को सांत्वना देकर या कंटीली तारों के पार सूर्योदय को निहारते हुए भी शांति के क्षण पा लेते थे। बाद में फ्रैंकल ने लिखा, "एक व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज़ के- अंतिम मानवीय स्वतंत्रता — किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता।" अँधेरे के बावजूद कुछ लोगों ने निराशा के बजाय आशा को चुना। यह एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है — के बावजूदइस बात पर निर्भर नहीं करतीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि हम कैसे जीते हैं और परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। खुशी कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक विकसित की गई आंतरिक क्षमता, एक प्रतिभा है।

मुख्य भाग :

विषय की समझ

मुख्य बिंदु:

- **खुशी:** कल्याण और संतोष की एक व्यक्तिपरक स्थिति।
- **कैसे, क्या नहीं:** साधन/प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, न कि अंत या अधिकार पर।
- **प्रतिभा, कोई वस्तु नहीं:** यह सुझाव देता है कि खुशी एक विकसित करने योग्य क्षमता या कौशल है, न कि कोई भौतिक वस्तु।

दार्शनिक परिप्रेक्ष्य

पूर्वी विचारधारा:

- **बौद्ध धर्म:** खुशी वैराग्य, ध्यान और अष्टांगिक मार्ग से उत्पन्न होती है।
- **भगवद् गीता:** 'निष्काम कर्म' पर जोर देती है - फल की आशा किये बिना कर्तव्य करना।
- **जैन धर्म और योग दर्शन:** मानसिक अनुशासन, संयम और आंतरिक शांति पर जोर।

पश्चिमी विचारधारा:

- **अरस्तू का यूडेमोनिया:** सच्चा सुख सद्गुण और मानवीय क्षमता की प्राप्ति में पाया जाता है।
- **स्टोइकिज़्म (एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस):** बाहरी घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके खुशी प्राप्त की जाती है।
- **इमैनुएल कांट:** नैतिकता और खुशी इरादे और कर्तव्य में निहित है, न कि परिणामों में।

मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक समझ

- **सकारात्मक मनोविज्ञान (मार्टिन सेलिगमैन):** PERMA मॉडल - सकारात्मक भावना, जुड़ाव, रिश्ते, अर्थ, उपलब्धि।
- **सुखात्मक बनाम यूडेमोनिक खुशी:** आनंद बनाम उद्देश्य।
- **तंत्रिका विज्ञान अंतर्दृष्टि:** क्षणिक आनंद से डोपामाइन बनाम निरंतर कल्याण से सेरोटोनिन।
- **प्रवाह अवस्था (मिहाली सिक्सजेंटमिहाली):** खुशी सार्थक गतिविधि में गहरे डूबने से आती है।
- **फ्लो स्टेट (मिहाली सिज़ेंटमिहाली):** खुशी अर्थपूर्ण गतिविधि में गहरी लगन और समर्पण से आती है।

खुशी: एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया

- **उपभोक्तावाद बनाम संतोष:** वस्तुओं का निरंतर पीछा करने से अनुकूलन और असंतोष (सुखवादी ट्रेडमिल) पैदा होता है।
- **सामाजिक जाल:** सापेक्षिक वंचना (Relative deprivation) व्यक्तिगत खुशी को प्रभावित करती है।
- **वस्तुओं की तुलना में अनुभव:** अध्ययनों से पता चलता है कि अनुभव (यात्रा, सीखना) भौतिक खरीद की तुलना में अधिक स्थायी खुशी प्रदान करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

खुश रहने की प्रतिभा: आंतरिक शक्ति का निर्माण

- **लचीलापन:** प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता।
- **माइंडफुलनेस और ध्यान:** बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता।
- **कृतज्ञता अभ्यास:** सकारात्मक पहलुओं की दैनिक स्वीकृति से खुशी बढ़ती है।
- **आत्म-करुणा:** असफलता के समय स्वयं के प्रति दयालु होना।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से संतुष्टि बढ़ती है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण:

- **नेल्सन मंडेला:** दशकों की कैद में भी अपने जीवन का अर्थ खोज लिया।
- **हेलेन केलर:** उद्देश्य और सीखने के माध्यम से संवेदी सीमाओं के बावजूद खुशी प्राप्त की।
- **संकट में फंसे साधारण लोग (जैसे, केरल बाढ़ स्वयंसेवक):** दूसरों की मदद करने से खुशी प्राप्त करते हैं।

खुशी के लिये समकालीन चुनौतियाँ

- **डिजिटल युग का विकर्षण:** सोशल मीडिया डोपामाइन-संचालित संतुष्टि की ओर ले जाता है, लेकिन दीर्घकालिक संतुष्टि को नष्ट कर देता है।
- **कार्यस्थल पर तनाव और थकान:** अधिक काम करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
- **शहरी अलगाव:** खंडित जीवन शैली सामाजिक बंधनों को कम करती है।

आगे की राह: जीवन कौशल के रूप में खुशी का विकास

- **पारस्परिक संबंध:** साझा (सहानुभूति, प्रेम, बंधन) करने से खुशी बढ़ती है।
- **दूसरों की सेवा:** परोपकारिता, सामुदायिक सेवा और नैतिक जीवन जीने से गहरी खुशी मिलती है।
- **सामाजिक पूंजी:** विश्वास, सामंजस्य और न्याय वाले समाज प्रसन्नता सूचकांक (उदाहरण के लिए, नॉर्डिक देश) में उच्च स्थान पर होते हैं।
- **पाठ्यक्रम एकीकरण:** जीवन कौशल, जागरूकता और नैतिक शिक्षा।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:** कर्मचारी कल्याण, सार्थक कार्य संस्कृति।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:** कर्मचारी कल्याण, सार्थक कार्य संस्कृति।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों तक पहुँच।
  - सकल राष्ट्रीय खुशी (भूटान) केंद्रित विकास।
  - भारत की कल्याणकारी बजट पहल (जैसे, आकांक्षी ज़िले, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम)।

निष्कर्ष:

"खुशी न तो कोई वस्तु है जिसे प्राप्त किया जा सके और न ही कोई मंज़िल जहाँ पहुँचा जाए, यह जीवन जीने का एक तरीका है, जिसे प्रतिदिन जिया, अभ्यास किया और विकसित किया जाता है।" जैसा कि महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, "सच्ची खुशी वही है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म — तीनों में सामंजस्य हो।" यह हमें याद दिलाता है कि आंतरिक संतुलन, न कि भौतिक संचय, ही खुशी का वास्तविक स्रोत है। बढ़ते तनाव, अलगाव और उपभोक्तावाद का सामना कर रहे विश्व में, कल्याण, सद्गुण और उद्देश्य के नजरिए से सफलता को पुन: परिभाषित करने की सख्त आवश्यकता है।

प्रश्न : सुविधा को स्वचालित करने में, हमने अपने विवेक को आउटसोर्स कर दिया है। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 2017 में झारखंड में घटी एक दुखद घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। 11 वर्षीय संतोषी कुमारी की कथित रूप से भूख से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके परिवार का राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा था, स्वचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ने उन्हें महीनों तक अनाज देने से इनकार कर दिया। बायोमेट्रिक आधारित यह प्रणाली पारदर्शिता और दक्षता के लिये लाई गई थी, लेकिन जब तकनीकी गड़बड़ी हुई, तो मानवीय विवेक के लिये कोई जगह नहीं बची। किसी सरकारी अधिकारी ने हस्तक्षेप नहीं किया, कोई जवाबदेही नहीं ठहराई गई—मशीन ने तो 'नियम' ही अपनाए थे। यह हृदय विदारक मामला

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बताता है कि जब हम सुविधाओं के लिये सेवाओं का स्वचालन करते हैं, तो नैतिक ज़िम्मेदारी उन प्रणालियों को सौंप देते हैं जो करुणा से अक्षम हैं।

"सुविधा के स्वचालन में, हमने अपना विवेक आउटसोर्स कर दिया है" यह कथन इस बात पर आलोचनात्मक विचार के लिये प्रेरित करता है कि जब तकनीकी समाधान मानवीय निरीक्षण से रहित होते हैं, तो वे नैतिक भागीदारी का क्षरण कर सकते हैं।

मुख्य भाग:

- **'स्वचालित सुविधा':** जीवन को आसान बनाने के लिये टेक्नोलॉजी—AI, एल्गोरिदम, डिजिटल सिस्टम का बढ़ता उपयोग।
- **'विवेक का आउटसोर्स':** नैतिक ज़िम्मेदारी और नैतिक विचार को मशीनों, प्रणालियों या नियमों को सौंप देना।

स्वचालन और सुविधा का विकास:

- औद्योगिक क्रांति से डिजिटल क्रांति, फिर AI युग तक का सफर।
- रोज़मर्रा: होम ऑटोमेशन, सेल्फ-ड्राइविंग कार, स्मार्ट असिस्टेंट।
- संस्थागत: भर्ती, पुलिसिंग, कंटेंट चयन में एल्गोरिदम का इस्तेमाल।
- लाभ: समय की बचत, श्रम में कमी, फैसलों में सटीकता।
- घरों का स्वचालन (होम ऑटोमेशन)

विवेक का क्षरण

- अब मशीनें तय करती हैं—क्या पढ़ें, क्या खरीदें, किसे लोन या नौकरी मिले।
- विवेक एक सक्रिय से पृष्ठभूमि में जाने लगता है।
- **सर्विलांस पूंजीवाद:** टेक्नोलॉजी कंपनियाँ यूज़र डेटा का शोषण केवल लाभ के लिये करती हैं, सार्वजनिक भलाई के लिये नहीं।
- **नैतिक अपवंचन:** एल्गोरिदम मूल्य आधारित न होकर लाभ/गति को प्राथमिकता देते हैं।
- **उदाहरण:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरत फैलाने वाले कंटेंट को प्रमोट करते हैं।
- **जवाबदेही की कमी:**
  - युद्ध में AI (जैसे: स्वचालित ड्रोन)
  - न्यायिक फैसलों में AI (जैसे: COMPAS सिस्टम)
- **प्रभाव:** जहाँ मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत थी, वहाँ अब "मशीन ने नियम अपनाए"।

वास्तविक उदाहरण

- **स्वास्थ्य:**
  - AI से मरीज़ों की जाँच—गलत निदान पर कौन ज़िम्मेदार?
- **युद्ध व निगरानी:**
  - मानवीय सत्यापन के बिना ड्रोन हमले।
  - चेहरा पहचानने वाले सिस्टम से पक्षपातपूर्ण गिरफ्तारी।
- **दैनिक जीवन व सोशल मीडिया:**
  - एल्गोरिदम से तय न्यूज़फीड, इको चेंबर का निर्माण।
  - ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट से आवश्यक सेवाओं की अस्वीकृति।
- इन सभी मामलों में, दक्षता करुणा पर हावी हो जाती है, और सुविधा आलोचनात्मक सोच का स्थान ले लेती है।

दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन

- **इमैनुअल कांट:** उन्होंने नैतिक दायित्व पर ज़ोर दिया कि इंसानों के साथ साधन के रूप में नहीं, बल्कि लक्ष्य के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिये, जबकि स्वचालन अक्सर इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- **हन्ना अरेन्ड्ट:** "बनालिटी ऑफ ईविल" (बुराई की सामान्यता) — जब लोग प्रश्न करना बंद कर देते हैं और बस सिस्टम का पालन करने लगते हैं।
- **गांधीवादी विचार:** मानव अंतरात्मा और नैतिक संयम समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिये आवश्यक हैं।

आगे की राह:

- **नैतिक ज़िम्मेदारी की पुनरावृत्ति:** तकनीक को उपकरण की तरह प्रयोग दीजिये, निर्णय का स्थानापन्न न बनाएँ (टेक्नो-मोरल ज़िम्मेदारी)।
- **नीति एवं नियमन:** AI के लिये नैतिक दिशा-निर्देशों को अनिवार्य कीजिये।
- **नैतिक साक्षरता:** STEM शिक्षा में नैतिक तर्कशक्ति का समावेश।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नागरिक ज़िम्मेदारी:** टेक निर्माता और उपयोगकर्त्ता दोनों से जवाबदेही की मांग।
- **रूपांतरण:** विरोध तकनीक से नहीं, बल्कि अनैतिक नवाचार से है।
  - EU AI अधिनियम, UNESCO की AI नैतिकता संबंधी दिशा-निर्देशों जैसे नैतिक रूपरेखाओं के उदाहरण।
- **ह्यूमन-इन-द-लूप सिस्टम:** स्वचालन के साथ मानवीय निगरानी का सम्मिलन।
- महाभारत के कृष्ण 'नैतिक एल्गोरिदम' की तरह हस्तक्षेप करते हैं, न केवल तर्क पर, बल्कि युक्ति, भाव और धर्म के आधार पर।
- तकनीकी ऑडिट, एल्गोरिदम की पारदर्शिता और डेवलपर्स के लिये नैतिक शिक्षा का सुझाव।

निष्कर्ष:

प्रौद्योगिकी की प्रगति ने निस्संदेह मानव जीवन को बदल कर रख दिया है, यह अभूतपूर्व सुविधा, गति और सटीकता प्रदान करती है। जैसे-जैसे हम शासन, न्याय, कल्याण और यहाँ तक कि युद्ध जैसे क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्वचालित करते जा रहे हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हम मानवीय सहानुभूति को यांत्रिक उदासीनता से बदलने के जोखिम में हैं, यानी "सुविधा की खातिर चरित्र की कुर्बानी"। जवाबदेही के बिना स्वचालन ऐसी प्रणालियाँ बनाता है, जो भले ही कुशलता से काम करना, लेकिन उनमें करुणा, संदर्भ की समझ और नैतिक विचार की कमी होती है।

इसलिये, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम ऐसा भविष्य बनाना, जहाँ तकनीक को नैतिकता के मार्गदर्शन में विकसित किया जाए, न कि उससे अलग-थलग। मानव अंतरात्मा को केंद्र में रखना होगा, ताकि नवाचार समावेश, गरिमा और न्याय की दिशा में आगे बढ़ना।

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था:

"जीवन का उद्देश्य केवल इसकी गति बढ़ाना नहीं है।"

प्रश्न : ऐसे जियो जैसे कल ही मरना है। ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना है। (1200 शब्द)

- **निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण:**
  - **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप मरना शुरू कर देते हैं।"
  - **स्टीव जॉब्स:** "आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा चाहिये और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यही है कि आप वही करें, जिसे आप महान कार्य मानते हैं और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है कि आप वही करें जिसे आप प्यार करते हैं।"
  - **सेनेका:** "जब हम टालमटोल करते रहते हैं, तो जीवन तेज़ी से आगे बढ़ता है।"
- **सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:**
  - **कार्पे डियम बनाम दीर्घकालिक विकास:** यह उद्धरण जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करते हुए पाठक को वर्तमान क्षण को जीने का आह्वान करता है, साथ ही सीखने के महत्त्व को भी रेखांकित करता है।
  - **वर्तमान में पूर्णता:** जीने और भविष्य की तैयारी करने के बीच का संतुलन ही बुद्धिमत्ता की पहचान है।
  - **मृत्यु के प्रति दार्शनिक चिंतन:** जीवन की नश्वरता की स्वीकृति प्राय: व्यक्ति को विकास, शिक्षा तथा आत्मसाक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है।
  - दर्शनशास्त्र, विशेषकर स्टोइकवाद, सिखाता है कि नश्वरता के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, सद्गुण और ज्ञान से भरे जीवन को आकार दे सकता है।
  - **आजीवन सीखना:** यह धारणा कि शिक्षा उम्र अथवा परिस्थिति के साथ समाप्त नहीं होती बल्कि जीवनभर जारी रहती है, व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक विनम्रता के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है।
- **मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि:**
  - **प्रेरणा सिद्धांत:** आत्म-निर्धारण सिद्धांत और विकासात्मक मानसिकता यह संकेत देते हैं कि सीखने की आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है और जीवन की नश्वरता को पहचानने से व्यक्ति जोखिम लेने और सीखने के अवसरों को अपनाने के लिये अधिक इच्छुक हो जाता है।
  - **अस्तित्ववादी मनोविज्ञान:** अस्तित्ववादियों का तर्क है कि मृत्यु के प्रति हमारी सजगता हमें कार्यों और निर्णयों के माध्यम से जीवन को अर्थ देने के लिये बाध्य करती है, जिससे हम निरंतर आत्म-सुधार की ओर अग्रसर होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण:**
  - **लियोनार्डो दा विंची:** एक बहुश्रुत व्यक्ति के रूप में, दा विंची ने वर्तमान में जीने (अपनी कला और आविष्कारों के माध्यम से) और निरंतर ज्ञान की खोज, दोनों के महत्त्व को दर्शाया। उनकी नोटबुक्स एक ऐसे दिमाग का परिचय देती हैं जिसने अन्वेषण करना कभी नहीं छोड़ा।
  - **स्टीव जॉब्स:** व्यापार और नवाचार के प्रति उनका दृष्टिकोण निरंतर सीखने की उनकी इच्छा को दर्शाता था तथा ऐसी नई धारणाओं को आगे बढ़ाने का परिचायक था, जिनका विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा।
  - **व्यक्तिगत विकास पर सीखने का प्रभाव:** आज की तीव्र गति वाली दुनिया में, सीखने को एक आजीवन प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिये जो व्यक्तियों को प्रासंगिक, अनुकूलनशील और संतुष्ट बनाए रखता है।
    - इंटरनेट ने सीखने और ज्ञान तक पहुँचने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जिससे ऑनलाइन संसाधनों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से "हमेशा सीखते रहना" और अधिक सरल हो गया है।

प्रश्न : हम वही बनते हैं जो हम बार-बार करते हैं। इसलिये उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। (1200 शब्द)

- **निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण:**
  - विल ड्यूरांट: *"हम वही हैं, जो हम बार-बार करते हैं। इसलिये उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है।"* (प्रश्नाधीन उद्धरण)
  - कन्फ्यूशियस: "श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र होता है, लेकिन अपने कार्यों में श्रेष्ठ होता है।"
- **सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:**
  - **आदत और चरित्र विकास:** अरस्तू की "लोकाचार" की अवधारणा इंगित करती है कि बार-बार किये गए कार्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। उनके अनुसार उत्कृष्टता एक बार की उपलब्धि नहीं बल्कि एक सतत् अभ्यास है।
  - **दार्शनिक आधार:** उत्कृष्टता को आदत मानने की धारणा *सद्गुण-नैतिकता* (virtue ethics) से जुड़ी है, जो सिखाती है कि श्रेष्ठ आदतें ही नैतिक चरित्र का निर्माण करती हैं।
  - पुनरावृत्ति से निपुणता प्राप्त होती है, चाहे वह कौशल-विकास हो, नैतिक आचरण हो अथवा ज्ञान।
  - **आत्म-अनुशासन और इच्छाशक्ति:** पुनरावृत्ति पर ज़ोर आत्म-नियंत्रण के आधुनिक सिद्धांतों से जुड़ता है, जहाँ अल्पकालिक संतुष्टि को त्यागकर दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति व्यक्तिगत सफलता का आधार बनती है।
- **मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि:**
  - **संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत (CBT):** CBT का मानना है कि आदतें विचार पैटर्न को आकार देती हैं। उत्कृष्टता का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दे।
  - **आदत निर्माण:** मनोविज्ञान बताता है कि एक नई आदत बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। एक बार जब ये आदतें व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं, तो वे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं।
- **ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण:**
  - **माइकल फेल्प्स:** 28 पदकों के साथ सर्वाधिक पदक जीतने वाले ओलंपियन, जिन्होंने छुट्टियों में भी अथक प्रशिक्षण लिया, तैराकी को अपनी दैनिक आदत में बदल लिया। यही अनुशासन उनकी अद्वितीय सफलता का कारण बना।
  - **महात्मा गांधी:** उनका जीवन *सत्य* और *अहिंसा* की सतत् आदतों की शक्ति का उदाहरण है।
    - उनके प्रत्येक कार्य इन गहन आदतों का परिणाम था, जिसने उनकी विचारधारा को दैनिक उत्कृष्टता का रूप दिया।
- **समकालीन निहितार्थ:**
  - **करियर और कौशल विकास में महत्त्व:** प्रतिस्पर्द्धी विश्व में, जो व्यक्ति लगातार छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। प्रतिदिन पढ़ने, अभ्यास करने या नेटवर्किंग जैसी आदतें विकसित करने से योग्यता का उच्च स्तर प्राप्त होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वास्थ्य और फिटनेस:** आधुनिक जीवनशैली में स्वास्थ्य का अर्थ बड़े बदलाव नहीं बल्कि सतत्, दोहराई जाने वाली और स्थायी आदतें हैं; चाहे वह आहार हो, व्यायाम हो या मानसिक स्वास्थ्य।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** बिल गेट्स तथा एलन मस्क जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज अनुशासन और कठोर परिश्रम की पुनरावृत्ति को उत्कृष्टता प्राप्ति का आधार मानते हैं।

प्रश्न : नैतिकता का चाप चाहे कितना ही लंबा क्यों न हो, उसका अंतिम झुकाव सदैव न्याय की ओर होता है।

परिचय:

वर्ष 1965 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के चरम के दौरान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मोंटगोमरी में एक जनसमूह को संबोधित किया। सदियों की दासता, नस्ली भेदभाव और अपमान सह चुके लोग थके हुए तो थे, पर आशावान भी थे। किंग ने उन्हें अपने शाश्वत शब्दों में स्मरण कराया कि: "नैतिक ब्रह्मांड का चाप लंबा है, लेकिन यह न्याय की ओर झुकता है।" उनका संदेश तात्कालिक विजय का नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास का था कि इतिहास भले धीमी गति से आगे बढ़े, परंतु वह अंततः सत्य और न्याय की दिशा में ही अग्रसर होता है।

यह गहन अंतर्दृष्टि किसी एक राष्ट्र के संघर्ष तक सीमित नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के उन्मूलन तक और यहाँ तक कि जलवायु न्याय और लैंगिक न्याय की निरंतर खोज तक, इतिहास हमें स्मरण कराता है कि जहाँ अन्याय प्रायः जड़ जमाए हुए प्रतीत होता है, वहीं मानवता का विवेक एवं दृढ़ता चाप को न्याय की ओर लगातार मोड़ती रहती है।

मुख्य भाग:

दार्शनिक और नैतिक आधार

- नैतिक ब्रह्मांड → मानवता की सामूहिक अंतरात्मा को संदर्भित करता है।
- न्याय → प्लेटो की 'रिपब्लिक' में न्याय को समाज की आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अरस्तू ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है और रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया है।
- नैतिक आयाम: सद्गुण नैतिकता (प्रमुख सद्गुण के रूप में न्याय), उपयोगितावाद (न्याय परम आनंद को बढ़ावा देता है), गांधीवादी नैतिकता (न्याय के मार्ग के रूप में अहिंसा)।

न्याय की ओर झुकने वाले चाप के ऐतिहासिक उदाहरण

- दासता उन्मूलन → हालाँकि यह सदियों तक कायम रहा, फिर भी विश्व इसके उन्मूलन की ओर अग्रसर हुआ।
- उपनिवेशवाद का उन्मूलन → भारत की स्वतंत्रता, अफ्रीका की मुक्ति, ये सभी दर्शाते हैं कि न्याय में विलंब तो हुआ लेकिन अंततः उसे प्राप्त किया गया।
- नागरिक अधिकार आंदोलन (अमेरिका) → अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्वयं इस बात के उदाहरण बने कि इतिहास का झुकाव न्याय की ओर हुआ।
- दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का पतन → इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड की समाप्ति ने यह दिखाया कि नेल्सन मंडेला के नेतृत्व ने नैतिक जगत को न्याय की दिशा में संरेखित करने की क्षमता प्रदर्शित की।

भारतीय संदर्भ

- स्वतंत्रता संग्राम → वर्ष 1857 से 1947 तक, भारतवासियों द्वारा नैतिक सहिष्णुता का प्रदर्शन। जिसमें गांधी के सत्याग्रह ने धैर्य और नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया।
- सामाजिक न्याय → अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17), अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण, महिला सशक्तीकरण।
- न्यायिक हस्तक्षेप → केशवानंद भारती (मूल संरचना), धारा 377 का गैर-अपराधीकरण (LGBTQ+ अधिकार), निजता का अधिकार।
- ज़मीनी स्तर पर न्याय आंदोलन → चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, RTI आंदोलन।

समकालीन वैश्विक प्रासंगिकता

- जलवायु न्याय → जलवायु वार्ता में समानता की मांग करने वाला ग्लोबल साउथ, हालाँकि धीमी गति से, किंतु पर्यावरणीय न्याय की ओर एक झुकाव दर्शाता है।
- लैंगिक न्याय → #MeToo आंदोलन, महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- डिजिटल न्याय → गोपनीयता, AI एथिक्स, डेटा प्रोटेक्शन पर बहस।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून → ICC, संयुक्त राष्ट्र घोषणाएँ, हालाँकि धीमी गति से, किंतु वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार न्याय की आशा जगाती हैं।

प्रतिवाद (आर्क अर्थात् झुकाव सदैव सहज नहीं होता)

- न्याय में विलंब → न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है।
- अधिनायकवाद का उदय → कुछ देशों में स्वतंत्रता का दमन।
- आर्थिक असमानता → नैतिक प्रगति के बावजूद बढ़ता विभाजन।
- जलवायु परिवर्तन अन्याय → विकसित राष्ट्र शोषण जारी रखते हैं।

संस्थाओं और मानव अधिकरणों की भूमिका

- लोकतांत्रिक संस्थाएँ → विधायिकाएँ, न्यायपालिका, मीडिया न्याय को कायम रखती हैं।
- नागरिक समाज और आंदोलन → सरकारों पर नीतियों को न्याय के अनुरूप बनाने का दबाव।
- वैश्विक ढाँचे → संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन सुधार, पेरिस समझौता।
- व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी → व्यक्तिगत आचरण और नेतृत्व में नैतिकता।

आगे की राह

- न्याय के लिये धैर्य, दृढ़ता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- विधि के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकार संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- न्याय के लिये तकनीकी का उपयोग → ई-न्यायालय, डिजिटल समावेशन।
- वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना → साउथ-साउथ को-ऑपरेशन, समान विकास।
- नैतिक नेतृत्व की ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाना चाहिये जहाँ न्याय एक जीवंत मूल्य बन जाए।

निष्कर्ष:

न्याय केवल अतीत का वायदा नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला मानक भी है। नैतिक ब्रह्मांड की परिधि भले ही लंबी हो, किंतु उसका झुकाव हमारे सामूहिक संकल्प पर निर्भर करता है कि हम सत्य, करुणा और समानता को कितना पोषित करते हैं। भारत जैसे राष्ट्र के लिये, जिसकी सभ्यतागत आत्मा 'सत्यमेव जयते' में प्रकट होती है तथा जिसका संविधान सभी के लिये न्याय की संवैधानिक प्रतिज्ञा करता है, के समक्ष वास्तविक चुनौती यह है कि इस नैतिक दृष्टिकोण को शासन, समाज एवं वैश्विक नेतृत्व में ठोस वास्तविकता में रूपांतरित किया जाये।

यदि मानवता अपनी वैज्ञानिक प्रगति को नैतिक उत्तरदायित्व के साथ, अपने आर्थिक विकास को सामाजिक समता के साथ तथा अपनी राजनीतिक शक्ति को सार्वभौमिक सम्मान के साथ संरेखित कर सके, तो यह चाप न केवल न्याय की ओर झुकेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये एक न्यायपूर्ण, समावेशी एवं धारणीय भविष्य को भी प्रकाशित करेगा।

प्रश्न : बुराई की विजय के लिये केवल इतना ही पर्याप्त है कि अच्छे लोग कुछ न करें।

परिचय :

1930 के दशक में जर्मनी में जब हिटलर सत्ता में आया, तो अधिकांश आम नागरिकों - शिक्षकों, कर्मचारियों, वकीलों, यहाँ तक कि धर्मगुरु भी, यह सोचकर चुप रहे कि राजनीति उनका विषय नहीं है। उनकी निष्क्रियता ने तानाशाही को पनपने का अवसर दिया और इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को जन्म दिया। एडमंड बर्क के शाश्वत शब्द —"बुराई की विजय के लिये इतना ही पर्याप्त है कि अच्छे लोग कुछ न करें" इस सत्य को तीक्ष्ण स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं। बुराई अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि तब फलती-फूलती है, जब सही बात जानने वाले लोग निष्क्रियता, भय या उपेक्षा के कारण असमर्थ बन जाते हैं।

यह विचार समय से परे है: चाहे वह औपनिवेशिक भारत हो, रंगभेदग्रस्त दक्षिण अफ्रीका हो या आज के दौर में भ्रष्टाचार, अन्याय एवं जलवायु संकट जैसी चुनौतियाँ हों, सभी बुराईयों के लिये सबक एक ही है कि किसी भी गलत परिस्थिति में चुप रहना स्वयं बुराई के पक्ष में सहभागी भूमिका निभाने के सामान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **नैतिक दर्शन:**
  - अरस्तू: सद्गुण के लिये निष्क्रियता की नहीं, बल्कि कर्म की आवश्यकता होती है।
  - कांट: नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करना कर्त्तव्य है।
  - गांधी: बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही कर्त्तव्य है जितना कि अच्छाई के साथ सहयोग करना।

ऐतिहासिक उदाहरण

- **हिटलर और नाज़ीवाद का उदय:** वैश्विक समुदाय की निष्क्रियता ने अत्याचारों को बढ़ने दिया।
- **दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद:** यह तब तक जारी रहा जब तक कि वैश्विक और स्थानीय प्रतिरोध तीव्र नहीं हो गया, क्योंकि बहुसंख्यक चुप रहे।
- **अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन:** चुप्पी ने नस्लवाद को जारी रहने दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शनों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व और कानूनी जीत ने इस चुप्पी को तोड़ कर बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई।
- **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम:** गांधी ने उपनिवेशी आबादी की चुप्पी तोड़ते हुए आम नागरिकों को संगठित किया।

भारतीय संदर्भ

- राजा राम मोहन राय और अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव जैसी जड़ जमाई बुराइयों के खिलाफ काम किया।
- **संवैधानिक लोकाचार:** राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मौलिक कर्त्तव्य— नागरिकों से न्याय के लिये सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह।
- **आधुनिक भारत में जन निष्क्रियता:** जब नागरिक निष्क्रिय रहते हैं तो ही भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और पर्यावरण क्षरण पनपते हैं।
- उदाहरण: निर्भया मामले में विरोध प्रदर्शन (2012)— सामूहिक कार्रवाई बनाम चुप्पी।

समकालीन वैश्विक प्रासंगिकता

- **जलवायु परिवर्तन:** नेताओं की निष्क्रियता और जनता की लापरवाही पारिस्थितिक विनाश को बढ़ावा देती है।
- जब ज़िम्मेदार आवाज़ें चुप रहती हैं, तो डिजिटल गलत सूचना एवं हेट स्पीच का प्रसार बढ़ता है।
- **युद्ध और मानवीय संकट:** उदाहरण के लिये, रवांडा नरसंहार के दौरान वैश्विक चुप्पी, वर्तमान संघर्ष।
- **लैंगिक असमानता और उत्पीड़न:** चुप्पी भेदभाव को बढ़ावा देती है।

प्रतिवाद और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि

- **कभी-कभी चुप्पी रणनीतिक होती है:** कूटनीति, वार्ता या गांधीवादी अहिंसक प्रतिरोध।
- सभी बुराइयों का समाधान केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, इसके लिये व्यवस्थित कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- जिम्मेदार मौन वह है जो आत्मचिंतन, विवेकपूर्ण निर्णय या विवाद को बढ़ने से रोकने के लिये अपनाया जाता है, जबकि सहभागी मौन वह है जो अन्याय और बुराई को अनदेखा कर उनकी निरंतरता को बढ़ावा देता है। प्रशासनिक तंत्र और लोकसेवा में यह विवेक एवं अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है।

संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका

- **संस्थाएँ:** न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज को बुराई के सामान्यीकरण को रोकना चाहिये।
- **नागरिक:** सतर्कता, सक्रियता, मुखबिरी, ज़िम्मेदारी से मतदान।
- **नेता:** नैतिक नेतृत्व, सत्ता के सामने सत्य बोलने का नैतिक साहस।

आगे की राह

- शिक्षा और नागरिक जीवन में नैतिक साहस का विकास।
- जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना।
- सहभागी लोकतंत्र और सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करना।
- अच्छे व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये मुखबिरों की सुरक्षा, सूचना का अधिकार (RTI) और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

बुराई की जीत अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि सज्जनों की चुप्पी, भय और निष्क्रियता से होती है। हन्ना अरेन्ट के शब्दों में, ***"अधिकतर बुराई***

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वे लोग करते हैं जो कभी यह तय नहीं करते कि वे अच्छे होंगे या बुरे।" न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का भविष्य सक्रिय नागरिकता एवं नैतिक साहस पर आधारित है। जब सज्जन पुरुष और स्त्रियाँ आगे बढ़कर कर्त्तव्य निभाते हैं, तभी इतिहास की धारा न्याय एवं आशा की ओर निर्णायक रूप से मोड़ लेती है।

प्रश्न : सत्य आपको मुक्त करेगा, परंतु पहले यह आपको दुखी करेगा। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1994 में, दक्षिण अफ्रीका दशकों तक चले रंगभेद से लोकतंत्र की ओर संक्रमण कर रहा था। राष्ट्र को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को दिशा देने के लिये नेल्सन मंडेला और डेसमंड टूटू ने Truth and Reconciliation Commission (सत्य एवं सुलह आयोग) की स्थापना की। इसके अंतर्गत पीड़ितों और अपराध करने वालों, दोनों को ही खुले तौर पर गवाही देने तथा हुए अत्याचारों को स्वीकार करने के लिये आमंत्रित किया गया।

सुनवाई की प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक रही, जहाँ पीड़ितों को अपने आघात को पुन: जीना पड़ा और दोषियों को सार्वजनिक लज्जा का सामना करना पड़ा। फिर भी, इस कटु सत्य का सामना करना ही क्षमा और सुलह की नींव बना। राष्ट्र ने यह समझ लिया कि घृणा और प्रतिशोध के चक्र से मुक्ति केवल सत्य की पीड़ा को सहन करने के बाद ही संभव है।

यह भाव स्पष्ट करता है कि 'सत्य एवं सुलह' जैसी प्रक्रियाएँ केवल न्यायिक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक उपचार के साधन होती हैं, जो लोकतांत्रिक राज्य-निर्माण एवं शांति-स्थापना के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

मुख्य भाग:

दार्शनिक आयाम

- सुकरात: ने कहा कि "बिना जाँचे-परखे जीवन जीने योग्य नहीं है।" उन्होंने सत्य की खोज पर ज़ोर दिया, जिसकी कीमत उन्हें अपने प्राणों से चुकानी पड़ी, परंतु उनके विचारों ने मानवीय चिंतन को मुक्त किया।
- नीत्शे ने 'सत्य का बोझ' की बात की, जिसे सहन करने के लिये साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह असुविधाजनक वास्तविकताओं से सामना कराता है।
- गांधी का सत्य: गांधीजी के सत्य की अवधारणा में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा पर आग्रह था। यह न केवल ब्रिटिश शासकों के लिये बल्कि कई बार उनके अनुयायियों के लिये भी कष्टकारी सिद्ध हुआ, किंतु अंततः इसी ने भारत को स्वतंत्रता दिलायी।

मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत आयाम

- व्यक्तिगत विकास के लिये कठोर सच्चाइयों का सामना करना आवश्यक है। जैसे नशामुक्ति की प्रक्रिया हो या परीक्षाओं में असफलता का अनुभव, आरंभ में यह पीड़ादायक होता है, किंतु जब व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो वह आत्म-भ्रम और अस्वीकृति की स्थिति से मुक्त हो जाता है।
- संज्ञानात्मक असंगति: संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति में लोग उन सच्चाइयों को स्वीकार करने से कतराते हैं जो उनकी सुविधा और आदतों के विपरीत हों। किंतु जब इन सच्चाइयों को स्वीकार कर लिया जाता है तो मनोवैज्ञानिक शांति एवं आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है।
  - उदाहरण: आघात (दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार घोटाले) के शिकार लोगों को वास्तविकता को स्वीकार करने में कष्ट का सामना करना पड़ता है, फिर भी उपचार सत्य का सामना करने के बाद ही शुरू होता है।

सामाजिक और नैतिक आयाम

- **सामाजिक सुधार:** सामाजिक सुधार के लिये राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आरंभ में उन्हें परंपरावादी समूहों के प्रतिरोध और असंतोष का सामना करना पड़ा, किंतु इसने समाज को एक दकियानूसी कुप्रथा से मुक्त किया।
- **मुखबिरी:** व्हिसलब्लोइंग के उदाहरण में एडवर्ड स्नोडेन और जूलियन असांजे द्वारा असुविधाजनक सत्य को उजागर किया गया। इसने राष्ट्र-राज्यों के लिये कठिनाई और असंतोष उत्पन्न किया, किंतु वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता एवं निजता पर गहन विमर्श को आगे बढ़ाया।
- **न्याय:** न्यायालय सत्य पर निर्भर करते हैं; यद्यपि अपराधियों और कभी-कभी पीड़ितों के लिये यह कष्टदायक होता है, फिर भी सत्य सुलह को संभव बनाता है। (दक्षिण अफ्रीका का सत्य और सुलह आयोग)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

राजनीतिक आयाम

- प्रचार के पीछे छिपने वाले नेता कुछ समय के लिये भ्रम में रह सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य सामने आ ही जाता है (उदाहरण के लिये, वियतनाम युद्ध, वाटरगेट कांड)। नेता यदि प्रोपेगेंडा के सहारे वास्तविकताओं को छिपाते हैं तो यह भ्रम कुछ समय तक ही टिक सकता है, अंततः सत्य सामने आता ही है (जैसे: वियतनाम युद्ध, वाटरगेट कांड)।
- **भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम:** इस अधिनियम ने शासन-प्रणाली की असुविधाजनक सच्चाइयों को उजागर किया। इसे प्रारंभ में प्रशासनिक तंत्र ने प्रतिरोध किया, परंतु इसने नागरिकों को सशक्तीकरण प्रदान किया।
  - उदाहरण: आपातकाल (1975-77)— अधिनायकवाद का सत्य कड़वा था, लेकिन इसे स्वीकार करने से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना सुनिश्चित हुई।

वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम

- वैज्ञानिक सत्यों को स्वीकार करना प्रारंभ में प्रायः असुविधा उत्पन्न करता है, जैसे डार्विन का सिद्धांत जिसने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। किंतु स्वीकृति के पश्चात् यही सत्य मानवता को अज्ञान से मुक्ति दिलाते हैं।
- इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन एक कटु सत्य है, जिसे विभिन्न स्वार्थी तत्त्व नकारने का प्रयास करते हैं, परंतु उसका स्वीकार करना मानव अस्तित्व की रक्षा हेतु अनिवार्य है।

समकालीन वैश्विक आयाम

- **कोविड-19 महामारी:** COVID-19 महामारी ने यह कठोर सत्य उजागर किया कि स्वास्थ्य प्रणाली कितनी अप्रस्तुत और दयनीय स्थिति में थी, परंतु इसी चुनौती का सामना करने से स्वास्थ्य सुधार और वैक्सीन विकास में तीव्रता आयी।
- **लैंगिक समानता:** लैंगिक समानता के संदर्भ में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कटु सत्य असुविधा उत्पन्न करते हैं, किंतु सुधारात्मक उपाय सामाजिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी:** नौकरी में व्यवधान का सच दर्दनाक है, लेकिन स्वीकार्यता पुनः कौशल विकास और नवाचार को प्रेरित करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोज़गार के संकट की वास्तविकता पीड़ादायक है, परंतु इसे स्वीकार करने से पुनःकौशल निर्माण और नवाचार को गति मिलती है।

विपरीत दृष्टिकोण

- सत्य केवल नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। अनेक बार ऐतिहासिक सत्यों के राजनीतिकरण से सांप्रदायिक तनाव और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- अतः सत्य को केवल उजागर करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे विवेक, करुणा और उत्तरदायित्व के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि समाज में समरसता, पारदर्शिता एवं रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष:

सत्य केवल एक दार्शनिक आदर्श नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, न्याय और नैतिक प्रगति का आधार है। हालाँकि इसका प्रकटीकरण शुरू में असहजता एवं प्रतिरोध का कारण बन सकता है, लेकिन अंततः यह व्यक्तियों एवं समाजों दोनों को शुद्ध, मुक्त और सुदृढ़ बनाता है। एक राष्ट्र जो असहज सत्यों का सामना करने का साहस करता है, वह प्रामाणिक लोकतंत्र, नैतिक शासन और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है।

'सत्यमेव जयते' केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि भारतीय राष्ट्र की मूल आत्मा का दर्पण है। यह संदेश देता है कि वास्तविक स्वतंत्रता दु:ख या चुनौतियों से पलायन में नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने और उसके अनुसार जीवन व शासन को संचालित करने में निहित है।

प्रश्न : जीवन का उद्देश्य है अपनी क्षमता/प्रतिभा को पहचानना और जीवन का अर्थ है उसे समाज को अर्पित करना। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1970 के दशक में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम SLV-3 प्रक्षेपण अभियान पर कार्य कर रहे थे। पहली बार प्रक्षेपण असफल रहा, जिससे पूरा देश निराश हुआ और स्वयं कलाम गहरे आघात में थे। किंतु उनके मार्गदर्शक सतीश धवन ने सार्वजनिक रूप से असफलता की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और कलाम को सुरक्षित रखा। बाद में जब

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मिशन सफल हुआ तो धवन ने पूरा श्रेय कलाम को दिया। इस घटना ने कलाम में न केवल वैज्ञानिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा जगायी बल्कि नि:स्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प भी जगाया। उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा केवल मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे 'जनता के राष्ट्रपति' के रूप में भी उभरे तथा लाखों युवाओं को प्रेरित किया।

यह कथन इस विचार को अभिव्यक्त करता है कि जीवन का उद्देश्य अपनी प्रतिभा या क्षमता को पहचानने में निहित है, जैसे: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के लिये उनकी वैज्ञानिक दक्षता। परंतु जीवन का वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब उस प्रतिभा का नि:स्वार्थ उपयोग समाज को सशक्त करने तथा व्यापक कल्याण में योगदान करने के लिये किया जाये। पाब्लो पिकासो के शब्दों में, ***"जीवन का अर्थ है अपनी प्रतिभा को खोजना और जीवन का उद्देश्य है उसे समाज को अर्पित कर देना।"***

मुख्य भाग:

दार्शनिक आयाम

- यूनानी दर्शन: अरस्तू का यूडेमोनिया (सद्गुणों के माध्यम से समृद्धि) का विचार।
- भारतीय दर्शन: भगवद् गीता में धर्म और निष्काम कर्म की अवधारणा – जीवन का सच्चा अर्थ निस्वार्थ सेवा में निहित है।
- अस्तित्ववादी दृष्टिकोण: विक्टर फ्रैंकल — उद्देश्य और दूसरों की सेवा के माध्यम से अर्थ खोजना।
- गाँधी: "स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना।"

आध्यात्मिक और धार्मिक आयाम

- ईसाई धर्म: प्रतिभाओं का दृष्टांत - प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा में किया जाना चाहिये।
- बौद्ध धर्म: करुणा को जीवन का मूल उद्देश्य और मुक्ति के लिये एक आवश्यक गुण माना जाता है।
- हिंदू धर्म: सेवा और लोकसंग्रह (सभी का कल्याण)।
- भारत में सूफी और भक्ति परंपराएँ: प्रेम और भक्ति को जीवन का अर्थ मानते हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

- मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम: आत्म-साक्षात्कार अपने उपहार की खोज है; आत्म-उत्कर्ष उसे दान करना है।
- सकारात्मक मनोविज्ञान: व्यक्तिगत शक्तियाँ (रचनात्मकता, सहानुभूति, नेतृत्व) तभी सार्थक होती हैं जब उन्हें साझा किया जाता है।
- नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता: व्यक्तिगत प्रतिभाओं को समुदाय के कल्याण के लिये दिशा प्रदान करना।

समाजशास्त्रीय और नैतिक आयाम

- समाज तब फलता-फूलता है जब व्यक्ति अपनी अनूठी क्षमताओं का योगदान देते हैं।
- सामाजिक अनुबंध सिद्धांत: व्यक्ति स्वयं का एक अंश समुदाय के प्रति समर्पित करते हैं।
- सद्गुण नैतिकता: चरित्र का निर्माण तब होता है जब प्रतिभाओं का उपयोग सामूहिक भलाई के लिये किया जाता है।
- उबुंटू दर्शन (अफ्रीका): "मैं हूँ क्योंकि हम हैं।"

ऐतिहासिक और समकालीन चित्रण

- महात्मा गांधी: उन्होंने सत्य और अहिंसा में अपना उपहार पाया; इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में दान किया।
- बी. आर. अंबेडकर: उनकी बुद्धि ही उनका उपहार थी; उन्होंने इसे संविधान निर्माण के माध्यम से दान किया।
- स्टीव जॉब्स: नवाचार का उपहार, इसे वैश्विक समाज के लिये प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करके दान किया।
- साधारण नागरिक: कोविड-19 के दौरान शिक्षक, नर्स, स्वयंसेवक– देने के अर्थ को साकार करते हैं।

समकालीन प्रासंगिकता

- उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद के युग में, सामाजिक साझेदारी के बिना व्यक्तिगत प्रतिभाओं की खोज शून्यता की ओर ले जाती है।
- ज्ञान अर्थव्यवस्था: नवाचार तभी सार्थक होता है जब वह सुलभ हो (ओपन-सोर्स आंदोलन)।
- जलवायु परिवर्तन: संवहनीयता पृथ्वी को वापस करने की मांग करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वैश्वीकरण: परस्पर जुड़े विश्व को सीमाओं से परे प्रतिभाओं को साझा करने की आवश्यकता है।

प्रति-दृष्टिकोण और संतुलन

- कुछ लोग तर्क देते हैं कि जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी है, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं।
- लेकिन साझेदारी के बिना, व्यक्तिगत खुशी अधूरी है– यह स्वार्थ सुखवाद बन जाती है।
- सच्ची संतुष्टि आत्म-देखभाल और आत्म-दान के बीच संतुलन में निहित है।

आगे की राह

- शिक्षा को छात्रों को उनकी अनूठी प्रतिभाओं को खोजने में सहायता करनी चाहिये।
- सामाजिक संस्थाओं को सेवा और सामुदायिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- स्वयंसेवा, सामाजिक उद्यमिता और परोपकार को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक जीवन में सहानुभूति, नैतिकता और करुणा का विकास किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जीवन का उद्देश्य किसी की प्रतिभा की खोज में नहीं, बल्कि उस प्रतिभा को व्यापक हित के लिये साझा करने में निहित है। जैसा कि टैगोर ने कहा था, ***"मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने कर्म किया और देखा कि सेवा ही आनंद है।"*** जब प्रतिभाओं को करुणा के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वे न्याय, सद्भाव और सामूहिक प्रगति के साधन बन जाती हैं। मानवता अलग-अलग उपलब्धियों से नहीं, बल्कि साझा योगदान से आगे बढ़ती है।

प्रश्न : हमारी महानतम कीर्ति कभी न गिरने में नहीं, अपितु हर बार गिरकर उठने में है। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1969 में, वर्षों के प्रयास के बाद, थुम्बा से ISRO का पहला प्रायोगिक रॉकेट प्रक्षेपण कुछ ही सेकंड में विफल हो गया। गरीबी से जूझ रहे नये स्वतंत्र राष्ट्र के लिये यह गहरी निराशा का क्षण था। फिर भी डॉ. विक्रम साराभाई और आगे चलकर डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे दूरदर्शी नेतृत्व के मार्गदर्शन में ये असफलताएँ सफलता की सीढ़ियाँ बनीं और आज भारत वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है।

यह यात्रा एक गहन सत्य को दर्शाती है: असफलताएँ जीवन का अंत नहीं हैं; वे दृढ़ता और अंततः गौरव की उत्प्रेरक हैं। जीवन और प्रगति का सार पूर्णता के भ्रम में नहीं, बल्कि प्रत्येक विफलता के बाद और अधिक दृढ़ होकर उठने के साहस में निहित है।

मुख्य भाग:

- **दार्शनिक आयाम**
  - अरस्तू: अरस्तू ने सद्गुण को विपरीत परिस्थितियों में सही आचरण करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया, जिसके अनुसार महानता त्रुटिरहित जीवन से नहीं, बल्कि सतत् अभ्यास से अर्जित धैर्य से आती है।
  - **जॉन स्टुअर्ट मिल:** जॉन स्टुअर्ट मिल का मत था कि स्वतंत्रता की रक्षा में गलत विचारों का सामना करना आवश्यक है, क्योंकि इससे सत्य और अधिक प्रबल होता है। इस प्रकार, असफलता व्यक्ति की नैतिकता और बौद्धिक विकास को और निखारती है।
  - **श्री अरविंद:** मानव-जीवन के विकास को एक ऐसी यात्रा माना है जिसमें व्यक्ति कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुज़रते हुए ऊँचाई की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में गिरना भी रुकावट नहीं बल्कि आगे की आध्यात्मिक प्रगति का ही हिस्सा है।
- **मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत आयाम**
  - **अल्बर्ट बंडुरा का आत्म-प्रभावकारिता सिद्धांत:** अल्बर्ट बांडूरा का स्व-प्रभावकारिता सिद्धांत यह बताता है कि आत्मविश्वास चुनौतियों को पार करने से बनता है, न कि उनसे बचने से।
  - **विक्टर फ्रैंकल (होलोकॉस्ट सर्वाइवर):** विक्टर फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अर्थ आराम में नहीं बल्कि दु:ख को सहकर और उससे ऊपर उठने में निहित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण:** प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कई बार असफल होना पड़ता है; फिर भी उनकी दृढ़शक्ति असफलताओं से आगे बढ़ने की सीढ़ी में बदल देता है।

- **सामाजिक एवं नैतिक आयाम**
  - **ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले:** उन्होंने स्त्री-शिक्षा का समर्थन करते हुए अपमान सहा, लेकिन उनकी दृढ़ता ने सामाजिक न्याय की नींव रखी।
  - **मार्टिन लूथर किंग जूनियर:** मार्टिन लूथर किंग जेल गये और आलोचना झेली, परंतु उनका संघर्ष अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की शक्ति बना।
  - समाज में नैतिक प्रगति तब आती है जब व्यक्ति या समूह अल्पकालिक पराजय सहते हुए और भी दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते हैं।
- **राजनीतिक आयाम**
  - **नेल्सन मंडेला:** उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताये, फिर भी उनके उत्थान ने दक्षिण अफ्रीका को एकजुट कर रंगभेद समाप्त किया।
  - **भारतीय लोकतंत्र:** आपातकाल (वर्ष 1975–77) जैसे 'पतन' का सामना किया, परंतु जनता के जनादेश से संवैधानिक स्वतंत्रता फिर स्थापित हुई।
  - **विभाजनोत्तर भारत:** विभाजन के बाद भारत ने शरणार्थी संकट और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अंततः लोकतांत्रिक संस्थाएँ और स्थिर व्यवस्था स्थापित हुई।
- **वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयाम**
  - **मैरी क्यूरी:** मैरी क्यूरी ने बार-बार असफल प्रयोगों, लैंगिक भेदभाव और गरीबी का सामना किया, लेकिन अपने धैर्य से दो नोबेल पुरस्कार जीते।
  - **राइट ब्रदर्स:** राइट ब्रदर्स ने अनेक असफलताओं के बाद हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, जिसने परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी।
- **समकालीन एवं वैश्विक आयाम**
  - **कोविड-19 महामारी:** कोविड-19 महामारी में आरंभ में अनेक असफलताएँ हुईं, पर सहयोग और दृढ़ता से रिकॉर्ड समय में वैक्सीन विकसित हुई।
  - **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन में मानवता प्रकृति के प्रति असफल रही, लेकिन नवीकरणीय तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय समझौते इससे उबरने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **विपरीत दृष्टिकोण**
  - **महात्मा बुद्ध:** महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसके अनुसार अनावश्यक दु:ख से बचना चाहिये; गौरव लापरवाही से गिरने में नहीं, बल्कि सजग दृढ़ता में निहित होता है।
  - कुछ असफलताएँ (जैसे: परमाणु दुर्घटनाएँ, नरसंहार, आर्थिक संकट) अपूरणीय क्षति देती हैं, इसलिये विवेक और सावधानी आवश्यक है।
  - अत: जहाँ गिरने के बाद उठ खड़ा होना एक नेक कार्य है, वहीं अनावश्यक पतन को कम करने के लिये उत्तरदायित्वपूर्ण कार्रवाई भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

धैर्य और दृढ़ता महानता की पहचान हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संघर्ष हो, समाज का सुधार हो या किसी राष्ट्र का संकट से उबरना हो। गिरना मानवीय है, परंतु पुन: उठना परिवर्तनकारी है। भारत का इतिहास भी स्वयं इसे दर्शाता है: औपनिवेशिक पराधीनता से स्वतंत्रता तक, गरीबी से प्रगति तक, विज्ञान में असफलताओं से वैश्विक पहचान तक। जैसा कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं को स्मरण कराया, ***"यदि आप असफल होते हैं, तो कभी हार न मानें क्योंकि असफलता का अर्थ है 'सीखने का पहला प्रयास'।"***

इसलिये वास्तविक गौरव पराजय से बचने में नहीं, बल्कि हर पराजय/पतन को ऊँचाई में बदलने का साहस रखने में निहित होता है।

प्रश्न : संतुष्टि प्राप्ति में नहीं, प्रयास में निहित है। पूर्ण प्रयास ही पूर्ण विजय है। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1931 में लंदन में छात्रों को संबोधित करते हुए, महात्मा गांधी ने कहा था कि "संतुष्टि प्रयास में निहित होती है, प्राप्ति में नहीं। पूर्ण प्रयास ही पूर्ण विजय है।" गांधीजी के लिये सत्याग्रह की यात्रा तात्कालिक परिणामों से नहीं, बल्कि साधनों की निष्ठा और सत्य के लिये निरंतर किये गए प्रयासों से आँकी जाती थी। इतिहास ने भी यह सिद्ध किया कि भारत की स्वतंत्रता कोई एक अभियान से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि यह दशकों तक चले अथक प्रयासों, बलिदानों और धैर्य का

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिणाम थी। यह कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि वास्तविक सफलता केवल परिणामों पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वे प्रायः हमारे नियंत्रण में नहीं होते, बल्कि यह हमारे प्रयासों की निष्ठा, निरंतरता और संपूर्ण समर्पण पर आधारित होती है।

- **दार्शनिक आयाम**
  - **इमैनुएल कांट:** नैतिक महत्त्व परिणामों में नहीं बल्कि कर्त्तव्य और नीयत में होता है, यह 'प्रयास' को 'प्राप्ति' से ऊपर रखता है।
  - **भगवद्गीता:** *"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"* मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं।
  - **स्वामी विवेकानंद:** उन्होंने परिणामों की परवाह किये बिना अथक प्रयास और सेवा को ही विजय के रूप में महत्त्व दिया।
- **मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत आयाम**
  - **स्व-निर्धारण सिद्धांत (डेसी और रायन):** असली प्रेरणा और संतोष 'आंतरिक प्रयास' से आता है, बाह्य पुरस्कारों से नहीं।
  - **मस्लो:** आत्म-साक्षात्कार निरंतर विकास और मेहनतपूर्ण प्रयास से मिलती है, केवल उपलब्धियों से नहीं।
  - **उदाहरण:** परीक्षा की तैयारी कर रहा एक छात्र प्रारंभ में असफल हो सकता है, लेकिन उसके अनुशासन और प्रयास से ही आत्मविश्वास एवं आंतरिक संतोष उत्पन्न होते हैं।
- **सामाजिक और नैतिक आयाम**
  - **ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले:** समाज के विरोध के बावजूद शिक्षा के लिये उनका सतत् प्रयास ही उनकी संतुष्टि था।
  - **मदर टेरेसा:** उन्होंने गरीबी का उन्मूलन नहीं किया, लेकिन उनकी सेवा का निरंतर भाव ही उनकी सफलता थी।
  - **प्रयास की नैतिकता:** समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग केवल तात्कालिक परिणाम के बजाय कर्त्तव्य-प्रेरित प्रयास पर ध्यान देते हैं।
- **राजनीतिक आयाम**
  - **महात्मा गांधी:** उनके आंदोलनों में प्रायः असफलताएँ मिलीं (जैसे: असहयोग आंदोलन का स्थगन) फिर भी नैतिक विजय उनके प्रयास की निष्ठा में निहित था।
  - **भारतीय लोकतंत्र:** चुनावों में हार-जीत बदलती रहती है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का सामूहिक प्रयास ही असली विजय है।
- **वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम**
  - मैरी क्यूरी: उनके कई प्रयोग विफल हुए, पर उनके प्रयासों ने विज्ञान को आगे बढ़ाया।
  - शोध संस्कृति: विज्ञान में तात्कालिक अन्वेषण से भी अधिक प्रयास और प्रयोग को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- **समकालीन और वैश्विक आयाम**
  - **जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई:** इसके तत्काल परिणाम धीमे होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रयास— वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक वार्ता प्रगति के प्रमुख कारक हैं।
  - **सतत् विकास लक्ष्य (SDG):** यद्यपि वर्ष 2030 तक सभी पूरे न भी हों, फिर भी यह प्रयास वैश्विक सहयोग को मज़बूत करता है।
- **विपरीत दृष्टिकोण**
  - प्रति-परिप्रेक्ष्य परिणामों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: सैनिकों का प्रयास सराहनीय हो सकता है, लेकिन रणनीतिक परिणामों के बिना देश संकट में पड़ सकता है।
  - शासन में संसाधनों का सदुपयोग परिणामों से आँका जाता है, केवल प्रयास पर्याप्त नहीं होते।

निष्कर्ष

वास्तविक संतोष क्षणिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि निष्ठा और संपूर्ण प्रयास से आता है। उपलब्धियाँ प्रायः परिस्थिति, समय और संयोग पर निर्भर करती हैं, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है और यही हमारे चरित्र व भाग्य को गढ़ता है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं को स्मरण कराया था— ***"स्वप्न विचारों में परिणत होते हैं और विचार कर्म में।"*** भले ही सभी सपने पूरे न हों, पर प्रयत्न स्वयं परिवर्तनकारी होता है। इस प्रकार, पूरा प्रयास ही वास्तविक विजय है, क्योंकि यह सफलता और असफलता दोनों को गरिमा प्रदान करता है तथा यात्रा को भी उतना ही महत्त्वपूर्ण बनाता है जितना गंतव्य को।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME